द्वितीय माला, खण्ड ५२—अंक २८

गुरुवार, २३ मार्च, १९६१
२ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४६, १०५०, १०५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५	३२४५—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५६, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८०	३२७०—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ .	३२७६—३३०७
मंत्री द्वारा वक्तव्य—	
दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन	३३०७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३३०७
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ दसवां प्रतिवेदन	३३०७
अनुदानों की मांगें	३३०७
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	३३०७—३६
श्रीमती इला पाल चौधरी . . .	३३०७—०६
श्रीमती उमा नेहरू	३३०६—११
श्री अ० मु० तारिक	३३११—१४
श्री पद्म देव	३३१४—१७
श्री आचार	३३१८
श्री म० ला० द्विवेदी	३३१८—२०
श्री स० मो० बनर्जी	३३२०–२१
श्रीमती जयाबेन शाह	३३२१—२३
श्री च० का० भट्टाचार्य	३३२३–२४
डा० केसकर	३३२४—३६
विधि मंत्रालय	३३३७—५६
श्री साधन गुप्त	३३३७—४०
श्री फ्रैंक एन्थनी	३३४०–४१

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २३ मार्च, १९६१

२ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा

+

†*१०४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन करना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या आगामी सामान्य निर्वाचन से पहले अन्तिम निर्णय होने की कोई संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

81 (Ai) LSD—1

†श्री दातार : सरकार सारे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और यथाशीघ्र कोई निर्णय करेगी ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार वर्तमान दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र को बढ़ाने की योजना पर भी विचार करेगी ताकि बृहत्तर योजना (मास्टर प्लान) के अधीन विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र एक ही क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ जायें ?

†श्री दातार : प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जहां तक हमारा ख्याल है, प्रशासन में सु ार लाने का यह प्रश्न लगभग दो साल से मंत्रालय के विचाराधीन है और वह अभी तक तय नहीं हो पाया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है और निकट भविष्य में इस बारे हमें निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†श्री दातार : हम पहले ही संविधान तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा प्रशासित होते हैं । अक्सर हमें अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और उन पर विचार करना पड़ता है ।

†श्री त्यागी : केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में वर्तमान प्रशासनिक ढांचा नागालैंड के निर्माण की तुलना में कैसा है ?

†श्री दातार : वह बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

†श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक स्वायत्त शासन का सम्बन्ध है क्या वे अधिक अच्छे हैं ?

†श्री दातार : वहां पहले से ही स्वायत्त शासन है । यह ध्यान में रखा जाये कि अब उन पर संसद् का शासन है । इसलिए स्वायत्त शासन का अभाव नहीं कहा जा सकता ।

†श्री रघुनाथ सिंह : वहां नयी प्रशासनिक व्यवस्था की क्या योजना है ? क्या उसमें उद्योग और शिक्षा भी शामिल होगी ?

†श्री दातार : ये सभी प्रश्न एक ही प्रश्न के अंग हैं और इन सभी प्रश्नों पर उचित विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि संघ शासित क्षेत्रों की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जायेगा, लेकिन कम से कम दिल्ली के बारे में परिवर्तन इस लिये नहीं किया जायेगा कि वह सीधे संघ सरकार के अन्तर्गत है ?

†श्री दातार : ये एक ही प्रश्न के विभिन्न पहलू हैं और इन सब पहलुओं पर किसी हद तक समान आधार पर और जहां तक विभिन्न राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, विशिष्ट आधार पर विचार करना होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि नागालैंड में प्रशासन में नई व्यवस्था शीघ्र इसलिये हो गई कि वहां विद्रोह हो रहे थे और केन्द्र शासित क्षेत्र बहुत शांत हैं, इसलिये वहां देर लग रही है ?

†श्री दातार : नहीं, यह बिल्कुल गलत है । मेरे माननीय मित्र ऐसे आरोप न लगायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या मनीपुर क्षेत्र में नागा आक्रमणकारियों के व्यापक उपद्रवों को देखते हुए मनीपुर के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : मनीपुर हमारा ही एक राज्य क्षेत्र है और जिस पर विचार किया जा रहा है उसमें मनीपुर भी शामिल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

आयुध कारखाना, कटनी

†*१०४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी के आयुध कारखाने का विस्तार करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या १९५८–५९ की तुलना में उत्पादन में काफी वृद्धि हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). आयुध कारखाना, कटनी के विस्तार की कुछ योजनायें विचार की प्रारम्भिक दशा में हैं और अभी ब्यौरा बताना जनहित में उचित नहीं होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) १९५८–५९ में उत्पादन के मूल्य की तुलना में १९५९–६० में ३५.५ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन का मूल्य लगभग ८५.४१ लाख रुपये था। अनुमान है कि १९६०–६१ के लिए कुल उत्पादन लगभग १०० लाख रुपये के मूल्य का होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या कटनी के आयुध कारखाने में एक्स्ट्रूशन प्लान्ट पूरी ताकत से काम कर रहा है और यदि हां तो क्या उसके पूरी तरह काम करने से अधिक रोजगार मिला है ?

†**श्री रघुरामैया** : प्रश्न के इस खास पहलू के सम्बन्ध में मुझे अलग से सूचना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संपूर्ण कारखाने के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहा हूं । मैं केवल एक्स्ट्रूशन प्लान्ट के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या वह पूरी क्षमता से काम कर रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : उनका क्या आशय है मैं नहीं जानता । वास्तव में कई एक्स्ट्रूशन प्लान्ट हैं । वे विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे एक्स्ट्रूशन प्लान्ट के बारे में और ब्यौरे चाहते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यहां यही मुख्य प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन माननीय मंत्री का कहना है कि इस प्रकार के कई एक्स्ट्रूशन प्लान्ट हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न के रूप में पूछें तो मैं माननीय सदस्य को सारी स्थिति समझाने के लिए तयार हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जब मैंने इस प्रश्न की सूचना दी थी मैं वास्तव में यही जानना चाहता था कि क्या कोई विस्तार कार्यक्रम है मुझे बताया गया कि विस्तार कार्यक्रम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक्स्ट्रूशन प्लान्ट पूरी ताकत से काम कर रहा है । यह अलौह धातु संयंत्र है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना पड़े तो मुझे उत्पादन की मात्रा या परिमाण बताना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मुझ से कहते हैं कि हाउस आफ कामन्स में प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक श्वेत पत्र जिसमें पूरे पूरे ब्यौरे दिये होते हैं, रखने के अलावा काफी ब्यौरे सदन में बताये जाते हैं । हम कई मामलों में हाउस आफ कामन्स की प्रथा का अनुसरण करते हैं । लेकिन इस मामले में मुझे कठिनाई इसलिए मालूम होती है कि माननीय मंत्री अक्सर यह कहते हैं कि "यह जानकारी बताना जनहित में नहीं है"। तिरक्षा मंत्रालय पर वाद-विवाद के दौरान मैं इस मामले की छानबीन करना चाहता हूं । मैं दोनों पक्षों से पूछना चाहता हूं कि क्षेत्राधिकार क्या है, कहां तक जानकारी मांगी जा सकती है और ब्यौरे बताये जा सकते हैं । प्रतिरक्षा बजट के दौरान जिन विषयों की चर्चा होगी उनमें एक यह भी होगा । स्वर्गीय श्री पटनायक जब यहां थे, उन्होंने इस बात की शिकायत की कि सभा में और अधिक ब्यौरे बता जाने चाहिये और हाउस आफ कामन्स में इससे कहीं अधिक ब्यौरों पर चर्चा होती है । यदि वहां ऐसी बात हो तो हम भी यहां उसका अनुसरण करते हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका वास्तविक क्षेत्र कितना है । प्रश्नकाल के दौरान इसकी छानबीन का समय नहीं है । मैं प्रतिरक्षा बजट पर चर्चा के दौरान इस विषय को उठाऊंगा ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह विशिष्ट प्रश्न विस्फोटकों के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । विस्फोटकों के बारे में स सभा में कहां तक चर्चा की जा सकती है यह भी एक विचारणीय विषय होगा ।

†**श्री वाजपेयी** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे वह संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहा है । मैं नहीं समझ पाता कि इसमें जनहित का प्रश्न कहां आता है ।

†**श्री त्यागी** : जब तक ुद्ध न हो तब तक इसमें जनहित कैसे आता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें 'जनहित' कैसे हो सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब तक इस पर सावधानी से विचार नहीं किया जाता तब तक हम ब्यौरे नहीं बता सकते ।

†**श्री वाजपेयी** : उन्होंने संयंत्र के ब्यौरे के बारे में नहीं पूछा है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि मैं यह कहूं कि वह पू ी क्षमता से काम नहीं कर रहा है तो हमारी स्थिति मालूम हो जायगी । जो भी हो, मैं इसकी छानबीन करने के लिए तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब बातें उस दिन उठा ी जायेंगी । मुझे अवश्य ही इस समस्या पर कुछ समय बिताना होगा । मुझे अक्सर ही यह तय करना होता है कि कोई खास जानकारी देना ठीक है या नहीं । कोई जानकारी देना जनहित में है या नहीं इस बारे में निर्णय करने का मंत्री का अधिकार मैं नहीं छीनना चाहता लेकिन साथ ही मैं सभा के अधिकारों को भी कम

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रतिरक्षा और वित्त, दोनों ही के मामलों पर विचार करूंगा कि मैं कहां तक प्रश्नों के लिए अनुमति दे सकता हूं। हम यह नहीं जानते कि क्या हो रहा है और क्या हमें उस पर जानकारी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए प्रश्न काल का उपयोग नहीं किया जा सकता। मैं इसे किसी और दिन रखूंगा।

अब प्रश्न संख्या १०४६, श्री भक्त दर्शन।

हिन्दी टेलीप्रिंटरों के कुंजी-फलक

***१०४६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी टेलीप्रिंटरों के कुंजी-फलक (की-बोर्डों) को अन्तिम रूप देने के लिये जो प्रयत्न कि जा रहे थे उन में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) नया संशोधित और प्रामाणिक की-बो कब तक उपलब्ध हो सकेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सरकार हिन्दी टेलीप्रिंटर के कुंजी-पटट को अन्तिम रूप दे चुकी है और संशोधित कुंजी पटल उस मानक हिन्दी टेलीप्रिंटर कुंजी पटल के स्थान पर रखा जा रहा है जो हिन्दी टाईपराइटर और टेलीप्रिंटर समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया था।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो संशोधित की-बोर्ड स्वीकार किया गया है, इस पर अमल कब किया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली: अब रिपोर्ट तैयार हो गई है और अमल शीघ्र ही किया जायेगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसको यह मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है, दूसरी मिनिस्ट्री को इसको करना पड़ेगा।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो अक्षरों में सुधार किया गया है वह कहां तक लोक देवनागरी जिसको विनोबा जी ने बनाया है, उसके अनुरूप है और कहां तक संस्कृत देवनागरी लिपि जो है, उससे मेल खाता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह जो देवनाग ी सक्रिप्ट को मंजूर किया गया है, यह काफी विवाद के बाद किया गया है। विनोबा जी का जो सक्रिप्ट है उससे यह कुछ भिन्न है। लेकिन लखनऊ कान्फ्रेंस में दो बार इस पर विचार किया गया था। उसके बाद एजुकेशनल मिनिस्टर्ज़ कान्फ्रेंस में भी इस पर विचार हुआ और उसके बाद जा कर इसको अन्तिम रूप दिया गया।

श्री विभूति मिश्र : जो लोक लिपि है, जिसको विनोबा जी तथा दूसरे सर्वोद ी लोग चला रहे हैं तथा जो दूसरी देवनाग ी लिपि है, इन दोनों में से सरकार किस को मान रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार ने जो मान्यता दी है वह देवनागरी सक्रिप्ट को दी है और उसमें कुछ संशोधन किया है और उसमें संशोधन करने के पश्चात उसको अन्तिम रूप दिया गया है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह कुंजी फलक प्रादेशिक भाषाओं में भी बनाया जायगा और क्या प्रादेशिक भाषाओं के लिए भी टेलीप्रिंटर चालू किये जायगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कोई भी उसे अपना सकेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : सरकार ने जब लिपि को मंजूर कर लिया तो उसके बारे में क्या किसी टाइपराइटर कम्पनी से इस की चर्चा चल रही है कि इसके टाइपराइटर्ज़ वह बनाये और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह काम किस मंत्रालय के सुपुर्द किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह काम मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री एंड कामर्स को सौंपा गया है और उन्होंने कुछ कम्पनियों से परामर्श किया है। उस मिनिस्ट्री से हमने यह निवेदन किया है कि जितनी जल्दी हो सके इन टाइपराइटर्ज़ को तैयार करवाने में वह सहायता दे। वह मिनिस्ट्री इसके बारे में काम कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : इन दूर मुद्रकों का सम्बन्ध संचार और परिवहन मंत्रालय से तथा साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है। क्या इन मंत्रालयों के सहयोग से कोई कार्यवाई की जा रही है जिससे जल्दी से जल्दी यह चीज़ अमल में आ सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हम लोग काफी सतर्क हैं और कुछ काल से परामर्श हो रहा है। गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न करेगी कि जितनी जल्दी हो सके नये टाइपराइटर्ज़ आ जायें।

श्री त्यागी : क्या इस तजवीज पर विचार किया गया है कि हिन्दी के टाइपराइटर्ज़ का जो की बोर्ड है, उस में से दस अक्षर कम कर दिये जायें, जोकि महाप्राण कहलाते हैं, जैसे एक ही स्ट्रोक से "क" और "ख" या "ग" और "घ" बन सकते हैं, कामन स्ट्रोक से बन सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में भी कोई कोशिश की गई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सारे मामले पर अच्छी तरह से विचार कर लिया गया है और जैसा मैंने निवेदन किया है, उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है। उसकी रिपोर्ट भी लाइब्रेरी में है और उसको माननीय सदस्य चाहें तो जा कर देख सकते हैं।

एशिया में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये यूनेस्को की योजना

\+
*१०४९. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विशेष सहयोग से एशिया में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप और व्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) एशिया में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने के लिये यूनेस्को ने एक योजना बनाई है । इस योजना को अमल में लाने के लिए भारत सरकार ने यूनेस्को को पूरा सहयोग देने का निश्चय किया है ।

(ख) यूनैस्को ने जो योजना तैयार की है, उसका ध्येय एशिया के सभी देशों में सात वर्ष या इससे अधिक की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करना और २० वर्ष की अवधि (१९६०–८०) के अंदर कुल आबादी के २० प्रतिशत को प्राथमिक स्कूलों में भर्ती करना है। योजना के अनुसार १९६० की अपेक्षा १९६५ में दाखिला लेने वालों की संख्या ६ करोड़ २० लाख (कुल आबादी का ८ प्रतिशत) से बढ़ कर ९ करोड़ ५० लाख (कुल आबादी का ११ प्रतिशत) १९७० में १३ करोड़ ६० लाख (१४ प्रतिशत) १९७५ में १८ करोड़ ३० लाख (१७ प्रतिशत), और १९८० में २३ करोड़ ७० लाख (२० प्रतिशत) हो जाएगी । २० वर्ष की अवधि में इस योजना पर ५६ विलियन डालर खर्च (आवर्ती और अनावर्ती) होने का अनुमान है । इस योजना का ध्येय यह भी है कि एशिया के देशों के सामान्य आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सभी सम्भव आन्तरिक साधन जुटाए जायं और बाहर के देशों से काफी बड़े पैमाने पर सहायता ली जाए ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है :—

"२० वर्ष की अवधि में इस योजना पर ५६ विलियन डालर खर्च (आवर्ती और अनावर्ती) होने का अनुमान है । इस योजना का ध्येय यह भी है कि एशिया के देशों के सामान्य आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सभी सम्भव आन्तरिक साधन जुटाए जाएं और बाहर के देशों से काफी बड़े पैमाने पर सहायता ली जाए ।"

मैं जानना चाहता हूं कि ५६ विलियन डालर्ज जो खर्च होगा बीस साल में उसमें एशियन कंट्रीज के अन्दर से कितना लिया जायेगा और बाहर से कितना मिलेगा ?

दूसरी चीज़ इसमें यह लिखी हुई है :—

"एशिया के देशों के सामान्य आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जाये ।"

यह कैसे होगी, ज़रा इसका खुलासा माननीय मन्त्री जी करें ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा आपको मालूम है यूनेस्को जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है वह इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि एशिया के जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको कुछ आर्थिक या टैक्नीकल सहायता दे प्राइमरी एजूकेशन के विकास के लिए। इसके लिये प्रयत्न तो प्रथम जो राज्य हैं, उन्हीं को करना पड़ेगा । लेकिन कुछ यूनैस्को सहायता दे रहा है । भारतवर्ष को तीन प्रकार से सहायता मिलने का निश्चय हुआ है । एक तो २०,००० डालर्ज वह डायरेक्ट असिस्टेंस के तौर पर देगा । उसके अलावा ५०,००० डालर नई दिल्ली में एक रीजनल सेंटर, एजूकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्ज और सुपरवाइर्ज़स की ट्रेनिंग के लिए, कायम करने के लिये देगा । यूनैस्को इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि कुछ वाईलेटरल असिस्टेंस इस प्रोग्राम में हो सके, जर्मनी के साथ तथा कुछ दूसरे मुल्कों

†मूल अंग्रेजी में

जैसे डेनमार्क, फिनलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड के साथ इस बारे में बातचीत हो रही है। तजवीज़ यह है कि जिस तरह से हो सके, इन मुल्कों की शिक्षा के प्रसार के मामले में सहायता हो।

श्री विभूति मिश्र : इसके अन्दर लिखा हुआ है :—

"एशिया के देशों के सामान्य आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जाये।"

यह कैसे होगा, इसका जवाब आपने नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री विभूति मिश्र :अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, उसका तो खुलासा माननीय मन्त्री जी को करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह जो लिखा है यह इरेलेवेंट है।

†**श्री विभूति मिश्र** : जो लिखा है.........

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न तक ही सीमित रहें। माननीय सदस्य विवरण से उत्पन्न होने वाली हर बात को न उठायें। विवरण में कई दूसरे विषय भी हो सकते हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : विवरण में जो कहा गया है उसे माननीय मन्त्री को अवश्य समझाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया अपनी जगह बैठ जायें और मेरी बात सुनें। मैं यह देखता हूं कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक जानकारी दे दी जाती है और यह प्रश्न से पूरी तरह संगत होती है ताकि माननीय सदस्य अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछ सकें। कुछ ऐसे विषय जो सीधे इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते, वे भी इसमें दिये हुए हैं। यहां प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, न कि यूनैस्को की सहायता से सामान्य आर्थिक विकास का। मैं माननीय मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से उत्पन्न हर बात के निर्देश के लिये अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : जो बात प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती वह माननीय मन्त्री ने उसमें क्यों दी है ?

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक स्टेटमेंट के पैरा "ए" का संबंध है उससे जाहिर होता है कि भारत सरकार यूनैस्को को इस योजना में पूरा सहयोग देगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी, इसका नियन्त्रण सरकार के हाथ में होगा या यूनैस्को के हाथ में होगा ? जबकि सरकार दो सौ करोड़ रुपया हिन्दुस्तान में इसके लिये खर्च कर रही है, तो सिर्फ एक लाख रुपया सहायता के रूप में ले करके अपने को विदेशों के हाथ में दे देना कहां तक उचित है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: विदेशों के हाथ में देने का प्रश्न नहीं है। सारा प्रबन्ध हमारा राज्य ही करेगा। यूनैस्को इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि कुछ सहायता इस काम में मिल सके। और कोई किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस वक्तव्य में जो सभा पटल पर रखा गया है लिखा है कि शिक्षितों की संख्या ८ प्रतिशत से बढ़ कर लगभग २० प्रतिशत हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि भारत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश भर म कितने केन्द्र खोलने जा रहा है और कितने अध्यापक शिक्षित हो जायेंगे इस काम को पूरा करने के लिए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : यह हमारे देश को ही प्रश्न नहीं है, सारे एशिया का प्रश्न है। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया है कि एक रिजनल सेंटर कायम करने की यहां तजवीज है। और कितने सेंटर कायम होंगे मैं नहीं जानता हूं। यूनेस्को ने भी इस बारे में कोई निश्चित फैसला नहीं किया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : यूनैस्को की योजना के अनुसार, जैसा कि माननीय मन्त्री के विवरण में बताया गया है, सात वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना आरम्भ करने में २० साल लगेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत भी उसी योजना को अपनायेगा या हम उसे और पहले आरम्भ कर सकेंगे। अब हमने ६—११ आयु समुदाय को शामिल किया है तो क्या ६—१४ आयु समुदाय को शामिल करने के लिये हम २० साल प्रतीक्षा करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के समय हमारी स्थिति पहले ही बतायी जा चुकी है कि तीसरी योजना के अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष की उम्र के बच्चे शामिल कर लिये जायेंगे और ८० प्रतिशत बच्चे स्कूलों में आ जायेंगे। बाकी को चौथी योजना में लाया जायगा हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक ६ से १४ वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे सकेंगे। मैं ठीक ठीक इसलिये नहीं बता सकता कि इस योजना के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर बहुत कुछ निर्भर होगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी शिक्षा मन्त्री जी ने यह कहा कि यूनेस्को से जो पैसा प्राप्त होगा उस पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं होगा, लेकिन, मैं जानना चाहता हूं, उस पैसे को देते समय यूनेस्को की ओर से कोई शर्तें या सुझाव शिक्षा मन्त्रालय को दिये गये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, यह तो उनके रीजनल सेंटर खोलने का सवाल है। वे शायद टैक्निकल ऐसिस्टेंस दें, लेकिन किसी प्रकार का नियन्त्रण उन की ओर से नहीं है। उसका प्रबन्ध हमको ही करने को कहा जा रहा है ?

†**श्री तंगामणि** : माननीय मन्त्री ने बताया कि तीसरी योजना के अन्त तक ११ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की एक निश्चित योजना है। यह योजना हमारी तीसरी योजना के साथ किस प्रकार मिलायी जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका हमारी योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है। कराची में आयोजित यूनेस्को प्रादेशिक सम्मेलन के समय उन्होंने एशिया के सभी देशों का सर्वेक्षण किया और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि शिक्षा का विकास बहुत तेजी से होना चाहिये और वैसा होने पर भी उसमें सम्भवतः २० साल लग जायेंगे। यही स्थिति है। हमारी योजना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यूनैस्को द्वारा तैयार की गयी योजना हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाये जाने से पहले हमारी सरकार को पेश की गयी थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यूनेस्को योजना से बहुत पहले ही हमने अपनी योजना बना ली थी ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट से यह साफ नहीं होता है कि यूनैस्को की स्कीम क्या है । यूनैस्को सिर्फ आर्थिक सहायता देगा या जो हमारी एजूकेशन का प्रसार है उस की नीति में भी उसका दखल होगा कि कहां पर स्कूल खोलना चाहिये और कहां नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि मैंने कई बार स्थिति स्पष्ट की है। मैंने बताया है कि राष्ट्रीय देशों में शिक्षा के विस्तार के लिये यूनेस्को का कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन पिछले यूनेस्को सम्मेलन में शिक्षा के प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यूनेस्को की यह राय थी कि शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में पिछड़े देशों की मदद करना उन्नत देशों का नैतिक दायित्व है। इसलिये कुछ निधियां स्थापित की गयीं और यूनेस्को शिक्षा के विकास के लिये उन सभी देशों को सहायता देना चाहता है। उन पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने के विषय में राष्ट्रीय सरकारों पर कोई नियन्त्रण रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्राइमरी शिक्षा दी जायेगी उस में गांधी जी की बैसिक एजुकेशन का समावेश किस मात्रा में होगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो हमारे निश्चित करने का प्रश्न है, यूनेस्को का प्रश्न इस में नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्राइमरी एजुकेशन यूनेस्को द्वारा दी जा रही है उस में महात्मा जी की वैसिक एजुकेशन का समावेश हमारे मंत्री महोदय कितना करेंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्राइमरी एजुकेशन यूनेस्को के द्वारा नहीं हो रही है। यह मुल्कों की हो रही है, हिन्दुस्तान की भी हो रही है, पाकिस्तान की भी हो रही है और एशिया के दूसरे मुल्कों की हो रही है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम ने निश्चय किया है कि हमारे सब स्कूल धीरे धीरे वैसिक स्कूल बन जायेंगे। यह निश्चय किया जा चुका है और अब उसे कार्यान्वित करना है।

जीवन बीमा निगम का व्यवसाय

+

*१०५०. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दामानी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशों में जीवन बीमा के व्यवसाय में क्या प्रगति की गयी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** :

अवधि	पूरा किया गया व्यवसाय (करोड़ रुपयों में)
१-९-५६ से ३१-१२-५६ तक	३.१९
१९५७	५.४०
१९५८	५.९२
१९५९	४७
१९६०	७०

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कासलीवाल : माननीय मन्त्री ने जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशी व्यवसाय की प्रगति के बारे में आंकड़ बताये हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि माननीय मन्त्री को यह बात मालूम है या नहीं कि पूर्व अफ्रीका तथा अन्य देशों में ब्रिटिश और राष्ट्रमण्डलीय बीमा कम्पनियों के साथ जो ब्रिटिश या आस्ट्रेलिया के या दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जितनी आयु सम्भावना के आधार पर ही भारतीयों का बीमा करती है, काफी प्रतियोगिता है। क्या जीवन बीमा निगम ने उन देशों में भारतीयों के लिये इसी प्रकार की कोई योजना चालू की है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : प्रतियोगिता के बावजूद शायद ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका में व्यवसाय बढ़ रहा है और मलाया तथा सिंगापुर में वह प्रायः स्थिर है।

†श्री कासलीवाल : क्या जीवन बीमा निगम ने पूर्व अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिये यहां प्रचलित योजना से भिन्न कोई नयी योजना चालू की है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मैं नहीं समझता कि उन देशों में कोई नयी योजना प्रचलित है। जो कुछ यहां किया जा रहा है वही वहां किया जा रहा है ?

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से देशों में हमारा यह व्यापार अच्छा होने वाला है, और उस पर हमारी सरकार किस प्रकार से जोर दे रही है।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मलाया और सिंगापुर, बिटिश पूर्व अफ्रीका और फिजी में व्यवसाय बढ़ रहा है, हांगकांग, मारिशस, अदन, ब्रिटेन और अन्य देशों में निगम व्यवसाय शुरू कर रहा है।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या जीवन बीमा निगम ने उन देशों में अपने कार्यालय खोलें हैं, यदि हां तो कितने कार्यालय खोले जा चुके हैं और उन देशों अर्थात् सिंगापुर, मलाया और पूर्व अफ्रीका में नये कार्यालय खोलने की क्या योजना है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : ब्रिटन में अभी हाल, नवम्बर, १९६० में कार्यालय खोला गया है। दूसरे कार्यालयों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियर : मुख्य प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित वर्षों में इन देशों से प्रीमियम की कितनी रकम मिली ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : उनके पास एक सारणी है। बीमे की रकम के आंकड़े मैंने बताये हैं और उनसे हिसाब लगाया जा सकता है। अभी मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियर : मेरा प्रश्न प्रीमियम की रकम के बारे में था क्योंकि वह हर देश में अलग अलग होती है। उसी से हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे देश को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मुझ इसके लिये सूचना चाहिए।

नागा पहाड़ी प्रदेश में विमानों द्वारा खाद्य गिराया जाना

†*१०५२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष २५ जनवरी को वायु सेना के एक डकोटा विमान द्वारा रोवरियाह से खाद्य पदार्थ ले जाये गये थे और उन्हें नागा पहाड़ी प्रदेश में गिराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितना खाद्य पदार्थ गिराया गया ;

†मल अंग्रेजी में

(ग) क्या डकोटा विमान को मार्ग में अपना बोझ कम करना पड़ा और इस प्रकार चावल आदि के बहुत से बोरों को जोरहाट के आसपास के गांवों में गिराना पड़ा ;

(घ) यदि हां, तो वहां कितना खाद्य-पदार्थ गिराया गया ;

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित खाद्य पदार्थ को गिराने से कुछ ग्रामीणों को चोटें आयीं; और

(च) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) लगभग २२ टन।

(ग) जी नहीं। २५ जनवरी, १९६१ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(घ) इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) वायु सेना के प्राधिकारियों को इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विमान की भार ले जाने की क्षमता क्या थी, उस पर कुल कितना भार लादा गया था और क्या विमान के उड़ने से पहले कोई निरीक्षण किया गया था ?

†सरदार मजीठिया : सभी विमानों में, संचालकों द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार, यथोचित सामान लादा जाता है। यह विमान कोई अपवाद नहीं था। एक डकोटा विमान सामान्यत ६०० पौंड माल ले जाता है ।

†श्री तंगामणि : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि खाद्य-पैकेट गिराने वाले डकोटा विमानों में से एक विमान लापता हो गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि इस समाचार में कितनी सचाई है ?

†सरदार मजीठिया : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यदि सूचना दी जायेगी तो मैं निश्चित रूप से इस का उत्तर दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : इस का सम्बन्ध 'नागा हिल्स में विमानों द्वारा खाद्य गिराये जाने' से है। यदि एक बार एक डकोटा लापता हो जायेगा तो खाद्य किस प्रकार गिराया जायेगा ?

†सरदार मजीठिया : यह प्रश्न उस घटना के बारे में था जो २५ जनवरी को हुई बताई जाती है और जिस के बारे में मैं ने यह कहा है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । इस विशिष्ट दिन को सभी उड़ानें पूरी कर ली गई थीं और इस दिन कोई डकोटा विमान लापता नहीं हुआ था। यदि माननीय सदस्य किसी अन्य दिन की बात कर रहे हैं, तो यदि वे मुझे सूचना देंगे तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा ।

†श्री तंगामणि : मैं ने एक अल्प-सूचना प्रश्न भेजा था किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई प्रतिवाद है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस का उत्तर नहीं देंगे। उन का यह कहना है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। उन के पास केवल इस प्रश्न के बारे में जानकारी है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने भी एक अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना दी थी किन्तु इसे भी रद्द कर दिया गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि २५ जनवरी, १९६१ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या २५ जनवरी, १९६१ के आस पास २४, २६ अथवा २७ जनवरी को चावल के बहुत से बोरों को गिराना पड़ा था।

†सरदार मजीठिया : जैसाकि मैं ने बताया है इस क्षेत्र में खाद्य गिराने के लिये खाद्य ले जाया जाता है और खाद्य लगातार गिराया जा रहा है। २५ को नहीं, बल्कि २१ जनवरी को एक घटना हुई थी जबकि एक डकोटा विमान के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी, जिस के परिणाम-स्वरूप खाद्य को विमान-क्षेत्र में ही गिरा दिया गया। इस से किसी नागरिक को चोट लगने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

इस सम्बन्ध में मैं ने अभी कुछ समय पहले एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है, उस में मैं कुछ संशोधन करना चाहूंगा। मैं ने कहा था कि डकोटा विमान की क्षमता ६०० पौंड होती है ; वस्तुतः यह क्षमता ६००० पौंड होती है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि ऊपर से खाद्य गिराने के इस कार्य में कितने डकोटा विमान लगे हुए हैं और क्या ये सभी विमान सुरक्षित हैं अथवा इन में से कोई लापता हैं ?

†सरदार मजीठिया : जहां तक विमानों की संख्या का सम्बन्ध है, इस बात की जानकारी देना कि वहां पर कितने विमान कार्य कर रहे हैं, सार्वजिनिक हित में नहीं है ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वायु सेना के डकोटा विमानों के अलावा किसी गैर-सरकारी विमान कम्पनी को भी इन क्षेत्रों में खाद्य गिराने का ठेका दिया गया है ?

†सरदार मजीठिया : प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि जब विमान उड़ान कर रहा था, तो उस का भार कम करने के क्या कारण थे ?

†सरदार मजीठिया : जैसाकि मैं पहले अपने उत्तर में बता चुका हूं कि २५ जनवरी को नहीं, बल्कि २१ जनवरी को विमान के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी और इसलिये इसे अपना भार कुछ कम करना पड़ा था ।

†श्री ब्रजराज सिंह : एक औचित्य प्रश्न है। अभी अभी माननीय मंत्री महोदय यह कहते सुने गये थे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया है। प्रतीत ऐसा होता है कि ठेका दिया गया है और मंत्री महोदय को इस की जानकारी है किन्तु वह इस को टालना चाहते हैं। यह ठेका

---

†मूल अंग्रेजी में

शायद सरकार के किसी अन्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है । आखिर, यह सरकार तो एक ही है, और यदि मंत्री महोदय को तथ्य का पता है तो उन्हें यह बता देना चाहिये कि ठेका प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया बल्कि किसी अन्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है । किन्तु हम तो इस बात को जानने के लिये उत्सुक हैं कि ठेका दिया गया है अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । कोई बात माननीय सदस्य जानते हैं तथा कोई बात माननीय मंत्री जानते हैं परन्तु संभव है वह बात उन के मंत्रालय से संबंधित न हो । यदि माननीय मंत्री उस के बारे में यह जाहिर कर देते हैं कि उन को कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य उस बात के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहेंगे । इसलिये माननीय मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में रहें अन्यथा अपने मंत्रालय के साथ साथ उन्हें अन्य मंत्रालयों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस का मतलब यह हुआ कि यह अलग अलग सरकारें होंगी और एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय का ध्यान नहीं रखेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अलग सरकारों का सवाल नहीं है । केवल विभिन्न मंत्रालयों के बीच काम के आवंटन का सवाल है । अन्यथा जिन मंत्रालयों के लिये मैं ने दिन नियत नहीं किये हैं उन के बारे में भी आज प्रश्न पूछे जा सकते हैं । आस्ट्रेलिया के समान क्या मैं भी सभी माननीय सदस्यों को एक दम बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछने की अनुमति दिया करूं । अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रालयो पर है इसलिये इस प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत करने का सवाल ही नहीं उठता है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री इतना तो बता सकते हैं कि यह बात किसी और मंत्रालय ने बताई थी जिस से हम उस के बारे में उस मंत्रालय से प्रश्न पूछ सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा । इस का सम्बन्ध इन माननीय मंत्री से नहीं है । यदि वह थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो उन से पूछा जायेगा कि वह और कुछ भी जानते हैं अथवा नहीं । सभी बातें तो मंत्रिमंडल को ज्ञात नहीं होती हैं ।

बैंकों द्वारा खाद्यान्न पर ऋण

†*१०५३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा खाद्यान्न के बदले ऋण देने सम्बन्धी विनियमों में ढील कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) मार्च १९६१ से रिजर्व बैंक ने खाद्यान्न के बदले ऋण देने के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा और आवश्यकताओं के निदेशों के उपबन्धों में कुछ छूट दे दी है ।

(ख) खाद्यान्नों के मूल्य और संभरण के बारे में हाल के महीनों में हुए सुधार के कारण छूट दी गई है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : किन खाद्यान्नों के लिये यह छूट दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : चावल, गेहूं तथा अन्य सभी अनाजों के लिये छूट दी गई है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह सच नहीं है कि इस छूट के कारण सोठबाज़ी बढ़ जायेगी और फिर मूल्य बढ़ जायेंगे ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : जी नहीं । चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के देशनांक कम हो गये हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है कि रिजर्व बैंक के काम का प्रभाव हो रहा है ।

†**श्री सिहासन सिंह** : क्या किसानों को खाद्यान्नो के लिये सीधे अग्रिम धन देने की कोई सिफारिश की गई है जिस से वह अपने खाद्यान्न रिज़र्व बैंक को दे दें और धन ले लें । इस प्रकार वह अपने अनाजों को सीधा खरीददार को बेचने में सफल हो सकेंगे और बीच के आदमी को मुनाफ़ा नहीं उठाने देंगे ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय उत्पादक अपने खाद्यान्न बीच के आदमी के द्वारा बेचते हैं । रिजर्व बैंक भी बीच के ही आदमी की सहायता करता है । क्या इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है कि सीधे उत्पादक की सहायता की जाये जिस से उचित समय आने पर ही वह अपने अनाज बेच सकें ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ऐसा सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है । उत्पादकों को सहकारी समितियां सहायता देती हैं । जब तक उत्पादक अपना सम्बन्ध बैंकों से बनाने को तैयार नहीं होंगे तब तक ऐसा करना संभव नहीं होगा ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि सांपार्श्विक प्रतिभूति अच्छी होने पर किसानो को बैंक अग्रिम ऋण दे देते थे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमेशा ऐसा ही किया जाता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियर** : १ मार्च १९६१ तक विभिन्न बैंकों ने कितना अग्रिम धन दिया है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : महीने वार आंकड़े मेरे पास हैं परन्तु वार्षिक आंकड़ नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : रिजर्व बैंक के बुलेटिन में सब कुछ दिया हुआ है । जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वह स्वयं व्यापारी हैं और मैं समझता हूं कि उनको रिजर्व बैंक के बुलेटिन मिलते रहते हैं । इसके अतिरिक्त यह बुलेटिन पुस्तकालय में भी रखे गये हैं । जो बातें प्रकाशित हो चुकी हैं उनके बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है । यदि माननीय सदस्य अपनी मदद आप नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मदद करने की क्या आवश्यकता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : नवम्बर १९६० में भी रिजर्व बैंक ने कुछ छूट दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि ३१ दिसम्बर १९६० तक छूट का क्या प्रभाव हुआ था ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : ३१ दिसम्बर १९६० को यह १५.५३ करोड़ रुपये थे ।

†**श्री सिहासन सिंह** : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि सीधे किसानों को अग्रिम धन न दिए जाकर सहकारी समितियों के द्वारा दिए जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

मिडिलमैन तथा सहकारी समितियों को दिए गए अग्रिम धन के लिए सूद की दरों में कितना अन्तर है? सहकारी समितियों को कितने सूद पर अग्रिम धन दिया जाता है जिससे वह किसानों को उचित दर पर सूद दे सकें और मिडिलमैन को अग्रिम धन किस सूद पर दिया जाता है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : व्यक्तियों की तुलना में सहकारी समितियों को हमेशा लाभ रहता है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं सूद की दरों का अन्तर जानना चाहता था।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : इस छूट के बाद व्यक्तियों को कितना अधिकतम अग्रिम धन दिया जा सकता है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह तो बैंकों को केवल एक आदेश है। चावल मिल वालों आदि को एक सीमा तक ही वह अग्रिम धन दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पर्याप्त प्रतिभूति होने के आधार पर ही व्यक्तिगत अग्रिम धन लेने वाले की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है अथवा एक अधिकतम सीमा ऐसे ही निर्धारित कर दी गई है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : प्रत्येक बैंक की अपनी व्यवस्था है। रिज़र्व बैंक केवल इतना ध्यान रखता है कि वह उससे अधिक प्रतिशत धन न दें जितना पहले दे रहा था।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक खाद्यान्नों पर किसानों को अग्रिम धन देने के लिए कुछ रियायत देता है। और बैंकों से केवल १$^{१}/_{२}$ प्रतिशत सूद लेता है जब कि यह बैंक तथा सहकारी समितियां ६$^{१}/_{२}$ प्रतिशत तक सूद किसानो से लेती हैं?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मुझे कोई जानकारी नही है। मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री जानते हैं कि यह नियम इसलिए लागू किए गए हैं जिससे खाद्यान्नों के मूल्य न बढ़ें। मैं जानना चाहता हूं कि इन विनियमों को छूट देने से उनको खाद्यान्नों के मूल्य कितना बढ़ जाने की आशा है अथवा खाद्यान्नो का भांडार बनाने के लिए ऋण की राशि कितनी बढ़ जायेगी।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सितम्बर १९६० में खाद्यान्नों के देशांनक १२३.९ थे और आज जनवरी १९६१ में ११६.४ है। चावल के सितम्बर १९६० देशनांक ११४ थे तथा जनवरी १९६१ के ९९ हैं।

हिन्दी कर्मचारी

***१०५४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के हिन्दी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बजट अधिवेशन के समाप्त होने पर घटा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सम्भव नहीं कि इस प्रकार छंटनी किये गये कर्मचारियों को कहीं और हिन्दी के काम में लगा दिया जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) से (ग). दूसरे बजट अनुभागों (सेक्शन्स) की तरह बजट के दिनों में बढ़े हुए काम को निबटाने के लिए हिन्दी अनुभाग (सेक्शन) में भी कर्मचारियों की संख्या अस्थायी तौर पर बढ़ा दी जाती है। अतिरिक्त कर्मचारी दूसरे मंत्रालयों और विभागों से मांगे जाते हैं और बजट का काम खत्म होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है । इसलिए इसमें छंटनी की कोई बात नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि बजट अधिवेशन के बाद हिन्दी में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय पृथक करता है, उन की संख्या कितनी है और क्या इसी प्रकार अंग्रेज़ी में काम करने वाले कर्मचारी भी बजट अधिवेशन के बाद पृथक किये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दोनों को बराबर होता है । इस में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उन की संख्या कितनी है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : स्थायी कर्मचारि-वृन्द में १ हिन्दी-पदाधिकारी, ७अनुवादक और ७ सहायक हैं । बजट-काल में हम बजट-कार्य के लिये ३ अनुवादकों और ३ सहायकों को मांग लेते हैं । बजट-कार्य समाप्त होते ही उन्हें उनके पुराने कार्यालयों में वापस भेज दिया जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक और आवश्यक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जो मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं । आगामी वर्ष जब इसी प्रकार बजट तैयार किया जाता है, तो क्या पिछले वर्षों के परीक्षित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, या नये कार्यकर्ता रखे जाते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : नये नहीं लिये जाते हैं । उन को और मिनिस्ट्रीज़ से बारो करते हैं ।

पवन-चक्कियां

†*१०५५. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारह पवन-चक्कियां, जिनका निर्माण और स्थापना की जानी थी, इस बीच लगायी जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन स्थानों पर लगाया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). एक महाराष्ट्र के उत्तर सतारा ज़िले में जामभूलनी गांव में लगाई गई और दूसरी बंगलौर में लगाई गई । शेष दस गुजरात, मैसूर, मद्रास तथा महाराष्ट्र में लगाई जायेंगी ।

†**श्री तिरुमल राव** : यह कब तक लग जायेंगी ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इन सरकारों से बात चीत हो रही है और आशा है कि यह आगामी चार महीनों में लगा दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मनमाड के निकट सोने की खान

†*१ ५६. { श्री ग्रासर :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **इस्पात, खान ग्रौर इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में मनमाड में २० मील दूर साकोर में ग्रभी हाल में सोने की एक खान पायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान ग्रौर तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ग्रौर (घ). इस क्षेत्र का प्रादेशिक सर्वेक्षण किया गया था । उससे पता लगा कि दक्षिणी पठार की ज्वालामुखी चट्टानें हैं । इन चट्टानों में सोना नहीं मिलता है इसलिए इस क्षेत्र में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री ग्रासर** : सरकार ने उस क्षेत्र का किस प्रकार का सर्वेक्षण किया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उस क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया था । महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच की थी । स्थानीय जनता द्वारा खोदे गए कूवों ग्रादि के खोदने से प्राप्त जानकारी भी उन्होंने दी थी । इन समाचारों की जांच की गई ग्रौर यह पाया गया कि जिन पत्थरों को सोना बताया गया था वह सोना न होकर ग्रौर कुछ ही था । दक्षिणी पठार में सोने की खान होना एक ग्रसंभव बात है ।

परीक्षा के माध्यम के रूप में मनीपुरी भाषा

†*१०५७. **श्री ले० ग्रचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुरी को दसवीं ग्रौर उच्च परीक्षाग्रों के माध्यम के रूप में लागू करने की सम्भावनाग्रों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति के काम में कुछ प्रगति हुई है ; ग्रौर

(ख) क्या उपरोक्त समिति द्वारा दसवीं श्रेणी के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं ग्रौर इन पुस्तकों को तैयार करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) ग्रौर (ख). मनीपुर प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है ग्रौर समय पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री ले० ग्रचौ सिंह** : क्या इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए निर्देश पुस्तकों के क्रम के लिए लेखकों को इकट्ठा राशि देने के प्रश्न पर मंत्रालय ने विचार कर लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को ग्रलग प्रश्न रखना चाहिए । यह प्रश्न समिति के कार्य की प्रगति के बारे में है ।

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

मनीपुर में नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

†*१०५८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों ने मनीपुर के इलाके में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं ; और

(ख) अब स्थिति क्या है और पिछले एक महीने में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) गत दिसम्बर और जनवरी में मनीपुर में नागा विद्रोहियों के कार्यकलाप कुछ बढ़ गये थे । परन्तु फरवरी के मध्य से यह कार्यकलाप कुछ कम हो गये ।

(ख) पिछले महीने में विद्रोहियों ने एक स्कूल अध्यापक को उठा लिया और विद्रोहियों तथा सुरक्षा सेनाओं में तीन मुठभेड़ें हुईं । पहली दो मुठभेड़ों में ोनों पक्षों में से किसी का भी कोई आदमी नहीं मरा था यद्यपि कुछ हथियार तथा गोली बारूद छीना गया था । तीसरी मुठभेड़ तामेंगलांग सब-डिवीजन के मागूलांग के निकट हुई थी जिसमें २६ विद्रोही मारे गये थे और पर्याप्त मात्रा में हथियार और गोली बारूद छीना गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या कोई कठोर कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो उस कार्यवाही के ब्यौरे क्या हैं जिसके द्वारा इस समस्या को हल करने की आशा है ?

†**श्री दातार** : सरकार कठोर कदम उठा रही है । अब वहां पर पर्याप्त पुलिस और सेना है जिससे स्थिति सुधरती जा रही है ।

†**श्री लै० अचौ सिंह** : मनीपुर के नागा क्षेत्रों में नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों के कारण क्या हमारे विकास कार्यक्रमों में बाधा हुई है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं ।

†**श्री त्यागी** : जो हथियार और गोली बारूद पकड़ी गई है, वह किस प्रकार की है ? वह भारत के बने हुए थे अथवा बाहर के बने हुए थे ?

†**श्री दातार** : मेरे पास ब्योरे नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं पकड़े गये हथियार और गोली बारूद के बारे में कह रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास जानकारी नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या वह जानकारी मंगायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनसे ऐसा करने के लिए किस प्रकार कह सकता हूं । माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : दो बारा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या तामेंगलांग, मामोराम और उखरूल सब-डिवीजनों को गड़बड़ वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और क्या वह आदेश अभी भी लागू है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **दातार** : मैं बताना चाहता हूं कि संसद् द्वारा पारित किए गए अधिनियम के अधीन कुछ क्षेत्रों को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और वहां शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए ठोस कार्य किये जा रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उनको पता नहीं कि यह हथियार और गोली बारूद किस देश के हैं। क्या भूतकाल में इन पकड़े गये हथियारों और गोली बारूद की जांच की गई है ? यदि हां तो क्या वह उस जानकारी को सभा में बतायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पकड़े गये हथियारों की सूची हमारे पास है। संभवतया उनका यहां पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। परन्तु इसकी जांच करनी है कि वह हमारे देश के हैं अथवा किसी अन्य देश के हैं। मैं इन की जांच कराऊंगा। और पता करूंगा कि वह भारत के बने हैं अथवा आयात किये गये हैं।

†**श्री कासलीवाल** : मैंने इस घटना के बारे में नहीं पूछा है। मैंने तो पहली घटनाओं के बारे में पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतया माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या नागा राज्य के लिए बनाई गई परिषद् केन्द्रीय सरकार की इन कार्यवाहियों को दबाने में सहायता कर रही है ? वह किस प्रकार के हथियार थे। यह राइफलें हैं अथवा बन्दूकें हैं अथवा तलवारें हैं ? क्या यह बताया जा सकता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हथगोले, राइफलें तथा एम० एल० बन्दूकें हैं।

†**श्री लै० अचौ सिंह** : क्या मनीपुर नागा परिषद् के नेताओं को यह बात बताई गई है क्योंकि इन प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी उन पर भी है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं प्रश्न समझा नहीं हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मनीपुर परिषद् की सहायता ली गई है ?

†**श्री लै० अचौ सिंह** : यह कहा जाता है कि मनीपुर नागा परिषद् का भी इन गड़बड़ियों में हाथ है परन्तु ऐसा होने पर भी क्या माननीय मंत्री ने अथवा सकरार ने इस प्रदेश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए इनकी सहायता ली है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सरकार सभी का सहयोग लेना चाहती है। जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार यह परिषद् बड़ी ही छोटी सी संस्था है और अधिक प्रभावी नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि नागा विद्रोहियों के पास स्टेन गन समेत आधुनिक हथियार हैं ? यदि हां, तो क्या हमें इसका पता लगाना चाहिए कि यह कहां से आते हैं और उस स्थान से इनके आने पर रोक लगानी चाहिए ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। हम मामले पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। यह ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसको शीघ्रता से दूर किया जा सके। प्रयत्न किये जायेंगे और हम प्रयत्न कर भी रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि मनीपुर नागा परिषद् एक छोटी सी संस्था है। परतु क्या सरकार ने पता लगाया है कि मनीपुर नागा परिषद्, नागा विद्रोहियों से मिली ई है और मनीपुर क्षेत्र में गड़बड़ी फैला रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है कि इस परिषद् को शान्ति बनाने में शामिल किया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम अपनी सीमा की गड़बड़ी दूर करने में समर्थ हैं तथा गुरिल्ला युद्ध भी कर सकते हैं ो क्या कारण है कि इन कुछ नागाओं को अब तक हम ठीक नहीं कर पाये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जो लोग लुक, छिप कर खेल खेलते हैं उनसे निबटना बड़ा कठिन काम है। सरकार इनको ठीक करने के लिए बड़ी उत्सुक है परन्तु यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा शीघ्रता से किया जा सकता है।

†**श्री रंगा** : १० वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है।

प्रश्न १०६१, १०६३ तथा १०६५ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि तीन प्रश्नों को लिया जाये। तीन मिनट शेष हैं। इसलिये एक प्रश्न एक मिनट में लिया जाये।

विशाखापत्तनम में नौसेना के तेल प्रतिष्ठान

+

†*१०६१. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कम्पनी विशाखापत्तनम में नौसेना के तेल प्रतिष्ठानों को बर्मा शैल से ले रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). विशाखापत्तनम में नौ सेना के तेल प्रतिष्ठान बहुत समय से मैसर्स बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड के पास पट्टे पर थे। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने करार की शर्तों के अनुसार उपयुक्त नोटिस दे कर पट्टा समाप्त कर दिया है। अतः ये प्रतिष्ठान बर्मा शैल कम्पनी द्वारा इंडियन आयल कम्पनी को हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

मैसर्स बर्मा शैल ने पट्टे पर प्राप्त उन स्थानों पर कई टैंक आदि बनाये थे। अतः इंडियन आयल कम्पनी को बर्मा शैल की उक्त निजी आस्तियों के लिये बर्मा शैल को धन अदा करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितना रुपया शैल कम्पनी को दिया जा रहा है और क्या इस की जांच की गई है कि जितना रुपया वह मांग रही है, वह उस की उपयुक्त कीमत होगी ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, इंडियन आयल कम्पनी तमाम मसले पर गौर कर रही है कि कितना कम्पेंसेशन के तौर पर बर्मा शैल को देना है उन इमारतों के लिये तथा उन चीज़ों के लिये जो उन्हों ने खुद बनाई हैं, उन पर खर्च किया है । लेकिन मैं यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा रकम नहीं दी जायगी ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : इस प्रतिष्ठानों में तेल संग्रह की क्षमता कितनी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सामान्य रीति यही है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों की तेल संग्रह की क्षमता नहीं बताई जाती ।

†**श्री रंगा** : बर्मा शैल ने उन संस्थापनों में कुल कितना धन विनियोग किया था जिस के लिये उसे प्रतिकर अदा करने के सम्बन्ध म बातचीत चल रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रतिकर के बारे में इंडियन आयल कम्पनी द्वारा फैसला किया जायेगा । मेरे पास इस समय वे आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या बर्मा शैल ने अभी तक कोई दावा किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इस बारे में पता नहीं है । वे दावे मेरे पास नहीं हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा वे प्रतिष्ठान हमें हस्तान्तरित कर दिये गये हैं और हमें बर्मा शैल को प्रतिकर अदा करना होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्राक्कलन समिति का यह कहना है कि अन्य पहलुओं का राष्ट्रीय-करण करने पर हमें सामान्य राशि से भी अधिक राशि प्रतिकर के रूप में देनी पड़ी है । अतः क्या सरकार बर्मा शैल को प्रतिकर अदा करने से पहले उस का अच्छी प्रकार से परीक्षण कर लेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इंडियन आयल कम्पनी इस मामले पर विचार कर रही है और मैं नहीं समझता कि वह कम्पनी बर्मा शैल को अधिक राशि अदा करेगी ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : १० मार्च को प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि उन संस्थापनों का कब्जा ले लिया गया है, परन्तु आज वे कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है और कब्जा अभी नहीं लिया गया है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इस समय वह जानकारी दे रहा हूं जो उपलब्ध है । दूसरी जान-कारी मेरे पास नहीं है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या यह जानकारी अधिक ठीक है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जो इस समय कह रहा हूं, वह अधिक ठीक है ।

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम जर्मनी द्वारा 'मार्क' का पुनर्मूल्यन

+

†*१०६३. { **श्री मुरारका :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० विजय आनन्द :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आचार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा 'मार्क' का अभी हाल में जो पुनर्मूल्यन किया गया है, क्या सरकार ने उस से पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, ो हमारे देश का खर्च कितना अधिक बढ़ जायेगा ;

(ग) इस में सरकार का हिस्सा कितना होगा और जनता का कितना ; और

(घ) क्या पश्चिम जर्मनी को होने वाले निर्यात में कोई वृद्धि होने का अनुमान है और यदि हां, तो कितनी ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पश्चिमी जर्मनी से आयात पर रुपयों में ५.०४ प्रतिशत लागत अधिक आयेगी । पूंजी तथा व्याज की अदायगी में भी उतनी ही राशि बढ़ जायेगी । संभव है कि पश्चिमी जर्मनी के निर्यात के मूल्यों में कुछ परिवर्तन हो जायें । अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि सरकार और जनता को कितनी अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी ।

(घ) भारतीय निर्यात से होने वाला लाभ अपेक्षाकृत कम होगा ।

†**श्री मुरारका** : 'मार्क' के पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार को पश्चिमी जर्मनी से लिये गये ऋणों के लिये कितनी राशि अतिरिक्त देनी पड़ेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : लगभग ६ करोड़ रुपये ।

†**श्री मुरारका** : क्या पश्चिमी जर्मनी सरकार भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर व्याज की राशि को भी कम कर देगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मुरारका** : मार्क के पुनर्मूल्यन के कारण जर्मन बैंकों ने व्याज की दर को कम कर दिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : हमें व्याज के रूप में जितनी राशि अदा करनी है वह उस व्याज पर निर्भर करती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या व्याज की दरों में भी कोई परिवर्तन होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी हां निश्चित रूप से । यदि दर कम हो गये, तो उस से हमें भी लाभ होगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मार्क के पुनर्मूल्यन से जर्मनी और भारत के बीच व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं ऐसा नहीं समझता। १९५९ में ११८.७ करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात किया गया था जबकि निर्यात केवल १९ करोड़ पयों का ही किया गया था । मैं नहीं समझता कि व्यापार पर कोई बुरा असर पड़ेगा ।

†**श्री मुरारका** : जर्मनी के वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि मा ं के पुनर्मूल्यन का ऐसे किसी भी देश पर बुरा असर नहीं पड़ेगा जिसे जर्मनी सहायता दे रहा है । परन्तु माननीय मंत्री का कहना है कि हमें व्याज के रूप में ६ लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो क्या पश्चिमी जर्मनी सरकार हमें कोई प्रतिकर अदा करेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस समय ये सभी बातें बताना सम्भव नहीं है ।

निर्वाचन आयुक्त के साथ राजनैतिक दलों का सम्मेलन

+

*१०६५. { **श्री ब्रजराज सिंह** :
श्री राम सेवक यादव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० ना० सिंह : }

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयुक्त ने १८ फरवरी, १९६१ को विभिन्न राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या उद्देश्य था और उस में क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त ने यह निर्णय किया है कि केवल उन राजनैतिक दलों के अलावा जिन्हों ने पिछले आम चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर अपना पुनर्गठन किया है, अन्य दलों को राज्य में उन का पुराना चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा, चाहे उन्हों ने पिछले आम चुनावों में स्थानों के लिये चुनाव लड़े हों और उन का विधान मंडलों के भीतर और बाहर दोनों जगह संगठन हों और अपना निश्चित कार्यक्रम और विचारधारा हो ;

(घ) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त के इस निर्णय का समाजवादी दल ने जोरदार विरोध किया है और उस विरोध के बावजूद भी यह निर्णय कर लिया गया है ;

(ङ) क्या इस प्रकार के निर्णयों से संविधान के अधीन समान अवसरों के उपबन्धों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी अड़चनें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(छ) क्या इस विषय में एक और सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है और क्या चुनाव संबंधी नियमों में कोई परिवर्तन या पुनरीक्षण की सम्भावना है ; और

(ज) यदि हां, तो वे कब किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी, हां । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से लोक सभा में १८ फरवरी, १६६१ को मुलाकात की थी ।

(ख) इस मुलाकात का उद्देश्य अगले व र्ष के आरम्भ में होने वाले आम चुनावों के बारे में समान हितों की बाबत सवालों पर अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श करना था । उस बैठक में कोई निर्णय नहीं किये गये लेकिन जो सुझाव रखे गये और जिन पर विचार हुआ उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ध्यान में रखा है ।

(ग) यह बात सही है कि मौजूदा आदेशों के अनुसार वह दल, जिस के लिये एक या अधिक राज्यों में कोई एक चुनाव चिन्ह नियत कर दिया गया है, केवल उन्हीं राज्यों में अपने उम्मीदवारों के लिये वह चुनाव चिन्ह पाने का हकदार है, उन के अलावा अन्य राज्यों में नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) और (ज). राजनैतिक दलों का ऐसा दूसरा सम्मेलन बुलाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि वह दल, जिस के लिये एक या अधिक राज्यों में कोई एक चुनाव चिन्ह नियत कर दिया गया है, केवल उसी राज्य या उन्हीं राज्यों में अपने उम्मीदवारों के लिये वह चुनाव चिन्ह पाने का हकदार हैं, उनके अलावा अन्य राज्यों में नहीं । क्योंकि इस का कोई राजनीतिक दलों पर बुरा असर पड़ रहा है, अतः क्या सरकार चुनाव आयोग को यह हिदायत देगी कि वह उक्त रीति को बदल दें ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझा नहीं, परन्तु यदि वह यह कहना चाहते हैं कि हमें चुनाव आयोग को यह हिदायत देनी चाहिये कि वे किसी भी राज्य पार्टी को यह अनुमति दे कि वह सभी राज्यों में, भले ही वहां वह मान्यता प्राप्त न हो, आपने उसी चिन्ह को इस्तेमाल कर सके तो मेरा उत्तर नकारात्मक है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : १८ फरवरी को हुए सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि १६५७ के चुनावों के बाद भी अस्तित्व में आने वाले राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को वही चिह्न दिये जायेंगे । उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त दल को अन्य राज्यों में भी भले ही वे वहां मान्यता प्राप्त न हो, उन्हीं चिह्नों का प्रयोग करने की अनुमति होगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो सुझाव देने लगे हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : उस सम्मेलन में माननीय सदस्य के दल ने ऐसा सुझाव नहीं दिया था ।

श्री ब्रजराज सिंह : चुनाव के प्रयोजनों के लिये राजनीतिक दलों को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम बनाने के बारे में चुनाव आयोग को क्या शक्ति प्राप्त है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : एक उच्च न्यायालय में इसके अधिकार को चुनौती दी गयी थी, परन्तु न्यायालय ने उस के अधिकार को स्वीकार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : उस सम्मेलन में किस किस राजनैतिक दल ने भाग लिया था ? क्या उस में केवल अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त दलों ने ही भाग लिया था या कि अन्य दलो ने भी ?

†श्री अ० कु० सेन : अन्य दलों ने भी भाग लिया था। उदाहरण के लिये स्वतन्त्र पार्टी, के प्रतिनिधि के रूप में प्रो० रंगा ने भाग लिया था। जिन दलों ने सम्मेलन में भाग लिया था वे ये हैं : कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल, संयुक्त प्रगतिशील दल (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी) सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, गणतन्त्र परिषद् और हिन्दू महा सभा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

†*१०४४. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कालिका सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें किफायत के कारण इस पक्ष में नहीं हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जायें ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में पिछले कई व र्षों से जो मामले इकट्ठे हो गये हैं उन को निपटाने के लिये सरकार का क्या प्रतिक्रिया अपनाने का विचार है;

(ग) क्या जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ). जिन उच्च न्यायालयों में कार्यभार अधिक है वहां के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश मंजूर कर दिये जाते हैं, कोई ऐसी नीति नहीं है कि केवल बचत की दृष्टि से ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न की जाये ।

इस मामले में उपयुक्त कार्यवाहियां करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जून, १९५७ से विभिन्न राज्यों के मुख्य ि यों के साथ उच्च न्यायालयों में बकाया कार्यों के सम्बन्ध में कई बार बात चीत की जा चुकी है। सितम्बर, १९५७ में विधि मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें भी इस बारेमें विचार विमर्श किया गया था और उस बैठक में की गयी सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं ताकि वे उच्च न्यायालया के परामश से उन के बारे में उचित कार्यवाही करें। उच्च न्यायालयों ने उन में से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसी समस्या पर विचार करने के लिये अक्तूबर, १९५७ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन बुलाया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां भी कार्यभार अधिक होता है उन उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जाते हैं ।

सभी उच्च न्यायालयों में पत्री वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ा कर २१० कर दिया गया है ।

विधि आयोग ने 'न्याय प्रशासन के सुधार' पर अपनी १४ वीं रिपोर्ट में बकाया मामले को निबटाने के कार्य की गति को बढ़ाने के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं। उन पर राज्य सरका ों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है । विधि आयोग की रिपोर्ट की कुछ बातों पर विचार करने के लिये जून, १९६० में विधि मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिस में उच्च न्यायालयों के बकाया कार्यों की समस्या पर भी विचार किया गया था । उस सम्मेलन की कार्यावाली और सभा की कार्यवाही की प्रति २४ अगस्त, १९६० को उपविधि मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी । उस की एका-एक प्रति १८ अगस्त, १९६० को विभिन्न राज्य सरकारों को भी भेज दी गई हैं ।

पुनर्गठित विधि आयोग न्यायालयों की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । वह इसे सरल बनाने और बकाया मामलों को शीघ्र ही निपटाने की दृष्टि से प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के सम्बन्ध में सुझाव देगा ।

कोयला संभरण संकट

†*१०४५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के सम्भरण के बारे में अभी हाल में जो संकट पैदा हो गया है, उस के बारे में कार्यका ी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और उस का समान रूप से और नियमित संभरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उ ाये गये हैं अथवा उ ाये जाने का विचार है; और

(घ) उन की विशेषतायें क्या हैं ;

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) ऐसा कोई भी कार्यका ी दल स्थापित नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के समन्वय से खान और तेल विभाग उपभोक्ताओं को कोयले का शीघ्र और अधिक मात्रा में संभरण करने के उपाय कर रहा है । उन में से कुछ एक उपाय निम्नलिखित हैं :—

(१) मध्य भारत के कोयला खानों में उत्पादन की ृद्धि करना ताकि पश्चिमी भारत— उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र तथा गुजरात के उपभोक्ताओं को इस क्षेत्र से कोयले का सम्भरण किया जा सके और बिहार बंगाल से रेलवे यातायात की भी भा को कम किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) बिहार, बंगाल के कोयला क्षेत्रों से रेल तथा समुद्र मार्ग से दक्षिण तथा पश्चिमी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रतिवर्ष दस लाख टन कोयले का अतिरिक्त संभरण करना ।

(३) कम दूरी के स्थानों के कोयला भेजने के लिये सड़क के मार्ग का उपयोग करना ।

(४) सभी कोयला खानों में सप्ताह के सातों दिन गाड़ियों में कोयला भरने का कार्य प्रारम्भ करना ।

(५) उपयुक्त उपभोग केन्द्रों में कोयले की संग्रह स्थापित करना ।

(६) जुलाई १९६१ से मुगलसराय से ऊपर की ओर १९०० माल डिब्बों की क्षमता को बढा कर २१०० कर दी जायेगी ।

किसानों की कार

†*१०५१. { **श्री दी० चं० शर्मा :** **सरदार इकबाल सिंह :** }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री, २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में जापानी किस्म की किसानों की मोटरकार (फार्म कार) बनाने की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति ई है;

(ख) क्या परीक्षण के पश्चात् स कार को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाया गया है; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय ने आयुद्ध कारखानों में या अन्यत्र किसानों की कार के निर्माण सम्बन्धी योजना को अभी रूप नहीं दिया है ।

(ख) निर्माता, (मैसर्स कोमात्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी) भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन कर रही है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि इसे भारतीय किसानों के इस्तेमाल के योग्य बनाने के लिये उस मैं क्या क्या परिवर्तन किये जाये ।

(ग) अध्ययन का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है । उसे कम लागत पर तैयार करने के लिये पर्याप्त आर्डर की भी जरूरत होगी ।

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के कर्मचारी

†*१०५९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में तथा उन की पदोन्नति, नियुक्ति आदि के बारे में अब तक कोई नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा

†*१०६०. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सर्वेक्षण से इस बात का पता चला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सब से पिछड़ा हुआ राज्य है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार का कोई विशे कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में दाखिला ४५.१ प्रतिशत है जो कि देश से सब से कम है । ११–१४ वर्ष और १४-१७ वर्ष के आयु के वर्ग का दाखिला १७.४ और ६.४ प्रतिशत है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये धन की व्यवस्था की गयी है ।

जीवन बीमा निगम

†*१०६२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का व्यवसाय १९६० के दौरान अन्य सब वर्षों से अधिक रहा और यदि हां, तो कितना

(ख) बीमा कम्पनियां राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि में प्राप्त रिकार्डों की तुलना में यह कैसा है; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम को होने वाले लाभ की अत्याधिक मात्रा को देखते हुए निगम का विचार 'प्रीमियम' की दरों में कमी करने का है ।

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) जी हां, १९६० में लगभग ४६०.०६ करोड़ रुपयों का नया काम किया गया था । ये आंकड़े अस्थायी हैं;

(ख) १९५५ में अर्थात् राष्ट्रीयकरण के पहले वर्ष में २६०.८४ करोड़ रुपये का नया काम किया गया था ।

(ग) निगम इस पर यथासमय विचार करेगा ।

विदेशों में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी

*१०६४. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, निकट भविष्य में, विदेश में भारतीय चित्रकारों की कलाकृतियों की कोई प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदर्शनी में भारत की पुरानी कलाकृतियां ही शामिल की गई हैं या आधुनिक भारतीय चित्रकला की कृतियां भी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) १९६१–६२ में होने वाली प्रदर्शनियों में सिर्फ आधुनिक पेंटिंगें शामिल की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में विस्फोट

†*१०९९. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १० मार्च, १९६१ को जो अन्तिम विस्फोट हुआ है, क्या उसके बारे में जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब स्थिति क्या है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). इस बारे में अभी जांच की जा रही है।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कोयले के निक्षेप

†*१०९७. { **श्री विजय आनन्द :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सुबांसिरी डिवीजन में कोयले के काफी बड़े निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि चन्द्र गिरि में किमन और जीरो रोड़ पर कोयले के नये निक्षप हैं। वहां पर कोयले की 'आऊट ाप' ४.९ मीटर मोटी है। ईंधन अनुसंधान संस्था द्वारा किये गये विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि यहां पर बढ़िया किस्म का कोयला है जिस में कम राख और अधिक मात्रा में ईंधन क अंश है। इसमें स्थायी कार्बन अंश ४८ से ५० प्रतिशत है।

जब तक विस्तृत जांच नहीं कर ली जाती तब तक यह बताना कठिन है कि वहां कुल कितना कोयला है।

आस्ट्रिया से ऋण

†*१०९८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री सम्पत :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मुहम्मद इलियास
डा० विजय आनन्द : }

क्या **वित्त** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया से प्राप्त ऋण की शर्तों आदि के बारे में बातचीत समाप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं। बात चीत अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आसाम में जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकार

†*१०६९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ठ :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० चं० देव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में जिला और प्रादेशिक परिषदों को और अधिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के विधान की अनुसूची के उपबन्धों में परिवर्तन करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मामला अभी विचाराधीन है।

कोरबा कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप

†*१०७०. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा कोयला क्षेत्र में एक केन्द्रीय वर्कशाप स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) केन्द्रीय वर्कशाप के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। उस रिपोर्ट को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ने प्रविधिक रूप से स्वीकार कर लिया है, परन्तु सम्पूर्ण खर्च में मितव्ययता लाने की दृष्टि से यह रिपोर्ट सभी विशेषज्ञों के पास वापस भेज दी गयी है। उसका जवाब अभी आया नहीं है।

(ख) उस वर्कशाप को कोरबा क कोयला क्षेत्रों की उन विभिन्न खानों के समन्वय में स्थापित किया जायेगा जिनके लिये रूसी विशेषज्ञों ने परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन रिपोर्टों पर अभी विचार किया जा रहा है और अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि यह वर्कशाप कब चालू की जायेगी।

केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थायें

†*१०७१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो केन्द्रीय प्रबन्ध संस्थाएं स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें कब काम शुरू होने की सम्भावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अहमदाबाद में दूस ी संस्थाएं स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ।

कलकत्ता संस्था के लिये नियुक्त एक योजना समिति इसके लिये ० ोरे यार कर रही है ।

(ख) आवश्यक सुविधायें प्राप्त होते ही संस्थाओं का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†*१०७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की स्वीकृति संख्या का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों के अभ्यंश और केन्द्रीय प्रतिनियक्ति अभ्यंश में कितनी द्धि हुई है !

(ग) जिन वर्गों के पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है, क्या उनका निश्चय करने के लिए कोई आधार निर्धारित किया गया ; और

(घ) इनमें से कितने पद 'सुपर टाइम इस्कल' वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर दो विवरण रख दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ग) सामान्यतया जिला अधिकारी तथा उससे ऊपर के सब पद, राज्य सचिवालय के वरिष्ट पद तथा विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक विभागों के अनेक पद प्रत्येक राज्य की भारतीय प्रशासन सेवा की पदाली में सम्मिलित हैं । पुलिस पदा कारियों द्वारा भरे जाने वाले सभी वरिष्ठ स्थानों पर भारतीय पुलिस सेवा के अ कारी नियक्त किये जाते हैं ।

(घ) राज्यों में 'सुपर टाइम स्केल' के पद निम्न लिखित हैं :—

भारतीय प्रशासन सेवा . .	१३३
भारतीय पुलिस सेवा	१०२

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थानों का सम्बन्ध है, वे उक्त सेवाओं में से भरे जाने के लिये विशष रूप से रक्षित नहीं हैं ।

अखिल भारतीय स्कीइंग' क्लब[1]

†*१०७३. { **श्री प्र० चं० बरुआ** : / **श्रीमती इला पालचौधरी** : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खल-कूद परिषद का विचार एक अखिल भार ीय स्कीइग क्लब स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कार्यालय कहां होगा और इस समय इसके कितने केन्द्र खोलने का विचार है और व कहां कहां पर खोले जायग; और

†मूल अंग्रेजी में

[1] Skiing Club

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) कुफरी में एक क्लब स्थापित करने का विचार है।

(ग) व्यौरे अभी ैयार किये जा रहे हैं।

पांडुलिपि क्रय समिति

†**१०७४. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, भारत-विद्यावेत्ताओं के अभी हाल में हुए सम्मेलन में दिये गये सुझाव के अनुसार कलावस्तु क्रय समिति के समान पांडुलिपि क्रय समिति की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) भारत विद्या समिति ने प्राचीन पांडुलिपियों के अधिग्रहण तथा परिक्षण के लिये एक योजना तैयार करने के लिये गत नवम्बर में एक उप-समिति की स्थापना की है।

(ख) उस समिति की रिपोर्ट गत सप्ताह ही तो प्राप्त हुई है। वह स समय विचाराधीन है।

सशस्त्र सेनाओं का वेतन-क्रम

***१०७५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा सैनिकों के उन संशोधित वेतन-क्रमों के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है जो उस समय तक निश्चित नहीं किये गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): अफसरों से, निम्न श्रेणी के सेवीवर्ग के वेतन-क्रमों में, संशोधन के बारे में, रघुरामैया कमेटी की सिफारिशों पर लिये गए निर्णयों को लागू करने वाले सरकारी आदेश, सितम्बर १९६० में जारी कर दिये गये हैं। तीनों सेवाओं के अफसरों के विभिन्न वर्गों की, स्थायी श्रेणियों के लिये, वेतन-क्रम बना लिये गये हैं। संशोधित वेतन-क्रमों को, जारी करने के सम्बन्ध में, कुछ मामलों पर, अभी सक्रिय विचार हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 'महिला समाज कल्याण' योजना

†***१०७६. श्री बं० ना० कुरील** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षत्रों में 'महिला समाज कल्याण' योजना को समाप्त कर देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना द्वारा अब तक जिस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही थी, क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, नहीं। महिला समाज कल्याण योजना—जिसे सामान्यतया कल्याण विस्तार परियोजना योजना कहते हैं—जारी रहेगी,

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि उसमें कुछ परिवर्तन कर दिये जायेंगे। समन्वित प्रकार की परियोजनायें पहले के समान चलती रहेंगी, परन्तु मूल परियोजनाओं के बहुत से केन्द्रों के कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंप दिये जायेंगे और व समस्याएं अप्रैल १९६१ से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदानों से उन कार्यों को चलायेंगी।

राजभाषा के रूप में अंग्रेजी

†*१०७७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, प्रधान मन्त्री द्वारा पिछले वर्ष संसद् में दिये गये इस वक्तव्य को क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं कि अंग्रेजी १९६५ के पश्चात् सभी सहकारी भाषा' के रूप में जारी रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो ये कदम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). सरकार ने यथा समय ससद् में एक उपयुक्त विधान पेश करने का निर्णय किया है।

छेवकी का केन्द्रीय आयुध डिपो

†*१०७८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी में जमीन के नीचे से प्राप्त सामान की कुछ मदों के बारे में जिस अग्रेतर जांच का आदेश दिया गया था, क्या सरकार ने वह जांच करा ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जांच न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी के कुछ कर्मचारियों ने लेखा पालन तथा लेखा परीक्षण की उचित क्रिया का अनुसरण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप सामान में वृद्धि/कमी हो गयी है। जांच न्यायालय की उपपत्तियों और ईस्टर्न कमाण्ड के जनरल अफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की सिफारिशें आर्मी हेडक्वार्टर्स के विचाराधीन हैं।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रादेशिक कालेज

†*१०७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार प्रादेशिक कालेज स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित कालेजों को कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। पांच वर्षों में लगभग ३८४ लाख रुपयों की लागत आयेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंडमान के लिये स्टीमर सेवा

†*१०८०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अण्डमान के लिये स्टीमर सेवाओं में वृद्धि करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन द्वीपों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो सरकारी जहाजों के वर्तमान बेड़ों में वृद्धि करने के लिये एक यात्री तथा मालवाही जहाज के अधिग्रहण की व्यवस्था की गयी है। इससे मुख्य भूमि से अधिक अच्छा पर्यटन परिवहन की व्यवस्था के कार्य में सहायता मिलेगी ।

(ग) कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच अच्छे मौसम में वायु सेवा प्रारम्भ हो गयी है । एक अन्तर्देशीय जहाज के लिये मैसर्स मजागांव डाक लिमिटेड बम्बई को आर्डर दे दिया गया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित और अधिक कार्यवाहियों की प्रस्थापना है :--

(१) गृह-पर्यटन के विकास के लिये पोर्ट ब्लेयर और कारबाइन्स में दो विश्रामगृह बनाये जायेंगे ।

(२) कुछ एक नौकाओं तथा एक मोटर बोट में मछलियां पकड़ने के उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी ।

(३) अन्तर्देशीय संचार का सुधार किया जायेगा ।

ज्योति परियोजना, फीरोजपुर

†२१३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों के आवास के लिये फीरोजपुर में "ज्योति" परियोजना के निर्माण में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री मेनन)** : क्वार्टर बनाने की प्रगति १०--३--१९६१ को इस प्रकार रही :--

(क) अफसरों के क्वार्टर .	७५ प्रतिशत ।
(ख) जे० सी० ओ० के क्वार्टर	६२ प्रतिशत ।
(ग) दूसरे सैनिकों के क्वार्टर	८१ प्रतिशत ।
(घ) नान-कैम्बेटैन्ट्स (इनरोल) के क्वार्टर्स	७५ प्रतिशत ।

महाराष्ट्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण

†२१३९. **श्री पांगरकर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र के किन किन जिलों का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण से क्या पता लगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण पिछले तीन साल से महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, चांदा, औरंगाबाद, यवतमाल, कोल्हापुर, सातारा, रत्नागिरि और थाना जिलों में सर्वेक्षण कर रहा है। जांच पड़ताल के परिणाम इस प्रकार हैं :—

प्रदेशों के मान चित्र बनाना :—१९६०–६१ में चान्दा, भंडारा, कोल्हापुर, सातारा और रत्नागिरि जिलों में लगभग ७,९०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में १:६३,३६० के पैमाने से भूगर्भीय नक्शे तैयार किये गये। भंडारा-चान्दा क्षेत्र के पूर्वी भाग में मुख्यतः आर्कीयेन मेटासेडमेन्टस, इण्टर-स्ट्रेटिफाइड इग्नेयस रॉक्स तथा बैथोलिथिक ग्रैनाइट है। कोल्हापुर, सातारा और रत्नागिरि जिलों में प्रादेशिक अध्ययन मुख्यतः दक्षिण प्रदेश की ज्वालामुखीय चट्टानों तथा उन के भूमिगत जल विषयक स्थितियों के सम्बन्ध में है। इन जिलों में पुरानी सेडीमेन्टरी, इग्नेयस और मेटामार्फिक चट्टानों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

खनिज सम्बन्धी जाँच पड़ताल :—

१. नागपुर जिले में डोलोमिटिक मार्बल के निक्षेप की विस्तृत छानबीन की गयी है। अनुमान है कि ये निक्षेप लगभग १८.३ करोड़ टन (१८.५९४ करोड़ मेट्रिक टन) हैं।

२. सावन्तवाड़ी ताल्लुक, रत्नागिरि जिले में मैंगनीज अयस्क की भी छानबीन की गयी है। (१) डिग्ने (२) फकीरपाद (३) गोलेल और (४) बांदा के पास निक्षेप आशाजनक हैं।

३. रत्नागिरि जिले में रेडी के आसपास लौह अयस्क की छानबीन की गयी है। यहां लगभग २.५ करोड़ टन (२.५४ करोड़ मेट्रिक टन) निक्षेप हैं। अनुमान है कि यह अयस्क काफी गहराई तक है और आगे खोज जारी है।

१९६०–६१ में रेडी क्षेत्र में लगभग ०.३२ किलोमीटर क्षेत्रफल में लौह अयस्क खानों के वितृस्त नक्शे तैयार किये गये थे। अभी तक दो बोर-छिद्र किये गये और उससे कोई लौह-अयस्क नहीं मिला। छिद्रण अभी जारी है।

४. चान्दा जिले में पुसार के पास लौह अयस्क निक्षेपों की छानबीन से यह पता लगा है कि वहां ऊंची किस्म का लौह अयस्क लगभग २,६४,००० टन (२,६८,००० मेट्रिक टन) है जबकि लोहारा क्षेत्र में लगभग २,१०,००० टन (२.१३ करोड़ मेट्रिक टन) निक्षेप है।

५. कुडल महल और कनकावली तालुके, रत्नागिरि जिले में चूने के पत्थर की छानबीन की गयी है। कपारडा और पिग्लीवाड़ी के पास थोड़े परिमाण में अच्छी किस्म का चूने का पत्थर निकाला जा सकता है।

६. क्रोमाइड, लौह अयस्क, सुरमा, तांबा और सोने के लिये उमरेर और भण्डारा तहसीलों के बीच के क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। इसमें से पौनो के पास केवल क्रोमाइट निक्षेप आशाजनक हैं। बताया जाता है कि सतह से ३० फीट के अन्दर लगभग ४.८ लाख टन (४.८५ लाख मेट्रिक टन) क्रोमाइट-ओर के निक्षेप हैं। विश्लेषित नमूनों में क्रोमिक ऑक्साइड ३३.६४ से ५२.४८ प्रतिशत है।

७. यवतमाल जिले में चूने के पत्थर के निक्षेपों का विस्तृत परीक्षण किया गया है। अच्छी किस्म के चूने के पत्थर के निक्षेप लगभग ४.३ करोड़ टन (४.३६९ करोड़ मेट्रिक टन) है।

---

†मूल अंग्रेजी में

८. चान्दा और यवतमाल जिलों में कोयला निक्षेपों (चान्दा-वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र) का विस्तृत भूगर्भीय नक्शे बनाने का काम नवम्बर, १९५९ से शुरू किया गया है और अब तक इस कोयला क्षेत्र में लगभग ८०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का नक्शा बनाया जा चुका है। काम अभी जारी है।

९. भण्डारा जिले में तांबा अयस्क, लोहामक्खी और सोप-स्टोन के कथित निक्षेपों के बारे में जांच पड़ताल १९५८–५९ में की गयी थी लेकिन परिणाम उत्साहजनक नहीं थे।

१०. रत्नागिरि जिले में क्रोमाइट वाले क्षेत्र के आसपास ३१.१ वर्ग किलोमीटर तक के भूगर्भीय नक्शे तथा क्रामाइट निक्षेप वाले क्षेत्र के ०.६४५ वर्ग किलोमीटर तक के बड़े पैमाने के नक्शे पूरे हो चुके हैं ताकि क्रोमाइट निक्षेपों की प्राप्ति और वितरण को नियन्त्रित करने वाले कारणों की छानबीन की जा सके। दोनों निक्षेपों के काफी नमूने इकट्ठे किये गये हैं और परीक्षण के लिये नेशनल मेटलार्जिकल लेबोरेटरी को भेज दिये गये हैं। जो निक्षेप सतह पर नहीं दिखायी पड़ते उन्हें मालूम करने के लिये जांच पड़ताल शुरू की गयी है।

११. खांडेवाल, जिला रत्नागिरि में अबरक निक्षेपों का एक नक्शा तैयार किया गया था। परीक्षणात्मक गड्ढे बनाने के लिये महाराष्ट्र सरकार के भूगभ तथा खनन विभाग के लिये कुछ स्थान चुने गये हैं।

१२. वाकलघर और बम्बई के उत्तर और दक्षिण में श्रीवर्धन और कान्हेरी क्षेत्रों में बाक्साइइट के निक्षेपों की छानबीन की गयी है।

१३. गोबिन्दपुर, जिला चान्दा के पास पुराने तांबे की धातुओं के भूरासायनिक न्यादर्श किये गये थे।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†२१४०. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर कारखाने में इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, वेल्डर आदि जैसे साधारण टैक्निशियनो के कितने पद खाली पड़े हुए हैं; और

(ख) ये पद कब और किस तरह भरे जायेंगे ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) खाली पदों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) इंजीनियर	. २९३
(२) दूसरी श्रेणियां	. २०७८

(ख) इनमें कारखाने के कुछ उन यूनिटों के लिये जो अभी चालू नही किये गये हैं, पद शामिल हैं। इन पदों पर भरती आवश्यकता पड़ने पर की जाती है। सरकार ने वर्ग १ के पदों के बराबर के पदों पर भरती अखिल भारतीय विज्ञापनों के बाद हिन्दुस्तान स्टील के केन्द्रीय चुनाव बोर्ड द्वारा चुनाव के जरिये या उसी कारखाने में निर्माण शाखा से या रूरकेला तथा भिलाई कारखानों से अधिकारियों के स्थानान्तरण से की जाती है। दूसरे पदों पर भरती परियोजना के निर्माण शाखा से स्थानान्तरण द्वारा और स्थानीय रोजगार दफ्तर के जरिये और विज्ञापन के बाद चुनाव के जरिये की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कृषि-बस्तियां

†२१४१. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं के अधीन महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किन-किन स्थानों पर कृषि बस्तियां चालू की गयी हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये अनुदानों में से अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी गयी है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में हरिजनों को कानूनी सहायता

†२१४२. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण बोर्ड ने १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश में हरिजनो को कानूनी सहायता देने के लिये कितनी रकम नियत की थी; और

(ख) क्या सारी रकम खर्च की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा)**: (क) और (ख). प्रशासन से जानकारी मांगी गयी है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में छात्रों के दौरों के लिए सहायता

†२१४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) १९५८–५९ में छात्रों के दौरों के लिये पंजाब की किन-किन संस्थाओं को और प्रत्येक को कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ख) उस सहायता से किये गये दौरों के क्या ब्यौरे (जगहों के नाम सहित) हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९९]**

किराया-खरीद के बार में कानून

†२१४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **विधि** मन्त्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में किराया-खरीद के बारे में कानून बनाने के मामले में क्या स्थिति है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: विधि आयोग ने किराया-खरीद की विधि पर विचार कर लिया है और वह इस विषय पर अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को पेश करेगा । सरकार को विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कानून बनाने का कोई प्रश्न उपस्थित होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए तकनीकी कर्मचारी

†२१४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बता सकती है कि दिल्ली में तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने के लिये कितने तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होगी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और किन किन कार्यों के लिये उनकी जरूरत होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). दिल्ली के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरे और उनकी कार्यान्वित के लिये आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जा रही है ।

विज्ञान मंदिर

†२१४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान मन्दिरों के काम की जांच करने वाली समिति की सिफारिशों पर सरकार ने आगे और क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशों पर १५ जवनरी, १९६१ को नयी दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य मन्त्री सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन में किये गये निर्णयों के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही राज्य सरकारों की सलाह से की जायेगी ।

हिन्दी का प्रचार

२१४७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी के प्रचार की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन कर का जो प्रश्न विचाराधीन था उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

२३ दिसम्बर १९६० के बाद, जब अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० का उत्तर दिया गया था, असम, जम्मू और काश्मीर और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने लिखा है कि इन राज्यों में हिन्दी के प्रचार की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । बाकी राज्यों ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है । सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्वाई के बारे में निश्चय किया जाएगा ।

राजभाषा के सम्बंध में राष्ट्रपति का आदेश

†२१४८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के संबं में राष्ट्रपति के आदेश में दिये ग निदेश कार्यान्वित कर के मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

कोरबा कोयला क्षेत्र में भूमिगत खानें

†२१४९. **श्री राम कृष्ण गुप्तः**
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री यादव नारायण जाधव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्य **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोरबा कोयला क्षेत्र की भूमिगत खानों के बारे में परियोजना रिपोर्ट मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोरबा कोयला क्षेत्र में बांकी और सुरकछार में दो भूमिगत खानों के बारे में परियोजना रिपोर्टें मिली हैं। निगम अभी उनकी छानबीन कर रहा है।

दोहरे करारोपण से बचने के लिए भारत ब्रिटिश करार

†२१५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री उस्मान अली खां :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे करारोपण से बचने के लिए भारत-ब्रिटिश करार करने के प्रश्न पर ब्रिटन के साथ बातचीत खत्म हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में कोयले की कमी

†२१५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में साफ्टकोक की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में सरकार के पास कोई शिकायतें पहुंची हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अप्रैल १९६० से प्रत्येक महिने में पंजाब को साफ्ट कोक के कितने माल डिब्बे दिये गये ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). पंजाब में कुछ जगहों पर साफ्टकोक की कमी के समाचार मिले हैं।

(ग) (१) दिसम्बर, १०६०, जनवरी, १९६१ और फरवरी, १९६१ में उपभोग के विभिन्न केन्द्रों में साफ्टकोक हाफ़ ब्लाक रेक्स में भेजा गया था।

(२) राज्य के पांच महत्वपूर्ण केन्द्रों को, जहां से और आगे उपभोग-केन्द्रों को साफ्टकोक भेजा जायेगा, ब्लाक रेक्स में साफ्टकोक भेजने की अभी हाल में व्यवस्था की गयी है।

(घ) जानकारी नीचे दी गयी है:—

महिना	दिये गये माल डिब्बों की संख्या
अप्रैल, १९६०	४३३
मई, १९६०	५१३
जून, १९६०	६८७
जुलाई, १९६०	४८७
अगस्त, १९६०	६४२
सितम्बर, १९६०	४०६
अक्तूबर, १९६०	५३८
नवम्बर, १९६०	५७५
दिसम्बर, १९६०	८२८
जनवरी, १९६१	३४४
फरवरी, १९६१	६०२

तस्कर व्यापारियों द्वारा धावा

†२१५२. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६० में कालीकट, मलाबार, में तस्कर व्यापारियों ने एक सीमा शुल्क-पदाधिकारी के मकान पर **धावा** किया था ; और

(ख) यदि हां तो ऐसी घटनाओं को आगे रोकने के लिए सरकार ने क्या खास कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) दिसम्बर, १९६० में किसी भी सीमा शुल्क पदाधिकारी के मकान पर तस्कर व्यापारियों ने हमला नहीं किया था। लेकिन कोजोकोडे के स्पेशल

†मूल अंग्रेजी में

कस्टम्स प्रिवेन्टिव सर्कल से एच सम्बद्ध एक इंस्पेक्टर ७ दिसम्बर, १९६० को जब रात की गश्त लगाकर कोजीकोडे बीच के पास अपने मकान पर लौट रहा था तब लगभग प्रातःकाल तीन बजे उसे छुरा भोंक दिया गया। पुलिस ने आक्रमणकारियों को पकड़ लिया और अब उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जांच पड़ताल से यह मालूम होता है कि आक्रमणकारी ने उस इंस्पेक्टर को गलती से नशाबंदी पदाधिकारी समझ कर उसका खून कर दिया।

(ख) कोजीकोडे की स्पेशल कस्टम्स प्रिवेन्टिव पार्टी को रात की गश्त के लिए छोटे हथियार दिये गये हैं।

स्वर्णगढ्ढा से प्राप्त वस्तुएं

†२१५३. { **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में स्वर्णगढ्ढा, अट्टपदी नामक स्थान से खुदाई करने पर कुछ मूर्तियां मिली हैं जो अजन्ता कला से मिलती जुलती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थान पर और अधिक जांच पड़ताल तथा खुदाई की जरूरत पर विचार किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं। कोई खुदाई नहीं की गयी है।

(ख) केरल राज्य के पुरातत्व निदेशक शीघ्र ही इस स्थानका निरीक्षण करेंगे।

इस्पात कारखानों के लिए टेक्निशियनों का प्रशिक्षण

†२१५४. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों इस्पात कारखानों के लिए कुल कितने टेक्निशियनों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) जिन कार्यों के लिए उन्हें शिक्षण दिया गया उन कार्यों पर उनमें से कितनों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) उनमें से कितने उपयुक्त नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). तीनों इस्पात कारखानों से १०८५ इंजीनियर और ३९२ कर्मचारी विदेशों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर वापस लौटे हैं। रूरकेला इस्पात परियोजना के ४ इंजीनियर तथा भिलाई इस्पात परियोजना के ४९ इंजीनियर और १ कर्मचारी को छोड़ कर बाकी सभी को उन पदों पर नियुक्त किया गया है जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। रूरकेला इंजीनियरों को जिन्हें कोल्ड रोलिंग मिल्स के लिए

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षित किया गया था, अस्थायी तौर पर दूसरे अनुभागों में काम पर लगाया गया है क्योंकि ये मिलें अभी चालू नहीं हुई हैं। भिलाई टेक्निशियन अभी परियोजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गुजरात में स्मारक

†२१५५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के रखरखाब और मरम्मत के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी रकम दी गयी ;

(ख) गुजरात के लिए दी गयी रकमें दूसरे राज्यों को दी गयी रकमों की तुलना में कम हैं या ज्यादा हैं ; और

(ग) यदि कोई भारी असमानता हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी करने में खर्च किया जाने वाला समय और परिश्रम उसके परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। रकमें प्रत्येक सर्कल को और न कि राज्य-वार दी जाती हैं। चूंकि वह रकमें अलग अलग स्मारकों की आवश्यकताओं पर निर्भर होती हैं इसलिए उनमें असमानता अवश्यम्भावी हैं।

सरदार नगर में मंत्री

†२१५६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदारनगर (भावनगर) में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुछ मंत्रियों के साथ उनके निजी सचिव और दूसरे कर्मचारी फाइलों के साथ गये थे और वे वहां एक सप्ताह से अधिक ठहरे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं और वहां किस प्रकार का काम किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रियों के नि ी कर्मचारियों (पर्सनल स्टाफ) ने सरकार से यात्रा भता तथा दैनिक भता मांगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये विदेशी ऋण

२१५७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋण में से कितना गैर सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया है ; और

(ख) अब तक कितना ऋण भारतीय रुपयों में दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा विदेशी ऋणों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा का कुछ हिस्सा गैर-सरकारी क्षेत्र की स्वीकृत प्रायोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा रुपये के रूप में की जाने वाली अदायगियों के मुकाबले उतनी ही विदेशी मुद्रा दे दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्यों में उत्पादन शुल्क की वसूली

†२१५८. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री सुगन्धि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री क० ऊ० परमार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य से पृथक पृथक निम्न वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क के रूप में कितना राजस्व वसूल हुआ :—

(१) दियासलाई;

(२) तंबाकू ;

(३) चीनी ;

(४) वनस्पती पदार्थ;

(५) कहवा;

(६) चाय ; और

(७) वनस्पति निर्गन्ध तेल ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०१]

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

२१५९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने गत जनवरी की बैठक में क्या मुख्य निर्णय किये हैं ;

(ख) क्या बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और उस के माध्यम के सम्बन्ध में भी कुछ निर्णय किये गये हैं; और

(ग) क्या बोर्ड ने सांध्यकालीन महाविद्यालय और पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपनी सम्मति दी है और यदि हां तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). नई दिल्ली में, १६ और १७ जनवरी १९६१ को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो २८वीं बैठक हुई थी उसकी कार्यवाहियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर कार्यवाहियों की एक प्रति जिनमें बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिशें भी शामिल होंगी यथा समय लोक सभा के पुस्तकालय को भेज दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सीमा विवाद

२१६०. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री पांगरकरः
श्री गु० के० जोधे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के अवसर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिनिधि उन दोनों राज्यों के सीमा-विवाद के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री से मिले थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस विवाद का कोई हल निकल आया है ; और

(ग) इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्री जनवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में भावनगर में गृह-मंत्री से मिले थे।

(ख) और (ग). जैसा कि राज्य सभा में १८ अगस्त, १९६० को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, दोनों मुख्य मंत्री प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित दो-दो प्रतिनिधियों की एक ऐसी समिति नियुक्त करने पर सहमत थे जो कि दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गये मामलों की विस्तार पूर्वक जाँच करेगी तथा दोनों सरकारों को विवादग्रस्त सीमाओं के विषय में उन राज्यों की सहमति तथा असहमति की कारणों सहित रिपोर्ट देगी। इन चार व्यक्तियों की समिति ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भारतीय सांस्कृतिक मंडली

†२१६१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्रः

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ के गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में एक सांस्कृतिक मंडली कराची भजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी मंडलियां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी भेजने का विचार कर रही है, जहां भारतीय उद्‌यन के लोगों की बड़ी संख्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). जी हां।

पश्चिम जर्मनी के फेडरल बैंक की व्याज दर

†२१६२. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० जनवरी, १९६१ से पश्चिमी जर्मनी के फ़ेडरल बैंक ने अपनी दर ४ प्रतिशत से घटा कर ३ १/२ प्रतिशत कर दी है।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ;

(ग) क्या उस देश के साथ हमारे भुगतान शेष की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) क्या बैंक दर में परिवर्तन से विश्व बाजार में भारत की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) बुन्देसबैंक द्वारा दिये गये शासकीय वक्तव्य से प्रतीत होता है कि मुख्य उद्देश्य पश्चिम जर्मनी की ब्याज दरों को अन्य देशों की ब्याज दरों के बराबर लाया जाए ताकि देश में परिकल्पी धन के आगमन को रोका जाए ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

संसद्-भवन के इर्द-गिर्द मूर्तियां

†२१६३. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद भवन की चारदीवारी के अन्दर अंग्रेजों की मूर्तियों को हटा कर उनके स्थान पर भारतीय नेताओं की प्रतिमाएं लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : प्रधान मंत्री द्वारा १३ मई, १९५७ को सभा में इस विषय पर दिये गये वक्तव्य के अनुसार इन मूर्तियों को हटाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाएगा जब इनको रखने के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो जाएगा । इनके स्थान पर भारतीय नेताओं की प्रतिमाएं लगाने के मामले पर तब विचार किया जाएगा जब आवश्यक धन की पेशकश के साथ इस आशय के प्रस्ताव सामने आएंगे ।

तस्कर व्यापार

†२१६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दो विदेशी जौन मैंडेल (जर्मनी) और मेरीओन रुस्थोन (आस्ट्रेलियाई) जो तस्कर व्यापार और धोखेबाजी के दो ममलों में अन्तर्ग्रस्त हैं, अब बन्दी नहीं हैं और उनके लिए देश भर में तलाश की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, हां ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

†२१६५. **श्री कालिका सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के सामान्य निर्वाचनों की समीपता की दृष्टि से, द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन अधिनियम, १९६१ के पारित होने की प्रत्याशा में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से सीमा निर्धारित करने के लिए यदि किसी अग्रेतर विधायिनी उपाय की आवश्यकता होगी, तो वह क्या उपाय होगा ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के संकेतों के इर्द गिर्द अभी भी काली लाइनें होंगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) विधेयक के विधि बनने की प्रत्याशा में निर्वाचन आयोग ने सब मुख्य निर्वाचक अफसरों से प्रार्थना की है कि वे अपने अपने राज्यों के अन्दर संसद और विधान सभा के द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के बारे में आवश्यक सांख्यिकी और मान चित्र तथा उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव भेजें । विधेयक को ९ मार्च, १९६१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है और अब उसमें विधि का सम-

---

†मूल अंग्रेजी में

कारण कर लिया है। केरल और आसाम के बारे में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के लिये निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव १५ मार्च, १९६१ को प्रकाशित हो चुके हैं और मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, गुजरात और दिल्ली से सम्बन्धित प्रस्तावों के इस महीने के अन्त तक प्रकाशित होने की आशा है। आशा है कि निर्वाचन आयोग जुलाई, १९६१ में अपना यह काम पूरा कर लेगा।

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से सीमायें निर्धारित करने के लिए, द्विसदस्यीय निर्वाचन रोक (उन्मूलन) अधिनियम, १९६१ के अतिरिक्त और किसी विधायिनी उपाय की जरूरत नहीं है।

(ग) अब इसके बाद मान्यता प्राप्त दलों के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के दल के संकेतों के इर्द गिर्द काली लाइनों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

बम्बई के गुफा मन्दिर

†२१९९. **श्री नरसिंहमन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गुफा मन्दिर बड़ी संख्या में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये गुफा मन्दिर खोखली पठार वाली चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं ;

(ग) क्या इन चट्टानों में मौनसून ऋतु में वर्षा का बहुत सा जल रस जाता है ;

(घ) क्या इस रसे हुए जल के कारण चट्टान के ऊपर अति भार में दबाव का संतुलन बिगड़ जाता है ;

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना होती है कि दबाव का सन्तुलन इतना अधिक बिगड़ जाए कि उससे चट्टानों में तरेड़ें पड़ जाएं ; और

(च) क्या मौनसून ऋतु में दबाव संतुलन मालूम करने और वर्षा के जल को मालूम करने के लिये कोई तरीका निकाला गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) गुफायें ठोस दक्षिण पठार की चट्टानों में खोदी गई हैं।

(ग) चट्टानों के अन्दर जल घुस नहीं सकता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च). जो थोड़ा बहुत जल नीचे चला जाता है, वह ढलान वाली चट्टानों या पठारों की बगलों में तथा कुछ मात्रा तक जोड़ों, तरेड़ों और दरारों में चला जाता है। गुफाई के संरक्षण की दृष्टि से वर्षा के जल के सरलतापूर्वक बह जाने और जहां आवश्यकता हो वहां गुफाओं को वाटर टाइट बनाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन दिल्ली[1]

†२१६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, दिल्ली की मास्टर प्लान अन्तिम रूप में तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हमायून् कबिर)** : (क) शोधित ड्राइंग तैयार की जा चुकी है और अब प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं ।

(ख) आशा है कि पत्री वर्ष में निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा ।

जूरी द्वारा मुकदमे पद्धति

२१६ . { **श्री विभूति मिश्र**:
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में जूरी द्वारा मुकदमा चलाये जाने की पद्धति जो है उसको समाप्त करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसा करना कब तक संभव होगा ;

(घ) किन राज्यों ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया है ; और

(ङ) कौन से राज्य इसे समाप्त करने को सहमत हो गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). यह विषय राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किए जाते हैं ।

(घ) और (ङ). निम्नलिखित राज्यों में जूरी द्वारा मुकदमे चलाने की पद्धति नहीं है :—

(१) आन्ध्र प्रदेश

(२) आसाम

(३) गुजरात

(४) केरल

(५) मध्य प्रदेश

(६) मद्रास

(७) उड़ीसा

(८) पंजाब

(९) राजस्थान

(१०) उत्तर प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Students, House Delhi.

बिहार तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने इस पद्धति को अपने राज्यों में शीघ्र समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। मैसूर तथा पश्चिमी बंगाल में इस पद्धति को समाप्त करने का प्रश्न भी राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

बीड़ी और बीड़ी का तम्बाकू

†२१६९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष में कितनी बीड़ी और बीड़ी के तम्बाकू का उपयोग किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम अनुसूची की मद संख्या ४ में, जिसके अन्तर्गत देशी तम्बाकू पर शुल्क लगाया जाता है, बीड़ी के तम्बाकू और बीड़ी के अतिरिक्त तम्बाकू के बीच कोई अन्तर नहीं माना जाता। नान-फ्लू अनिर्मित तम्बाकू के प्रशुल्क में यह उपबन्ध है कि प्राकृतिक सम और तम्बाकू को तैयार करने के तरीके के आधार पर प्रशुल्क का अनुमान लगाया जाता है। एक बार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिये अंकित ऐसे अनिर्मित तम्बाकू का बीड़ी बनाने या और कामों के लिये उपयोग किया जा सकता है। तथापि, प्रशुल्क की मद संख्या ४१ (६) के अन्तर्गत १९५९–६० में शोधित तम्बाकू की कुल मात्रा, जिसका मुख्यतया बीड़ी बनाने के लिये उपयोग किया गया है, ११६,४८५ (०००) पौंड थी। बीड़ियों के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

१९६१ में गणतंत्र दिवस समारोह पर व्यय

†२१७०. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गण त्र दिवस १९६१ के उत्सव पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) गणतंत्र दिवस उत्सव १९६१के लेखे अभी संकलित किये जा रहे हैं। १९६१ के व्यय का विवरण इन लेखाओं के तैयार हो जाने के पश्चात् सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) १९५८ से १९६० तक के वर्षों सम्बन्धी सूचना १९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की कार्यान्विति में संसद कार्य मंत्री द्वारा ९ दिसम्बर, १९६० को लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

मूल्यांकन और अनुसंधान संगठन[1]

†२१७१. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में राज्यों के सहयोग से एक मूल्यांकन और अनुसंधान संगठन तथा अर्हापण विभाग की स्थापना की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के सदस्य कौन होंगे और उनका का ` क्या होगा ; और

(ग) इस योजना का अनुमनित व्यय क्या होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). उक्त योजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इस योजना को निश्चित रूप से लिया जाएगा अथवा इसका रूप क्या होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Evaluation and Research Organisation.

दिल्ली में क्रीड़ा गांव[1]

†२१७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् में तीसरी योजना के दौरान दिल्ली में एक क्रीड़ा गांव की स्थापना के सम्बन्ध में एक चार सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन २ हैं ;

(ग) क्या तब से समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की हैं ;?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) हिज़ हाइनेस पटियाला के महाराजा ।

(२) जनरल के० एस० तिमैया

(३) श्री एन० एन० वांची,
सचिव, वित्त मंत्रालय ।

(४) श्री पी० एन० किरपाल,
सचिव, शिक्षा मंत्रालय ।

(ग) और (घ). क्रीड़ा गांव के लिये जो जमीन निश्चित की गई है, वह अभी तक हमें नहीं मिली है । इस भूमि पर कब्जा होते ही समिति अपना कार्य प्रारंभ कर देगी ।

भारतीय यात्री चैक

†२१७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यात्री चैकों के बारे में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से पश्चिमी देशों में चिन्ता प्रकट की गई है ;

(ग) ऐसे कितने मामलों का पता पिछले वर्ष में लगा है ये मामले मुख्यत किन किन देशों में हुए हैं ; और

(घ) क्या इन्टरपोल से ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में समायोजित तरीके पर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). भारतीय यात्री चैकों के सम्बन्ध में जालसाजी का कोई मामला सरकार को विदित नहीं है और इसलिये इस सम्बन्ध में इन्टरपोल को निर्देश करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी कल्याण संघ

†२१७४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा वेतन आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है;

(१) कर्मचारी कल्याण संघों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये विभिन्न मंत्रालयों में से एक केन्द्रीय कल्याण समिति की नियुक्ति ;

(२) कर्मचारी लाभ निधि को अनुदान ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sports Village.

(३) विभिन्न मंत्रालयों में वर्तमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के स्थान पर प्रशिक्षित कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति ; और

(४) कल्याण कार्यों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (१) ऐसी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं ।

(२) यह मामला विचाराधीन है ।

(३) आयोग की सिफारिश यह है कि कल्याण अधिकारियों के चुनाव में सावधानी बरती जाये और चुने गये अधिकारियों को कल्याण कार्य का प्रशिक्षण दिया जाये ।

वर्तमान कल्याण अधिकारियों को उन के अनुभव, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति के आधार पर चुना गया है । इस योजना के संपूर्ण केन्द्रीय विभागों में लागू हो जाने के पश्चात् कल्याण अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा ।

(४) इस कार्य के लिये स्टाफ कमेटियां बनाई गई हैं ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी

†२१७५. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक सेवा (आचार) नियम, १९५८ के नियम संख्या ४–क और ४–ख, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त नियमों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों पर क्यों लागू किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, १९५५ के नियम ४क और ४ख उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिन्हें नियम के उपनियम २ के दूसरे परन्तुक से छूट दी गई है, सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उपविधियों द्वारा केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, १९५५ को परिषद् के सभी कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है ।

मनीपुर का प्रशासन

†२१७६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९० के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में एक से अधिक जिले बनाने के प्रश्न का फैसला कर लिया गया है ; और

(ख) क्या ऐसे किसी प्रस्ताव को वहां के मुख्य आयुक्त ने मनीपुर में हुए पिछले आंदोलन के दौरान समाचारपत्रों में परिचालित किया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २५ जुलाई, १९६० को मनीपुर प्रशासन में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस में बताया गया था कि मनीपुर को एक से अधिक जिलों में विभाजित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारत में चीनी जासूस

†२१७७. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक चीनी तिब्बती जासूस, जिस का नाम माचू तोसी है, दो महीने पूर्व अपने पुत्र के साथ दमदम हवाई अड्डे पर उतरा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता के पुलिस अधिकारियों को उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये लेकिन वह तिब्बत वापिस जाने में सफल हो गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). संभवतः प्रश्न में माचू शाई नामक उस चीनी राष्ट्रजन का जिक्र है जो १ दिसम्बर, १९६० को दमदम हवाई अड्डे पर अपने पुत्र के साथ चिकित्सा के लिये आया था, और यदि हां, तो वह अभी भी एक हत्या के मामले में अभियुक्त के रूप में कलकत्ता में मौजद है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

दिल्ली में हाई स्कूलों के मुख्याध्यापक

†२१७८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों के पद पर विभागीय पदोन्नतियां स्नातकोत्तर अध्यापकों, सहायक जिला निरीक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिये रक्षित प्रतिशत के आधार पर की जाती हैं ;

(ख) क्या उक्त सिद्धान्त को रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) क्या पिछली जुलाई में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का प्रतिशत पदोन्नति के मामले में कम कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर जेल के कैदियों के लिये मसहरियां

†२१७९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेल पर्यवेक्षकों की बार बार सिफारिश करने एवं कैदियों के कई बार अभ्यावेदन करने के उपरान्त भी अपराधी कैदियों को मसहरियां नहीं दी गईं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मनीपुर की जेलों में आसाम जेल नियमावलि लागू कर दी गई है। इस के उपबन्धों के अधीन अस्पताल में भर्ती हुए कैदियों को छोड़ कर मसहरियां केवल (क) श्रेणी के कैदियों को दी जाती हैं। तथापि प्रति दूसरे दिन ही डी० डी० टी और पिलट का छिड़काव किया जाता है।

काकिनाडा (पश्चिम बंगाल) के इंजीनियरिंग स्टोर्स डिपो के मुअत्तिल कर्मचारी

†२१८०. **श्री मुहम्मद इलियास**
श्री स० मो० बनर्जी

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६० की हड़ताल के दौरान १३ जुलाई, १९६० को काकिनाडा (पश्चिम बंगाल) के इंजीनियरिंग स्टोर्स डिपो के ९ कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर नहीं दिया गया ;

(ग) क्या इस मामले में हड़ताल के बाद के आदेशों के जारी किये जाने के बाद अनेक मामलों का पुनर्विलोकन नहीं किया गया ;

(घ) क्या इन कर्मचारियों ने कोई अपील की है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या अपीलों पर विचार किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, हां। १५ जुलाई, १९६० को (१३ जुलाई, १९६०, को नहीं)।

(ख) से (च). इन कर्मचारियों ने अपीलें भेजी हैं और उन के मामले विचाराधीन हैं।

द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

†२१८१. **श्री च० का० भट्टाचार्य**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन के सम्बन्ध में कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस को कब अन्तिम रूप दिया जायगा ; और

(ग) नये निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में परिसीमन आदेश कब प्रकाशित किये जायेंगे?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन सम्बन्धी कार्य किसी भी राज्य में पूरा नहीं हुआ है।

(ख) द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (विघटन) विधेयक, १९६१ को ९ मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और दो महीने से पहले किसी भी राज्य के बारे में कार्य को अन्तिम रूप देना व्यवहार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग को आशा है कि वह जुलाई, १९६१ में कार्य समाप्त कर लेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) केरल और असम के बारे में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन के लिये निर्वाचन आयोग के प्रस्तावों को १५ मार्च, १९६१ को प्रकाशित किया गया था और मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, गुजरात और दिल्ली के बारे में प्रस्तावों को इस महीने के अन्त तक प्रकाशित किये जाने को आशा है ।

एम० ए० (हिन्दी)

†२१८३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कितने हिन्दी एम० ए० उत्तीर्ण व्यक्ति असिस्टेन्ट, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार हिन्दी एम० ए० उत्तीर्ण व्यक्तियों की सेवाओं का हिन्दी कार्य के लिये उपयोग करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सब मंत्रालयों को यह आदेश दिया जा चुका है कि हिन्दी में प्रशिक्षित और हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम में उपयोग किया जाये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सह आयुक्त

†२१८४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में संघ लोक सेवा आयोग के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सह आयुक्त के पद के लिये कुछ अभ्यर्थियों का इन्टरव्यू किया ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का इन्टरव्यू हुआ और कथित पद के लिये कितने व्यक्तियों को चुना गया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख) जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	इन्टरव्यू लिये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये व्यक्तियों की संख्या
१९५७	५०	८
१९५८	शून्य	शून्य
१९५९	५८	७
१९६०	शून्य	शून्य

नेवेली बस्ती

†२१८५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली बस्ती बनाने की ओर आज तक क्या प्रगति की गयी है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जहां तक रिहायशी इमारतों का सम्बन्ध है, वष १९६१–६२ के अन्त तक बनाये जाने के लिये मंजूर किये गये ७२४१ क्वाटरों में से अब तक ५२८० क्वा र्टरों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया है जिस में से २८३८ क्वार्टर हर तरह से बन कर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

जहां तक गैर-रिहायशी इमारतों का सम्बन्ध है, एक हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, मनोरंजन क्लब, श्रोतागृह, अविवाहित कर्मचारियों और दशकों के लिये होस्टल, डिस्पेन्सरी एवं—प्रसूती गृह, पुलिस स्टशन, डाक तथा तार घर, प्रशिक्षण स्कूल और सुवि ाजनक अन्य इमारतों जैसे स्थल, दुकान, मिल, लकड़ी के डिपो और अल्पहार-गृहों का निर्माण पूरा हो गया है । प्रशासी कार्यालयों, १०० बिस्तर वाले एक अस्पताल, एक सिनेमा और कुछ सुविधाजनक इमारतों पर निर्माण कार्य चल रहा है ।

रिहायशी और गैर-रिहायशी इमारतों के निर्माण-कार्य के साथ साथ सड़कों, जल-संभरण, बिजली और नालियों का काम भी चल रहा है ।

(ख) बस्ती की कुल लागत का अनुमान १० क ोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ग) जनव ी, १९६१ के अन्त तक ४.८४ करोड़ रुप े खर्च किय जा चुके हैं

मद्रास में श्रम और समाज सेवा शिविर

†२१८६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में विभिन्न सामाजिक संगठ ों द्वारा वर्ष १९५९–६० में कितने श्रम और समाज सेवा शिवि का आयोजन किया गया ;

(ख) विभिन्न शिविर लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया ; और

(ग) इस अवधि में क्या कार्य किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : : (क) १७ शिविर ।

(ख) १९६६२.८३ रुपये ।

(ग) विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थी युवक शिविरवासियों को ग्रामीण समुदाय के निकट सम्पर्क में आने का अवसर देने के अतिरिक्त शिविर वासियों ने कई छोटे छोटे कार्य भी पूरे किये जैसे उपागमन मार्गों की मरम्मत और निर्माण, खाद गड्ढे के खोदना और एक तालाब के किनारों की मरम्मत । शिविर के वासी लड़कियों ने व्यक्तिगत स्वच्छता, घर की सफाई, अच्छा रहन और खान-पीन, बच्चों की देख-भाल, हस्तशिल्प और हरिजन बस्तियों की सफाई आदि जैसे का किय ।

†मूल अंग्रेजी में ।

मद्रास में पुरातत्वीय खुदाई

†२१८७. { **श्री इलयापेरुमाल :**
श्री तंगामणि : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० और १९६०--६१ में मद्रास राज्य में कोई पुरातत्वीय खुदाई की गयी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में हिन्दी के अध्यापक

†२१८८. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में अर्हता प्राप्त हिन्दी अध्यापकों के वेतनस्तर मूल वेतन निर्धारण के समय उन की अंग्रेजी अर्हता के अनुसार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मनीपुर में अध्यापकों को छात्रवृत्तियां

†२१८९. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों को उनके प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्ति देने और वृत्तिका देने की योजनायें कार्यान्वित नहीं की गयी हैं और उस से जो रकम बची उस को मनीपुर में हाई और मिडिल स्कूलों को कुछ हिन्दी पुस्तकें वितरित करने में खर्च किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

† **शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पर रख दी जावेगी ।

मनीपुर प्रशासन के पदाधिकारियों के दौरे

†२१९०. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में मनीपुर प्रशासन के पदाधिकारियों ने कितने दौरे किये और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन पर भत्तों के रूप में कितना खर्च किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कच्चा माल

†२१६१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना-पत्थर जैसे कच्चे माल की देश की आवश्यकता और देश के खनिज संसाधनों के बीच गंभीर रूप से असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो असमानता कहां तक है ; और

(ग) इस असमानता को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जावेगी ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). यद्यपि लौह-अयस्क, कोयले और चूना-पत्थर की खपत इसके इस्तेमाल पर और कुछ हद तक अपनायी गयी प्रणाली पर निर्भर हैं, भारत में एक १० लाख टन वाले इस्पात संयंत्र में लगभग १८ लाख से २० लाख टन तक लौह-अयस्क, १६ से १८ लाख टन तक कोयला और ६ से ८ लाख टन तक चूना पत्थर की औसतन वार्षिक खपत होती है । इस समय लौह-अयस्क लगभग २१,००० लाख टन भंडार है । गणित के हिसाब से इतना ही कोयला होना चाहिये और लगभग ७०,००० लाख टन चूना-पत्थर होना चाहिये । परन्तु ोकिंग कोयले का भंडार केवल २०,००० लाख टन है और लौह-अयस्क और कोकिंग कोयले के क्षेत्र में चूने-पत्थर का भंडार लगभग १००० लाख टन का है। कोकिंग कोयले और चूना-पत्थर का और पता लगाने के लि े निरन्तर खोज की जा रही है । तथापि इस समय उद्देश्य यह है कि बढ़िया किस्म के चना-पत्थर का पता लगाया जाये जो वर्तमान इस्पात उद्योग और भविष्य में बढ़ने वाले उद्योग के अवलम्ब के लिये आवश्यक है ।

इस असमानता से इस्पात उद्योग के बढ़ने को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिये । ऐसे देश हैं जहां बड़े और बढ़ रहे इस्पात उद्योग हैं और जो एक या अधिक प्र ुख कच्चे माल के आयात पर निर्भर हैं। जैसे ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यदि किसी कच्चे माल की कोई कमी हुई तो वह आयात किया जायेगा । तथापि, यदि प्रौद्योगिकीय विकास से कोकिंग कोयला और बढ़िया किस्म के चूना पत्थर के इस्तेमाल के बगैर बड़े पैमाने पर लोहा और इस्पात का आर्थिक प से उत्पादन हो गया, तो यह आवश्यक नहीं है ।

प्रतिरक्षा सेवा सेलिंग क्लब

†२१६२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला, दिल्ली में एक प्रतिरक्षा सेवायें सेलिंग क्लब का उद्घाटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कितनी लागत आयी है और इसके संधारण और कार्य पर क्या आवर्ती व्यय किया जायेगा ;

---

†मूल अं ेजी में

(ग) इस समय क्लब में कितने सदस्य हैं; और

(घ) क्लब को इस समय कितनी नौकाएं दी गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ) ओखला में प्रतिरक्षा सेवायें सेलिंग क्लब एक गैर-सरकारी निकाय है जिससे भारत सरकार का कोई प्रमुख सम्बन्ध नहीं है। भारत सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती और न ही इसको भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता मिलती है ।

दिल्ली में प्राथमिक स्कूल

†२१९३. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्राथमिक स्कूलों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुदान दिया जाता है ;

(ख) उनमें से कितने स्कूल गांवों में हैं ;

(ग) अनिवार्य शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में कितने नये स्कूल खुलेंगे ; और

(घ) गावों में कितने स्कूल खुलेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आठ ।

(ख) एक ।

(ग) और (घ) अनिवार्य शिक्षा की योजना के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकाय अपने अपने क्षत्रों में नये स्कूल खोलेंगे । इस सम्बन्ध में वे ठीक ठीक आवश्यकताओं का पता लगा रहे हैं ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई तथा हायर सैकेंडरी स्कूल

†२१९४. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने हाई तथा हायर सैकेंडरी स्कूल हैं जिन्हें (२८ फरवरी, १९६१ तक) मान्यता प्राप्त हो गई है;

(ख) इनमें ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें विज्ञान-विषय के शिक्षण की व्यवस्था है; और

(ग) इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग) दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में ४१ मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूल हैं (सभी हाई स्कूल उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदले जा चुके हैं) १-८-६० को इन स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या १६,१३४ थी। इनमें से पंद्रह स्कूलों में विज्ञान विषय के शिक्षण की व्यवस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

†२१६५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में, एक सदस्यीय आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप, होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता के लिये संघ सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितना धन मांगा है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में महिलाओं से छेड़छाड़

†२१६६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम दो महीनों में दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न भागों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई ;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) पिछले वर्ष इसी अवधि में उनकी संख्या कितनी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ६ ।

(ख) ८ मामले न्यायालय में लम्बित हैं और एक मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) ६ ।

रायपुर में विश्वविद्यालय

†२१६७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रायपुर (मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश) में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना है कि आगामी शिक्षा वर्ष से विश्वविद्यालय का सत्र आरम्भ किया जाये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

विदेशों के लिये करेंसी नोटों का मुद्रण

†२१६८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में किस विदेशी सरकार ने नासिक रोड में इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस को उनके लिये करेंसी नोट छापने का आर्डर दिया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसके लिये सिक्यूरिटी प्रैस को छपाई शुल्क के रूप में कितनी धनराशि मिली ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) किसी ने भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोहे और इस्पात का कोटा

२१९९. श्री रामजी वर्मा : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में कितने व्यक्तियों को लोहे और इस्पात का विशेष कोटा मंजूर किया गया;

(ख) कितने लोगों को वस्तुतः कोटा दिया गया और कितने लोगों का कोटा मंजूर होने पर भी नहीं दिया गया; और

(ग) स्वीकृत कोटा न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) । पतले माप की चादरों और तारों को छोड़ कर शेष सब प्रकार के इस्पात के लिये कोटा-प्रणाली को खत्म कर दिया गया है । कभी कभी इन किस्मों का विशिष्ट प्रयोजन के लिये तदर्थ बंटन किया जाता है जैसे प्राकृतिक प्रकोप से हुये नुकसान के कारण फिर से बसाने का काम । ऐसी हालतों में वंटन सम्बद्ध पुरोनिधान प्राधिकारियों को किया जाता है जो विभिन्न दलों को आवश्यक प्राधिकरण जारी करते हैं । स्वीकृत कोटा न देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में चूहों और हाथियों द्वारा फसल को क्षति

†२२००. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिवारों के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही की है जिनकी फसल इस वर्ष त्रिपुरा में रायमा और सरमा क्षेत्रों में चूहों और जंगली हाथियों ने बुरी तरह नष्ट कर दी ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने परिवार प्रभावित हुये हैं; और

(ग) उनको आवश्यक सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) वर्ष १९६० में त्रिपुरा में अमरपुर सब-डिवीज़न के रायमा सरमा क्षेत्र में जंगली चूहों और हाथियों के छितराये हुये आक्रमण के कारण झूम फसल को मामूली क्षति हुई और इसलिये आकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं हुई ।

जुलेवाडी, त्रिपुरा में अग्निकांड

†२२०१. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६१ के महीने में त्रिपुरा के बेलोनिया सब-डिवीजन के अधीन जुले बाडी में दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या जुलेबडी के निवासियों को अपने मकान फिर से बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता अथवा ऋण दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २३ फरवरी, १९६१ को रात्रि १२–३० बजे जुले बाडी में अचानक आग लग गई जो दूब [1] से भरी दुकान से आरंभ हुई। आग से साठ दुकानें और एक मकान भस्म हो गये ।

(ख) और (ग). सार्वजनिक अंशदान में से पीड़ित व्यक्तियों को ८०० रुपये की सहायता दी गई। प्रादेशिक परिषद् ने सहायता के रूप में ६०० रुपये और देने का आश्वासन दिया है। क्षतिग्रस्त मकान फिर से बनाने के लिये यदि किसी और सहायता अथवा ऋण की आवश्यकता हुई तो उस पर जांच करने वाले जिला मजिस्ट्रेट का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

विदेशों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी

२२०२. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये चालू वर्ष में छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों) के लिये भारत सरकार की विदेशी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ में संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार १२ उम्मीदवार निम्न लिखित विषयों में अध्ययन करने के लिये चुने गये हैं :—

इंजीनियरी	८
चिकित्सा-विज्ञान (मैडिसिन)	२
कृषि	१
मानव विज्ञान	१

इन बारह उम्मीदवारों में से पांच चुनाव के समय नौकरी कर रहे थे ।

साहित्य अकादमी का छमाही पत्र

२२०३. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी अंग्रेज़ी में एक छमाही पत्र प्रकाशित करती है जिसमें भारत के समकालीन साहित्य सम्बन्धी जानकारी होती है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इसके हिन्दी में प्रकाशित होने की संभावना है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

साहित्य अकादमी के प्रकाशन

२२०४. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष साहित्य अकादमी ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित कीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sun-Grass

(ख) उनमें ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनके लेखक या सम्पादक साहित्य अकादमी के सदस्य या सलाहकार हैं ;

(ग) कितनी पुस्तकों के अनुवादक साहित्य अकादमी के सदस्य थे ;

(घ) साहित्य अकादमी अनुवादकों का चुनाव किन आधारों और प्रतिमानों के अनुसार करती है ;

(ङ) क्या साहित्य अकादमी योग्य अनुवादकों की कोई सूची रखती है; और

(च) इस सूची के कितने अनुवादकों को अब तक कार्य दिया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कलैंडर वर्ष १९५९---३४ किताबें।

कलैंडर वर्ष १९६०-६१ ३६ किताबें ।

(ख) ८

(ग) ७.

(घ) संबंधित भाषा के सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों से अनुवादकों का चुनाव किया जाता है । पुस्तक को छापने के पहले, सबंधित सलाहकार बोर्ड के एक या एक से ज्यादा सदस्य अनुवाद की जांच करते हैं और फिर वह बोर्ड को अंतिम मंजूरी के लिये भेजा जाता है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) ४६.

जापान में अफ्रीकी एशियाई लेखक सम्मेलन

२२०५. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस मास के अन्त में जापान में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिये साहित्य अकादमी की ओर से एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिये कोई निमंत्रण मिला है ; और

(ख) क्या भारत सरकार इस सम्मेलन में कोई दर्शक अथवा पर्यवेक्षक भेज रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

२२०६. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन अपने कार्य में हिन्दी के समुचित प्रयोग के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : दिल्ली प्रशासन ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, जो अभी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वंड़ाकुमार प्रताप गंगादेव बामरा को गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना था पर वह अनुपस्थित हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: श्रीमान् मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२]**

सभा-पटल पर रखे पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान् मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १८६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४५ में प्रकाशित अखिल भारतीय पुलिस सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६१।

(दो) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४७ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) द्वितीय संशोधन नियम, १९३१ ।

[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७६७/६१]

प्राक्कलन समिति

एकसौ दसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (मंगलौर) : मैं डाक तथा तार विभाग (भाग १) डाक तथा तार निदेशालय सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का एक सौ दसवां प्रतिवदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों के लिये मांगें—(जारी)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : इस बात से हमें प्रसन्नता है कि जिन लोगों ने आजादी के संघर्ष में भाग लिया उनका परिचयग्रंथ छापा जायेगा । जिन लोगों को उस समय काले पानी भेजा गया उनका उल्लेख उसमें होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

चलचित्रों के बारे में भी कुछ कहा गया किन्तु वास्तव में सेंसर वालों की अपनी ही कठिनाइयां हैं। वह अधिनियम से आगे नहीं जा सकते। उधर चलचित्र निर्माता भी बड़े चालाक होते हैं। वे चालाकी ही से कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर श्री अजीत बोस ने सर्वेक्षण कर के बताया है कि हमारे ६५ प्रतिशत चलचित्रों में हत्या का प्रयास दिखाया जाता है और ६० प्रतिशत में विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक कथा का प्रदर्शन होता है। सेंसर वाले वर्तमान कानून के भीतर रह कर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

देश में बच्चों के लिए स्वस्थ्य चलचित्रों का निर्माण होना चाहिए। इस के लिए १० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। परन्तु यह रकम कम है। मुझे आशा है कि भविष्य में और ज्यादा उपबन्ध किया जायेगा।

इसके बाद मैं आल इंडिया रेडियो के कलाकारों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि कलाकारों की सेवा सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के बिना यह सब सुधार कैसे संभव है। अतेव कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित रहनी चाहिए। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय इस दिशा में ध्यान दे कर सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही करेंगे।

उनका नारा ही है कि "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"। इसलिये उन्हें इसका अनुसरण करना चाहिए।

हमें आशा है कि उनके साथ न्याय किया जायेगा।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, इनफारमेशन और ब्राडकास्टिंग के मुहकमे की तरक्की देख कर खुशी होती है। मैं जानती हूं कि मिनिस्टर साहब इस तरक्की से बहुत खुश नहीं हैं और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं।

विविध भारतीय सर्विस को देख कर भी बहुत खुशी होती है और हर महीने इसके बारे में ४०,००० पत्र इसके दफ्तर में आते हैं इसी से मालूम होता है कि यह सर्विस कितनी पापुलर है। इसमें हर जबान के सुन्दर गाने रहते हैं। मद्रास का सुन्दर म्यूजिक भी इसमें रहता है।

डाक्यूमेंटरी फिल्म्स के बारे में मुझे यही कहना है कि इसमें भी काफी उन्नति हुई है। केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही नहीं, दूसरी १३ भारतीय जवानों में यह डाक्यमेंटरी तैयार किए जाते हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इन्सान चाहता है कि देखता ही रहे। उनको देखते देखते लोग थकते नहीं।

इसके अलावा जो सब से बड़ी चीज इस मिनिस्ट्री ने इधर की है वह है चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी का बनाना और उसके अन्दर फिल्मों को तैयार कराना। आजकल इन्होंने तीन फिल्म तैयार किए हैं। उन फिल्मों का यह हाल है कि जिर, आप जाएं सारे बच्चे उन्हीं फिल्मों का जिक्र करते हैं। मीरा का चित्र, चेतक और ईद मुबारक ये ऐसे तीन फिल्म हैं जिनको बच्चे भलते नहीं हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन हाउस के बच्चे दो दिन हुए मेरे पास

आए और उन्होंने मुझ से कहा कि हम एक ही चीज आपसे मांगने आए हैं और वह यह है कि आप हमें ये तीनों फिल्म कांस्टीट्यूशन हाउस में किसी तरह से दिखा दें । और मैं ने दरख्वास्त की है कि ये फिल्म कांस्टीट्यूशन हाउस में दिखायें जाएं। ऐसे ही फिल्म बनाने चाहिए जो कि बच्चों के दिल पर नक्श हो जाएं। जिन बड़ों ने भी इन फिल्मों को देखा है उनको भी वह पसन्द आए हैं ।

कल भाई त्यागी जी ने जो कुछ कहा और जो बेतुके गाने हमको सुनाए, वह मेरी समझ में नहीं आता कि सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिए। एक गाना दूसरे से रद्दी और गलत था। मैं ने पिछली बार भी कहा था कि एक दफा में गलती से एक फिल्म देखने चली गई, जिस में मैं ने "लारा-लप्पा" देखा---जिस का चर्चा मैं ने पहले भी किया था---और मेरी तबियत घबरा गई । लेकिन मैं ने देखा कि उस गाने का ट्यून अंग्रेजी नाच का था और उस की जबान और उस के विचार वैसे गन्दे नहीं थे, जैसे कि उन गानों के थे, जो श्री त्यागी ने कल पेश किये थे । कल मैं ने देखा कि उन में गुस्सा भरा हुआ था और वह गुस्सा ठीक भी था, लेकिन इस के बावजूद वह उन गानों को गाते ही गये और उन को मजा भी आया। उनकी हालत देख कर मैं सोचने लगी कि उन गानों के बारे में हमें गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी हम उन को पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मजा तो उन को भी नहीं आया । जैसे माननीय सदस्या को लारा-लप्पा से दुख हुआ, वैसे ही उन को भी हुआ ।

श्रीमती उमा नेहरू : मुझे वह गाना देख और सुन कर मजा नहीं आया था । मैं तो वहां डांस देखने गई थी कि वह रम्बा है या सम्बा है ।

कल श्री त्यागी ने जो गाने सुनाये, वे अजीब अजीब किस्म तर्ज के थे । मैं ने खुद उन गानों को सुना और देखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सेंसर बोर्ड इस बारे में क्या कर रहा है और अगर वह कुछ नहीं करता है, तो क्यों नहीं मिनिस्टर साहब उस को अलग कर देते। सेंसर बोर्ड को यह समझना चाहिये कि हमारे देश के हित के लिये क्या फायदेमन्द है और क्या नुक्सानदेह है । या यह हो सकता है कि ये चीजें उस के **बियांड इमैजिनेशन** हैं। अगर ऐसी बात है, तो उस को अलग कर देना चाहिए। हम यह नहीं देख सकते कि हमारे देश में ऐसी फिल्में बनें । गानों के अलावा फल्मों के नाम भी ऐसे हैं, जिन को मामूली थर्ड क्लास के लोग, तांगे वाले और इक्के वाले भी पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये या तो सेंसर बोर्ड को दुरूस्त करना है, या उस को फौरन अलग कर देना है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : उन तमाम गानों में औरतों की तारीफ है, इसलिये वे श्रीमती उमा नेहरू को नागवार नहीं गुजरेंगे। उन में औरतों की खूबसूरती और दूसरी चीजों की ता ीफ है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : स्त्रियां इज्जत चाहती हैं, इस की तारीफ नहीं ।

श्री मती उमा नेहरू : इस बारे में मुझे यह कहना है कि जो स्त्रियों के खैर-ख्वाह हैं, शुभ-चिन्तक हैं, उन को एक दूसरी नजर से स्त्रियों को देखना चाहिए। उन गानों में स्त्रियों के

[श्रीमती उमा नेहरू]

चेहरे वगैरह का जिक्र होता है--उन में बताया जाता है कि उन की गाल कटोरे हैं और आंखें ऐसी हैं। स्त्रियां यह पसन्द नहीं करती हैं कि कोई उन के सामने इस तरह के गाने गाये ।

अगर मिनिस्ट्री के सामने किसी तरह की दिक्कतें हैं, जिन की वजह से यह सेंसर बोर्ड रहेगा और कोई कानून ऐसे हैं, जिन की वजह से ये गाने होंगे, तो मुझे एक ही बात कहनी है कि हम हरगिज नहीं चाहते कि हम यहां पर सरकार के विरूद्ध कुछ भी बातें कहें, लेकिन अगर हम ने अपने यहां ऐसी सभ्यता पैदा की, तो पानी सिर से ऊंचे हो जायेगा । अगर एक वैलफेयर स्टेट की सभ्यता यह है, तो हम स्त्रियों का, माओं का यह फर्ज है कि हम समाज का चरित्र बनायें, हम को इस पार्लियामेंट में नहीं आना है, हम को बाहर काम करना है । हम ऐसा समाज तैयार न करें, जहां ऐसे गाने गाये जाते हैं।

कल किसी ने यह भी कहा कि हम सेंटीमेंट्स के खिलाफ़ हैं। हम सेंटीमेंट्स के खिलाफ़ नहीं हैं। लोगों को यह ख्याल होता है कि ये प्यूरिटन्ज हैं, इन को सेंटीमेंट्स बुरे लगते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम को सेंटीमेंट्स अच्छे लगते हैं। वगैर उन के यह दुनिया नहीं चल सकती है । लेकिन वे सेंटीमेंट्स ऊंचे पाये के हों--वे नीचे पाये के नहीं होने चाहिए। हमारे यहां अच्छे गानों की कमी नहीं है । हमारे यहां अच्छे गाने बहुत हैं। इसलिये जो भद्दे गाने हैं, जिन का न सिर है और न पैर है, उन को सभ्य सोसायटी के सामने नहीं लाना चाहिए। अगर ऐसे गानों को समाज के सामने लाना बन्द न किया गया और वे चलते रहे, तो समाज का दिमाग खत्म होने वाला है। यह नहीं रह सकता है, अगर ऐसे लोग पैदा होंगे, और ऐसे गाने गाये जायेंगे ।

मुझे मिनिस्टर साहब से यह भी कहना है कि इतने साल हो गये और हम रोज-बरोज तरक्की कर रहे हैं लेकिन अगर आज भी हम किताबों की दुकानों पर जाते हैं, तो सैक्स, मर्डर वगैरह के बारे में फारेन किताबें और मेगजिन दिखाई देते हैं, जिन को हमारे नौजवान और बच्चे पढ़ते हैं। मुमकिन है कि घर के डर के मारे वे उन को सामने न लाएं, लेकिन सब उन को खरीदते हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० कसकर) : किताबों वगैरह का यह मामला होम-मिनिस्ट्री का है । अगर इस को उन के सामने रखा जाये, तो मुनासिब होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि यह मामला होम मिनिस्ट्री का है।

श्रीमती उमा नेहरू : आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सारी सरकार एक बाडी है और ये मिनिस्ट्रीज अलग अलग लिम्ब हैं।

आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : मिनिस्ट ।को एक दूसरे से वास्ता नहीं है ।

श्री मती उमा नेहरू : अगर कोई यह कहे कि यह मेरा काम नहीं है, तो मुझे दूसरे के दरवाजे जाना है और इल्तजा करनी है । अगर उन का नहीं भी है, तो भी अगर उस से उन के महकमे को नुक्सान पहुंचता है, तो वह उस महकमे को कह सकते हैं।

डा० केसकर : जरूर कहेंगे ।

श्रीमती उमा नेहरू : यही मैगजिन्ज फिर पिक्चर्ज बन बन कर आते हैं और हमारे लोग, नौजवान और बच्चे उनको देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे चोरी करें, कैसे पिक-पाकेटिंग करें, कैसे फांसी दें । ये सब चीजें पिक्कर्ज में दिखाई जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मिनिस्टर साहब उन सब बातों का पूरा ख्याल करेंगे, जो कि नेशन के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिये जरूरी हैं।

जो फिल्में बड़ों के लिये होती हैं, जो एडल्ट्स के लिये होती हैं, उन को बिल्कुल अलग होना चाहिए और बच्चों को उन्हें देखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । मैं ने देखा है कि मां-बाप अप` बच्चों को भी 'एडल्ट" फिल्म्ज में ले जाते हैं, जिस से बच्चों को बहुत नुक्सान होता है । फिल्म्ज किस किस्म की आयें, यह सवाल है । बच्चों के लिये तीन बहुत सुन्दर फिल्म्ज तैयार की गई हैं । हैल्थ और एडूकेशन पर भी फिल्म्ज तैयार की जा सकती हैं और उन को तरह तरह से पेश किया जा सकता है ।

ज्यादा न कह कर मैं मिनिस्टर साहब से तीन बातें कहना चाहती हूं । अगर उन्होंने उन पर अमल किया, तो मैं समझती हूं कि हमारी बहुत सी तकलीफें दूर हो जायेंगी । पहली यह है कि सेंसरशिप को सख्ती से लागू करना चाहिए---सख्ती से उस को बर्तना चाहिए । दूसरी यह कि फिल्म प्रोड्यूसर्ज लाइसेन्स्ड होने चाहिए और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि जिस का जी चाहे, वह फिल्म तैयार करने लगे । तीसरी यह कि बच्चों की फिल्म्ज पर ज्यादा ध्यान दिया जाये, क्योंकि देश को उन की बहुत जरूरत है ।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं कि जो कामनमैन कहलाता है, जो गरीब है, वह रेडियो जिस तरह से वे आज महंगे हैं, खरीद नहीं सकता है। मैं चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब ऐसा बन्दोवस्त करें, चाहे इसको वह करें या इंडस्ट्री मिनिस्टरी करे या कोई और महकमा करे, कि रेडियो सस्ते बनें और सस्ते बिकें ताकि गरीब लोग ले सकें।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वजारत इत्तिलात और नशरयात के जिमनी मुतालिबात पर आज मैं पहली बार हिस्सा ले रहा हूं। जहां तक इस वजारत का ताल्लुक है, इस वजारत का काम कदरे दूसरी वजारतों के कामों से जरा मुख्तलिफ है। यही एक ऐसी वजारत है जिसका ताल्लुक हिन्दुस्तान के रहने वाले तमाम लोगों के साथ और साथ ही साथ बाहर की दुनिया से भी है। इस वजारत का हकीकी काम यह है कि यह यहां के रहने वालों को इस मुल्क की इक्तसादी, सियासी, समाजी और दूसरी तरक्कियों से मुतारुफ कराये और लोगों को बताये कि हमारे मुल्क में क्या-क्या तरक्की के काम हुए हैं और क्या क्या होने वाले हैं। जहां तक मंसूबा बन्दी का ताल्लुक है, और दूसरे महकमों के मुताल्लिक छोटे-छोटे पब्लिसिटियों के कामों का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर यह वजारत इसमें किसी हद तक कामयाब हुई है। बड़े-बड़े फोल्डर बनाये गये हैं, काफी इशतहारात छापे जा रहे हैं और छापे गये हैं, इस मुल्क में टूरिज्म को मकबूल करने के लिए।

लेकिन मैं वजीर साहब की तवज्जह एक सब से अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिस मसले का मैं जिकर करने जा रहा हूं, वह ऐसा मसला है जिस पर इस मुल्क की बुनियाद है, जिस पर इस मुल्क की हर तरक्की का काम मबनी है। वह मसला यह है कि यहां के रहने वालों में, यहां की कौम में यकजहती हो, यहां के लोग बिला लिहाज मजहब और मिल्लत के, बिना इस बात का लिहाज रखे हुए कि वे हिन्दुस्टान के शुमाल में रहते हैं

[श्री अ० मु० तारिक]

या जनूब में, मशरिक में रहते हैं या मगरिब में, सब एक हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। इस वजारत का यह काम है कि वह लोगों को यह एहसास करा दे कि हम सब हिन्दुस्तानी है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वजारत इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग इस काम को सरअंजाम देने में नाकाम रही है। मैं मिनिस्टर साहब से इस बात का इस एवान में जवाब चाहता हूं कि वह बतायें कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया है। उनके मातहत जितनी भी आर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वह आल इंडिया रेडियो हो, चाहे पब्लिसिटी डिवीजन हो, चाहे फील्ड पब्लिसिटी हो, चाहे इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट हो, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में क्या कदम उठाये हैं। यह तो बहुत आसान काम है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब का फोटो छाप कर उसके लम्बे-लम्बे पोस्टर बनायें और लोगों से कहें कि बाहर फलां फलां मेहमान आ रहा है और उसका वे इस मुल्क में इस्तकबाल करें। पब्लिसिटी पर, जनाबेवाला, हम लाखों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले महीने में इस मुल्क के वजीर आजम की जो एक बड़ी तारीखी तकरीर हुई है, जो कि पालिसी की अहमियत रखती थी और जिसमें उन्होंने इस मुल्क में रहने वाली तमाम अकलियतों को जमानत दी थी कि उनके मफाद की हिफाजत की जाएगी और जिसमें हिन्दुस्तान के वजीर आजम के जजबात थे जिसमें महात्मा गांधी के फलसफे हयात थे, उसको किस हद तक लोगों तक पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया। यह कोई मामूली तकरीर नहीं थी। कहां तक इस वजारत ने जबलपुर के सितम रसीदह इन्सानों तक इसको पहुंचाया है और कहां तक उसको इसमें कामयाबी हासिल हुई है, यह मैं वजीर साहब से जानना चाहता हूं। आल इंडिया रेडियो ने कितनी दफा उस तकरीर के रिकार्ड को बजाया और क्या उसे कोई फीचर के जरिये लोगों तक पहुंचाया गया है? क्या इसके बारे में कोई फीचर फिल्म भी बनाई गई है? प्लानिंग और दूसरी चीजों के बारे में मैं जानता हूं कि फिल्में बनाई गई हैं और ये फिल्में फिलम्ज डिविजन के जरिये बनाई गई हैं। लेकिन क्या कोई इस तरह की भी फिल्म बनाई गई है जिसको लोगों को दिखा कर हम उनको फिरकादाराना फसादात से बाज रखें।

बहुत ज्यादा पैसा हम बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों को छापने पर खर्च करते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी छोटी छोटी किताबे छापी गई हैं और लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाई गई हैं और ऐसी जबान में लिखी गई हैं जिनको कि वे समझ सकते हो और जिनमें उनको यह बताया गया हो कि यह मुल्क उनका है, इस मुल्क की इक्तसादियात पर उनका हक है और मजहब के बारे में जो फितना यह दूसरी चीजें पैदा की जाती हैं उनकी रोक थाम की जाए और आपस में लोग लड़ाई झगड़ा न करें।

हमारे पास प्रेस रजिस्ट्रार है, बहुत बड़ा अमला है और हमारे सामने यह वाका भी है कि जब बाहर से कोई भी बड़ा आदमी आता है हिज मजस्टी आता है या मलिका आती है तो ऐसा मालूम होता है कि प्रेस इनफार्मेशन ब्योरो में, बजारत इत्तिलाआत और नशरयात में एक इनकलाब सा पैदा हो गया है, भागम भाग और दौड़ धूप होती है और उस वक्त न इनफार्मेशन डिपार्टमेंट को पता चलता है और न ही किसी और अफसर को पता चलता है कहीं कुछ और भी हो रहा है, जिसकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। किसी को फुरसत ही नहीं होती है। जब मुल्क में फसाद होते हैं या दूसरी कोई इस तरह की हलचलें होती हैं तो किसी को भी ऐसा मालूम होता है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह के वाकात होते हैं तो कितनी वार आपके अफसरों की तरफ से इस

बात की कोशिश की गई है कि अखबारनवीसों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वे ऐसी खबरें क्यों छापते हैं, जोकि उनको नहीं छापनी चाहियें। हम उनको काग़ज मुहैया करते हैं, उनके अखबारों के लिए उनको मटीरियल पेश करके लाखों रुपया उनको देते हैं, यह पब्लिक का पैसा है, और गवनमैंट को यकीनी तौर परयह हक हासिल है कि वह उनको इश्ताल अंगेज खबरें छापने से रोके। ये जो सब बातें हैं, इनके मामले में यह वजारत यकीनी तौर पर कामयाब नहीं हुई है। इस एवान को यह पूछने का हक है कि उसने क्या कुछ किया है। मैं चाहता हूं कि इस वजारत के बारे में एक बाकायदा एन्क्वारी हो। यहां के लोगों को वह यह नहीं समझा सकी है कि हिन्दुस्तान का असली मसला क्या है। हिन्दुस्तान के लोग एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वजीर साहब जब जवाब दें तो इन बातों पर भी रोशनी डालें।

प्लान के बारे में बहुत सी फ़िल्में आपने बनाई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी फिल्में हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद के बारे में बनाई गई हैं, इत्तिहाद को तारीख के बारे में बनाई गई हैं। जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं वे ही आइंदा मुल्क को चलायेंगे, वे ही आइंदा मुस्तकबिल के लीडर होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी मिलमें बनाई गई हैं जिन में नानक की वहदियत, गौतम की मुहब्बत और चिस्ती की हकीकत पर रोशनी डाली गई हो। मैं समझता हूं कि इस वजारत का फ़र्ज था कि वह इस तरह की फिल्में भी बनवाती।

पब्लिकेशस डिवीजन ने कई सवाने उमरियां छपवाई हैं। बहुत सी लिखी गई हैं और बहुत सी लिखी भी जाती रहेंगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी लिखी गई हैं जिन को छोटे छोटे बच्चे, आम देहाती लोग, किसान लोग, गांवों में रहने वाले लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को मालूम है कि अबुल कलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपालानी और दूसरे लोग हाथ से हाथ मिलाकर चले थे और हिन्दुस्तान को आजाद करवाया था। इस वजारत में जितने भी अफ़सर हैं अगर मैं सब से पूछूं कि क्या उनको अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम मालूम है तो अगर उनमें से पांच परसेंट भी बता दें तो हजूर वाला मैं मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद पेश करूंगा।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनफार्मेशन का मतलब है इत्तिलाआत और इत्तिलाआत का मतलाब है कि हम लोगों के जहन, लोगों के दिमाग़ जो बन्द हो गए हैं, उनको खटखटायें, मुहब्बत से खटखटायें और उनको खोल दें और उनको बता दें कि हिदुस्तान क्या है। अखबारात को हम इश्तहारात देते हैं और अखबारात आज के जमाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हू कि इस मुल्क में ऐसे कितने अखबार चल पाते हैं जो कौमियत, वतन परस्ती और दूसरे जजबात इस मुल्क में पैदा करते हैं। ऐसे अखबारों की कोई मदद नहीं की जाती है। बड़े बड़े अखबार जिन में रोजमर्रा अखबार भो शामिल हैं, जो अंग्रेजी में भी चलते हैं, हिन्दी में भी चलते हैं, न्यूज के लिए भी चलते हैं, फ़िल्मस के लिए भी चलते हैं, आज हमारी इकतसादियात भी पर छा गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम उनको कागज़ देते हैं और दूसरी सहूलियतें देते हैं तो कितना जगह वे इस मुल्क के सही हालात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अखबारों में देते हैं और कितनी जगह इश्तहारात पर सर्फ़ करते हैं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वजारत ने मजबूर कर दिया बहुत से छोटे छोटे अखबारों को कि वे अपने को बेच खायें बाहर वालों के मुल्कों के सरमाये से। मजबूर कर रही है यह बजारत हमारे अखबारों को कि दूसरे मुल्कों से पैसा ले कर हमारी हकूमत के खिलाफ़ और

[श्री अ० मु० तारिक]

यहां के रहने वालों के खिलाफ आर्टिकल्ज छापें । मेरे पास इसका सबूत है वह आर्टिकल सवेरा का जो जी इज्जत मैम्बर का है जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं स्वतंत्र पार्टी से ताल्लुक रखते हैं यह आर्टिकल श्री एम० आर० मसानी का है और इस आर्टिकल को तशरीह करती है, इंटरनैशनल फीचर सर्विस न्यू यार्क और आफर करती है यहां के छोटे छोटे अखबारों को भारी भारी रकमें। वे अखबार मजबूर है । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अखबार वतन परस्त हैं कौन नपस्त हैं लेकिन शमे हयात को कायम रखने के लिए ऐसे आर्टिकल को छापने के लिए मजबूर हो जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस किस्म के आर्टिकल जो हमारे मुल्क में वतन परस्ती के जजबात कौं कायम रखने में मदद कर सकते हों, कभी वजारत ने पेश किये हैं? नहीं । मैं आप की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस वजारत में बहुत मोटी मोटी तन्ख्वाहें इन्फार्मेशन आफिसर्स को दी जाती हैं । मैं यकीन दिलाता हूं कि इन्फार्मेशन आफिसर्स का इस के सिवा और कोई काम नहीं है कि वह इस कोशिश में रहें कि उन के वजीर की बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीरें आयें । वह फोटोग्राफरों के पीछे भागते हैं कि इस ऐंगल से तस्वीर खीचो, इस ऐंगल से खींचो । यह चीज हम रोज देखते हैं । मैं इस के खिलाफ हूं कि कोई इन्फार्मेशन आफिसर किसी वजारत के साथ हो क्योंकि हर एक इन्फार्मेशन आफिसर की यही ख्वाहिश रहती है कि उस के वजीर की तस्वीर छप जाय । तकरीर छपे या न छपे लेकिन तस्वीर जरूर छप जाय ।

आल इंडिया रेडियो के स्टाफ आर्टिस्ट्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ, जो यकीनन आल इंडिया रेडियो के काम के जामिन हैं, नाइंसाफी की जाती है । उन की तन्ख्वाहों पर पाबन्दी लगा दी गई है कि इस से ज्यादा उन की तन्ख्वाह नहीं होगी । मैं समझता हूं कि यह जम्हूरियत के उसूल के खिलाफ है । इस मुल्क की जबानों के एडिटरों की तन्ख्वाहें अंग्रेजी जबान के एडिटरों के मुकाबले में बहुत कम हैं । मैं समझता हूं कि यह इस हुकूमत के लिये शर्मनाक है और इस को इस हाउस में वाजेह किया जाना चाहिये ।

आखिर में मैं इस बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो से एक ताजा खबर नश्र हुई और ईद के बारे में उस में कहा गया था कि बिहार में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है । ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जोर इस बात पर दिया गया कि मुसलमानों ने यह नमाज एक मुसलमान मोलवी के पीछे पढ़ी । अगर यह नहीं कहा जाता तो मुमकिन है कि इस बात का शक हो जाता कि किसी ईसाई मोलवी के पीछे मुसलमानों ने नमाज पढ़ी । मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो के कारिन्दे और वह लोग जो मोटी मोटी तन्ख्वाहें लेते हैं उन में काम के लिये कोई जज्बा नहीं है । वह सिर्फ पैसे के लिये अपना दिमाग सर्फ करते हैं । मैं क्या तवक्कों कर सकता हूं कि वजीर साहब इन बातों की तरफ तवज्जह देंगे ?

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में जब कि संसार प्रसारण और यातायात के साधनों के कारण बहुत छोटा हो गया है, आज की ईजाद कल पुरानी हो जाती है । ब्रह्मांड की गवेषणा और ऐपणा आरम्भ हो गई है और जल स्थल तथा व्योम में हलचल मच गयी है । ऐसे समय में इस विभाग की प्रमुखता बहुत आवश्यक हो गई है। प्राचीन काल में भी हमारे राष्ट्र में जो प्रमुख चित्र था वह विष्णु का रूप माना गया था।

उस के आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म थे । इन में से शंख जो है उस की प्रमुखता है । इस का मतलब है कि देश के अन्दर हर प्रकार की उन्नति । इस मिनिस्ट्री के बहीखाते की पड़ताल करने के पश्चात् यह तो कहना ही पड़ेगा कि उस ने प्रशंसनीय कार्य किया है । उस का सब से पहला काम आकाशवाणी का है । इस समय इस मिनिट्री के अन्तर्गत २८ आकाशवाणी केन्द्र हैं, ६० ट्रांसमिटर हैं, ३३ स्टूडियो केन्द्र हैं और ६६ टेलिविजन सेट काम कर रहे हैं । इस के अलावा ६६,६७० कम्यूनिटी सेट्स स्टेटों को दिये गये हैं । स्कूलों में १५,७९१ रिसीविंग सेट्स हैं । इसी तरह से देशी प्रसारण में १७ भाषाओं, ५१ बोलियों और २९ आदिवासी भाषाओं का प्रयोग और उपयोग हो रहा है और आकाशवाणी का कार्य उन के द्वारा चल रहा है । इस में कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में हमारी मिनिस्ट्री बड़े जोर शोर से काम कर रही है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आकाशवाणी केवल मिनिस्टरों की तारीफ करने के लिये और उन के प्रोग्रामों को प्रसारित करने के लिये बनाया गया है । मैं इस से सहमत नहीं हूं । उन माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि इस समय स्कूलों के लिये, मजदूरों के लिये, सैनिकों के लिये अनेक प्रकार के प्रसारण नियमित रूप से होते हैं ।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त इस के बारे में चर्चा की जाती है तो कह दिया जाता है कि इतना मनोरंजन का सामान किया गया । मैं समझता हूं कि आज के जमाने में खास तौर पर देश का मनोरंजन से पहले विकास करने की मांग है । आज श्रोताओं के लिये जो गीत हम तैयार करते हैं वे इसलिये नहीं हैं कि हम अपने देश के अन्दर एक निम्न स्तर की बातें फैलायें । बल्कि आज हमारा देश विकास के आरम्भकाल में है । देश को जानना चाहिये कि आज विश्राम का समय नहीं है, आज विकास के लिये आगे बढ़ने का समय है ।

"आरोहणं आक्रमणं जीवितो जीवितो अयनम्"

आगे बढ़ने और ऊपर उठने का समय है । इसलिये जब तक आप आकाशवाणी के कार्यक्रम को इस ढंग का नहीं बनायेंगे कि जिस में देश का चरित्र बने तब तक उस का कार्य किसी के लाभ के लिये नहीं होगा । आज जो हमारी सरकार है वह एक चिकित्सक के रूप में है । आयुर्वेद में कहा है कि जो औषधि देने की चिकित्सा है वह दैवी चिकित्सा है और जो शल्य चिकित्सा है वह राक्षसी चिकित्सा है । सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाली हमारी सरकार इस वक्त डिमोक्रेसी के पीछे इतनी पड़ी है कि किसी चीज में वह पूरी शक्ति के साथ कदम नहीं उठाना चाहती । इसीलिये वे तरह तरह की बातें कहती है । जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिये कांटे पर मांस लगाना होगा क्योंकि उससे मछली फंसेगी, को पकड़ने जायें, उस का शिकार करने जायें तो मछली के कांटे निकालने ही पड़ेंगे । आज जो लोगों का टेस्ट है वह अच्छा नहीं है । मसलन गीत सुनने की लोगों की रुचि अच्छी नहीं है तो उस को ठीक करना पड़ेगा । इस तरह की चीजें छोड़ कर जो रुपया हम को खर्च करना है वह अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के ऊपर खर्च करना चाहिये इस विषय में आज कल जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह नेशन को बनाने के लिय खर्च किया जा रहा है स्वस्थ समाज के निर्माण के लियें खर्च किया जा रहा है । वह इसलिये नहीं खर्च किया जना चाहिये कि लोगों का टेस्ट क्या है, न वह किसी को खुश करने के लिये है कि वह क्या चाहते हैं ।

तीसरी चीज फिल्म्स के बारे में है जिस का सम्बन्ध इस विभाग से है । इस में कोई शक नहीं कि सेन्सर बोर्ड बनाया गया है, इस में कोई शक नहीं कि सरकार फिल्में

[श्री पदम देव]

तैयार करती है, इस में भी शक नहीं कि फिल्मों के जरिये से हम कुछ फारेन एक्सचेन्ज भी कमा रहे हैं, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो फिल्में तैयार की जाती हैं उन में उस तरह का संगीत क्यों रक्खा जाता है जिस का नमूना यहां पर भी रक्खा गया । हमारे यहां की स्त्रियों का चरित्र बहुत ऊंचा है था और हमारे यहां सब से ऊंची शक्ति मातृशक्ति समझी जाती थी । सीता राम या राधे श्याम में सब से पहले स्त्री का नाम आता हैं । यही नहीं, हमारे यहां कहा है :

"यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है । इस किस्म की स्थिति थी । लेकिन आज हम क्या देखते हैं । गीत गाये जाते हैं कि

"छोड़ चली मैं लाज का पहरा"

हमारी नारियां आज लाज को छोड़ रही हैं तो आगे क्या बनेगा ? अगर इस तरह के गीत गाये जायेंगे, इस तरह की फिल्में बनेंगी तो देश कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता । इसलिये जहां माननीय मंत्री ने इस तरफ बहुत कोशिश की है, मैं यह चाहूंगा कि आप की जितनी भी फिल्म्स हैं वे इस विचार से निकाली जायें कि उन से देश का स्तर ऊंचा हो, जिस से देश की इज्जत बढ़े ; यह नहीं कि व्यापार की दृष्टि से फिल्म बनें और कुछ व्यापारी येनकेनप्रकारेण घुस कर इस किस्म की फिल्में तैयार करें जिस से राष्ट्र नीचा हो । हम जिस युग से आज गुजर रहे हैं उसे हमारा देश पूरी तरह से जानता है, इसलिये अगर हम आज सचेतन हुए आज जब कि हमारे हाथ में शक्ति है, अगर हम अपने घर की देख रेख नहीं कर सके, जनता में सद्बुद्धि नहीं ला सके, तो मैं नहीं समझता वह कौन सा युग आयेगा जब हम नई इमारत बनायेंगे । हम तो पुरानी आकृति को ही लीपपोत कर खड़ी रखना चाहते हैं । इस तरह से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा । एक तो आज हमारी फिल्म्स में सैनिकों के लिये कोई प्रोग्राम नहीं रहता हैं और दूसरी बात यह कि महापुरुषों के चरित्रों के चित्र अधिकृत रूप से हमारे सामने नहीं आ रहे हैं । मैं ने देखा है कि संस्कृत के लिए कोई कार्यक्रम आपके फिल्मों के अन्दर नहीं है ।

बहुत सी बातें इस मंत्रालय के विषय में कही गयी हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मंत्री महोदय ने जिस तरह से आदिवासियों के लिए बहुत से कार्यक्रम रखे हैं उसी तरह से हिमाचल के लिए भी रखें क्योंकि इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया गया है । आप कहेंगे कि शिमला के अन्दर कुछ काम किया है, लेकिन में कहना चाहता हूं कि हिमाचलियों का उसमें अधिकार नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप इस इलाके के लोगों की बोली बानी में भी कुछ कार्यक्रम रखें । मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए ।

तीसरे इस मंत्रालय ने प्रकाशन का कार्य भी जारी कर रखा है । उन्होंने जो प्रशंसनीय काम इस दिशा में किया है उस के लिए मैं बधाई देता हूं । आपने बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकाली हैं । आधुनिक भारत के नेला नाम का एक कार्यक्रम भी वहां चलता है । भारतीय इतिहास और अर्थ शास्त्र के गौरव ग्रन्थ भी प्रकाशित होने लगे हैं । महात्मा गांधी के क्लेक्टिव वर्क्स भी छापे जा रहे हैं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस रोग ने भारतवर्ष को बटवाया, जिस रोग ने भारतवर्ष में धर्म के नाम से सिर फटव्वल कराई अभी तक उस की रोकथाम

करने के लिए इस मंत्रालय ने कोई साहित्य तैयार नहीं किया है। मैं कहता हूं कि यह विषय इसी विभाग का है क्योंकि इस विभाग का काम देश के अन्दर प्रचार करने का है, देश की जनता को यह चीज ठीक रीति से समझायी जानी चाहिए कि इस प्रकार के झगड़े देश का कितना नुकसान करते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो होम मिनिस्ट्री का काम है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह इसी विभाग का काम है। इस काम के लिए जो जो भी विधान वह चाहें इस हाउस में उनके लिए बनाया जा सकता। इस काम में सहायता करने के लिये मेरा सुझाव है कि एक धार्मिक लोगों का मंडल बनाया जाए जो धर्म के सम्बन्ध में अच्छी अच्छी पुस्तकें निकालें और धर्मों की समता पर प्रकाश डालें। सारी दुनियां में भारत वर्ष एक ऐसा देश है जहां कि दुनियां के सारे धर्मों को पनपने की स्वतंत्रता और सुविधा है। लेकिन यहां आज धर्म के नाम पर बिक्री हो रही है और सिर फटव्वल हो रही है, सिर कटवाए जा रहे हैं। वरना यह तो इतना शान्त देश है कि यहां इन झगड़ों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस देश के पास नेहरू जी जैसा नेता है। फिर क्या कारण है जब सारी दुनिया इस देश की उन्नति के लिए उत्सुक है फिर भी यह आगें नहीं।

इसके साथ मैं मंत्री जी से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने शायद बाजारों में और दूसरी जगह पोस्टर देखें होंगे जो कि बहुत गन्दे होते हैं। उनकी रोकथाम करना जरूरी है।

इसके अतिरिक्त बाहर से जो गन्दा साहित्य आता है और जिसमें खराब किस्म की तस्वीरें होती हैं उसको देश में नहीं आने देना चाहिए। यह भी इसी मंत्रालय का काम है। जब अच्छी किताबों और साहित्य का प्रचार और प्रसार होगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा।

इस मंत्रालय ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रचार के लिए जो नाटकों और गीतों का कार्यक्रम आयोजित किय है वह बहुत अच्छा है। उसके लिए यह मंत्रालय बधाई का पात्र हैं।

इसके साथ ही मैं कुछ निवेदन समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भी करना चाहता हूं। समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार बना हुआ है और उसकी स्वीकृति से आज ये सब अखबार निकल रहे हैं। यहां पर जो यह बात कही गयी उसमें कुछ तथ्य है कि हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों को जितना प्रोत्साहन देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है।

देश को आगे बढ़ाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, समाचार पत्र, साहित्य और नेता। आपको समाचार पत्रों में से उनको ही प्रोत्साहन देना चाहिए जो ठीक खबरें ठीक शब्दों में निकालते हैं जिस से कि देश में द्वेष न भड़के, देश गारत न हो, जिन में देश विरोधी और देश द्रोही विचार न निकाले जायें। जो अखबार देश में बुरा वातावरण पैदा करते हों कि उनको ख्याति नहीं मिलनी चाहिए। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जितने भी झगड़े फिसाद होते हैं उनको अनेक समाचार पत्र बढ़ा चढ़ा कर बतलाते हैं जिससे देश में और ज्यादा द्वेष पैदा होता है। अगर देश को आगे ले जाना है तो इस ओर मंत्री महोदय को पूरा ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने इस मंत्रालय की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि इस मंत्रालय का स्तर और ऊंचा किया जाय। मुझे इन प्रशासनिक बातों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि यह मंत्रालय काफी महत्व का है।

जहां तक सिनेमा संगीत का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि गंदे गीतों की भर्त्सना करनी चाहिए पर हमें भी ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम आखिर सन्यासी तो नहीं हैं। यदि इसी दृष्टि से देखें तो हमें कालीदास की कृतियों पर तो प्रतिबंध ही लगा दना होगा। कालीदास ने लिखा है "मृणालसूत्रातरमप्यलभ्यम" इनके गारे में आप क्या कहेंगे। इस कारण हमें ज्यादा ही किसी चीज की आलोचाना नहीं करनी चाहिए।

यहां पर माननीय सदस्य हर चीज़ के लिये नये कानून चाहते हैं परन्तु हम इनसे थक गये हैं। इनकी जरूरत हमें नहीं है। पहले ही काफी कानूनी व्यवस्था मौजूद है।

आज की संगठित अखबारी व्यवस्था में छोटी भाषाओं का मलियामेट होता जा रहा है। उदाहरणार्थ हमारी भाषा तुलू है। यह द्रविड़ भाषा है और इसका अपना साहित्य है किन्तु उपेक्षित है यह भाषा। इसकी अपनी लिपि है।

श्री गोरे (पूना) : क्या इसकी अपनी वर्णमाला भी है ?

†**श्री आचार** : मैंने यह कहा था कि इसकी अपनी लिपि है। इसकी अपनी वर्णमाला भी है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि क्या इन दोनों में कोई अंतर है। मैंने यह बात इसलिये कही थी कि मंत्रालय इन अन्य भाषाओं के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। इस भाषा को आकाशवाणी में कोई स्थान नहीं दिया गया ह। अतः मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में भी आकाशवाणी का एक केन्द्र खोला जाना चाहिये। अगर वहां केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है तो बंगलौर तथा धारवाड़ के स्टेशनों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये।

श्री म० ला० द्विवदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बहुत सी बातें कही हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। आल इंडिया रेडियो ने और सूचना मंत्रालय ने जो काम किया है, वह मुझे देखने को मिला है और मुझे ज्ञात हुआ है कि दस बारह वर्ष पहले जहां रेडियो के केवल छः केन्द्र थे, अब २८ केन्द्र हैं। इस के अलावा ६५ प्रसारण -यंत्र लगाये जा चुके हैं। इस मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह भी मालूम होता है कि अभी ५७ यंत्र और लगाये जाने वाले हैं। जहां तक भाषाओं का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य, श्री आचार ने बताया कि उन की भाषा का कोई जिक्र नहीं आता। मैं समझता हूं कि वह आना चाहिये। लेकिन जहां तक भाषाओं की उन्नति का प्रश्न है, मालूम होता है कि जहां पहले केवल एक भाषा में प्रसारण होता था अब १६ भाषाओं में प्रसारण होता है, जिन के साथ ही २९ अनुसूचित भाषाओं---ट्राइवल लेंग्वेजिज़---और ५१ बोलियों का भी प्रयोग होता ह। जहां तक प्रगति का सवाल है, यह मालूम पड़ता है कि आल इंडिया रेडियो उत्तरोत्तर अधिक से अधिक भाषाओं में प्रसारण का काम अपने हाथ में लेता जा रहा है। लेकिन प्रगति उतनी शीघ्र नहीं हो सकती, जितनी कि माननीय सदस्य चाहते हैं। इस में समय लगेगा, लेकिन जो गति इस सम्बन्ध में है, उस से हमें संतोष होना चाहिये।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देहातों में, ग्रामीण जनता में ७० हजार रेडियो सैट आधे मूल्य पर दिये गये हैं। यह बात संतोष की नहीं है, क्योंकि दूसरी फ़िगर्ज़ से हमें ज्ञात होता है कि रेडियो लाइसेंस से हम को ३.१५ करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं, लेकिन ये रेडियो सैट्स

---

†मूल अंग्रेजी में

देने में खर्ज सिर्फ ५२ लाख रुपये हुआ है। हमारे देश की आबादी चालीस करोड़ है और ७० हज़ार सैट देने का मतलब यह है कि ६० हजार आदमियों पर एक रेडियो सैट दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहात की जनता में यह क्षमता नहीं है कि वह स्वयं रेडियो सैट खरीद सके। इस समय सरकार की ओर से आधा मूल्य दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लाइसेंसिज़ से जितना भी रुपया प्राप्त हो, उस सब को रेडियो सैट खरीदने के लिये दिया जाये। हम देखते हैं कि रेडियो सैट्स के लिये जिन को लाइसेन्स देते हैं, वे ब्लैक मार्केट में रेडियो पार्ट्स बेचते हैं और दुगने भाव पर बेचते हैं। अगर वह ठीक भाव पर बिकने लगें, तो सैट की कीमत सौ रुपया हो जायगी और देहात के लोग उस को खरीद सकेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय में उद्योग मंत्रालय से सहयोग लें। अब बड़ी बैटरी की उपेक्षा ट्रांसस्टिर रेडियो आने लगे हैं। सूचना मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के सहयोग और परामर्श से ट्रांसिस्टर रेडियो बनाने की व्यवस्था करे, ताकि देश में उसकी बिक्री हो सके।

यह बड़ी विचित्र बात है कि दूसरे दशों, चीन, जापान, मलाया, मास्को आदि देशों, के मीडियम वेव के प्रोग्राम हम आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन भारत के प्रोग्राम हम चीन, हांगकांग, मलाया और बर्मा आदि में नहीं सुन सकते हैं। केवल सवेरे विदेशी विभाग---एक्सटर्नल सर्विसिज़ की तरफ से जो ब्राडकास्ट होता है, वह सुनाई देता है, बाकी सुनाई नहीं देता है। बात यह है कि हमारे अधिकारी बाहर जा कर लोगों की बातों में आ कर, लोभ में पड़ कर, रद्दी और आव्सोलीट मीडियम वेव के यंत्र खरीद लाते हैं, जिन के कारण दिल्ली का प्रोग्राम लखनऊ के आस-पास भी नहीं सुनाई देता है। अब कुछ बड़े बड़े यंत्र लगे हैं और उनसे क्षमता बढ़ी है। मैं समझता हूं कि सूचना मंत्रालय इस विषय में सख्ती से काम ले और ऐसे यंत्र लगाने की व्यवस्था करे कि हमारे प्रोग्राम देश भर में अच्छी तरह से सुनाई दे सकें।

भारतीय भाषाओं के प्रति मंत्रालय में---चाहे वह आल इंडिया रेडियो हो और चाहे पी० आई० बी० हो---भेद-भाव बरता जाता है। भारतीय भाषाओं के जो विशेषज्ञ हैं, या काम करने वाले हैं, उनको निम्न दृष्टि से, बुरी निगाह से देखा जाता है और उन लोगों को काम में बड़ी कठिनाई होता है। अंग्रेज़ी हैंड-आउट्स और बुलिटेन्ज़ पहले निकाल कर प्रसारित कर दिये जाते हैं और बाद में भारतीय भाषाओं में उन का अनुवाद करने के लिये दिया जाता है। इस का नतीजा यह है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को देर से खबरें मिलती हैं और बहुतों को खबरें मिलती ही नहीं है। सब अखबारों में अंग्रेज़ी अखबारों की संख्या आठ प्रतिशत है और उन का सर्क्युलेशन केवल २० प्रतिशत है, लेकिन फिर भी पहले अंग्रेजी में समाचार आदि भेज कर बाद में देशी भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है। क्या भारत सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि भारतीय भाषाओं के लिये एक मुख्यालय बनाया जाये और पी० आई० बी० में उन का अनुवाद अंग्रेज़ी में हो। अगर कुछ दिन तक यह काम नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि बराबर अंग्रेजी भी नहीं चलती रहनी चाहिये। भारतीय भाषाओं का पक्ष इतना प्रबल बना दिया जाना चाहिये कि उनको अंग्रेज़ी की अधीनता में न रहना पड़े।

फिल्म सैंसर बोर्ड के बारे में अब कुछ कहना चाहता हूं। त्यागी जी ने गानों के बारे में बहुत कुछ कहा है। अभी आचार साहब ने कहा है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वे प्योरेटंज़ हैं। मैं फिल्म निर्माताओं से, सैंसर बोर्ड से तथा सूचना मंत्री से कहना चाहता हूं कि शृंगाररस में हमारा देश सब से आगे रहा है। हमको विदेशों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। लोग हमारी इस मामले में नकल करें। जो सूर साहित्य हमारे यहां है, उसको आप

[श्री म० ला० द्विवेदी]

देखें, मति राम और भूषण की रचनाओं को देखें। जो रास लीला हुआ करती थी, उसको देखें। कितना अच्छा वह श्रृंगार रस है, लेकिन कहीं भी अश्लीलता का नाम नहीं है। लेकिन नग्न रूप दिखा कर और गन्दे गाने गवा कर हम किसी की सेवा नहीं करते हैं। अगर हम भारतीयता की बात करते हैं तो हम को प्योरिटन कहा जाता है। दूसरे देशों को इस मामले में हमारी नकल करनी चाहिये न कि हमारे देश को दूसरे देशों की। पाश्चात्य देशों के गन्दे साहित्य की नकल करके गन्दे गाने नहीं गवाये जाने चाहियें।

अब मैं देहातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देहाती प्रोग्राम के लिये आपके प्रोग्रामों में ११,००० घंटे दिये गये हैं जब कि कुल १ लाख १८ हज़ार घंटे आपके प्रोग्राम चरलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देहात जो कि रीढ़ हैं देश की और जहां पर ८५ प्रतिशत लोग रहते हैं उनके लिये केवल ११,००० घंटे ही देना क्या काफी है। कम से कम एक लाख घंटे तो देहातों के लिये दिये जाने चाहियें।

आल इंडिया रेडियो में जो ठेके के आधार पर काम करते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, बीमार भी हो जाते हैं तो भी छुट्टी नहीं मिलती है, प्राविडेंट फंड की सुविधायें उनको नहीं दी जाती हैं। जब दूसरों को ये सब सुविधायें प्राप्त हैं तो उनको क्यों न हों, इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

फोटो सैक्शन में भी अंग्रेज़ी वालों का ही बोलबाला है। वहां पर आज भी अंग्रेज़ी वाला सम्पादक बनाया जाता है और हिन्दी का सक्यूलेशन ज्यादा होते हुये भी, हिन्दी वालों को प्रमुखता नहीं दी जाती है। यह जो स्थिति है, इसका अन्त होना चाहिये।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विकास हुआ है, या जिस क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास में सबसे अधिक सहायता की है, उस क्षेत्र में रेडियो स्टेशन दिया जाना चाहिये और इस आधार पर रेडियो स्टेशन देना कि जहां आप चाहेंगे, देंगे गलत है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ब्रज, अवधि, खड़ी बोली और भोजपुरी, य चार मुख्य भाषायें हैं। आप न भोजपुरी को और न ही बुन्देलखंडी को रेडियो स्टेशन देते हैं। मध्य प्रदेश में पांच पांच रेडियो स्टेशन देने की योजना है। बुन्देलखंड ऐसा क्षेत्र है जहां सारी संस्कृति का जन्म हुआ है और वीरता की पराकाष्ठा रही है। रानी झांसी जैसे रत्न वहां ही पैदा हुये हैं। उसके लिये आप रेडियो स्टेशन नहीं देना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसे क्षेत्रों को भी आपको रेडियो स्टेशन देना चाहिये। जब आप ५७ ट्रांसमिटर लगाने जा रहे हैं तो बुन्देलखंड के लिये भी एक स्टेशन देना आपके लि े मुश्किल नहीं होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उसके कार्य के लिये बधाई देता हूं और आशा करता हुं कि जो सुझाव मैंने दिये है उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री ठाकुर के कटौती प्रस्ताव को भी प्रस्तुत कर दूंगा। आकाशवाणी में कुछ सुधार किया जा सकता है और इस सभा में जो भाषण दिये जाते हैं उनको ज्यों का त्यों भी प्रसारित किया जा सकता है। आकाशवाणी पर गन्दे फिल्मी गानों की भरमार रहती है जिसे कम किया जाना चाहिये। प्रेस आयोग ने सिफारिश की थी कि पी० टी० आई० के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये एक निगम की स्थापना की थी, लेकिन सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में विचार करे। पी० टी० आई० के संवाददाता ने गांवों में बहुत अच्छा कार्य किया है यही कारण है कि हमें सही समाचार मिलते रहे।

जो नई समाचार एजेंसियां खुली हैं मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री उनको मान्यता देने से पूर्व इस बात का अच्छी तरह से पता करलें कि क्या वे निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती हैं अथवा नहीं।

कानपुर में भी एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिये। कानपुर एक औद्योगिक बस्ती है। हम कानपुर के श्रमिकों में प्रेरणा भरना चाहते हैं। इन श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाने चाहियें। इसलिये उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कानपुर में एक रेडियो स्टेशन खुलना चाहिये।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन): मेरा निवेदन है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पत्रवार्ताओं के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों के संवाददाताओं को तो अवसर दिया जाता है लेकिन हिन्दी वालों को नहीं। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे। मैंने इस बारे में एक कटौती प्रस्ताव भी रखा है।

गणतंत्र दिवस समारोह के लिये सांस्कृतिक मंडलियों का चुनाव करते समय विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाना चाहिये।

विदेशों के लिये जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और विशेष रूप से यूरोप के लिये, उसमें फिल्मी गाने प्रसारित किये जाने चाहियें क्योंकि वहां यूरोप में हमारे शास्त्रीय संगीत को कोई पसन्द नहीं करता। आकाशवाणी से विभिन्न भाषाओं के नाटक भी प्रसारित किये जाने चाहिये। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सिन्धी को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिये। क्योंकि भारत में काफी मात्रा में सिन्धी लोग आ गये हैं और यहां आकर बस गये हैं। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार): उपाध्यक्ष महोदय, फिल्मों के बारे में बहुत सी बात कही गई हैं। मैं उन लोगों के साथ हूं इसके बारे में। लेकिन मैं जो कुछ उन्होंने कहा उसे दोहराना नहीं चाहती क्योंकि समय बहुत कम है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब कोई बात देश के लोग चाहते हैं, जब वे भी कहते हैं कि ऐसी फिल्में नहीं होनी चाहियें, और इस सदन के सारे सदस्य भी यही कहते हैं, तब फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कि डिमाक्रेसी में कैसे अनबन हो सकती है। जो कुछ जनता चाहती है और उनका प्रतिनिधित्व यहां करते हैं वे जो कुछ हम यहां कह रहे हैं उससे मंत्री महोदय के हाथ मजबूत होते हैं। फिर कौन सी चीज उनको प्रिवेंट कर रही है कि वे उचित स्टेप्स न लें। जो कुछ हो मैं समझती हूं कि वे इस डिबेट के बाद इसके बारे में सोचेंगे और कुछ न कुछ करेंगे।

आचार साहब ने बतलाया कि मनुष्य स्प्रीच्युएलिस्ट के साथ साथ मटीरियलिस्ट्स भी हैं। इससे किसी को इन्कार नहीं है। लेकिन आखिर अगर हम उससे थोड़ा ऊपर आना चाहते हैं तो क्या हर्ज है? हम उससे ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं? मैं तो समझती हूं कि आज ऊपर या नीचे जाने की बात ही नहीं है। मैंने सुना है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयाबेन शाह]

है या आदिवासी एरियाज हैं, वहां पर बहनें रात में अकेले भी चल सकती हैं, लेकिन शहरों में वे अकेले नहीं चल सकती हैं क्योंकि हमारे यहां के जो यूथ्स हैं उनमें आज रोमियो जैसी मेंटलिटी देखने में आ रही है। आज कालेजेज में बहनों के अन्दर बड़ा डर फैला हुआ है। मैं सुनती हूं कि जैसे ही बहनें कालेजेज से चलती हैं वैसे ही लड़के उनके पीछे लग जाते हैं। जो गन्दे गाने यहां पर बतलाये गये, वे वैसे तो यहां बतलाये नहीं जाने चाहिये थे, लेकिन यह ठीक है कि वही गाने गाते हुये वे देर तक उन का पीछा करते रहते हैं जब बहनें उनके पास से जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आज क्या स्टैन्डर्ड हो गया है हमारे मुल्क का। जो चीजें हम पिछड़े इलाके में पाते हैं वे भी यहां पर नहीं हैं। इस हद्द तक हमारा मुल्क पहुंच गया है। इसके लिये हमें कुछ न कुछ करना चाहि ।

डिमाक्रेसी के अन्दर किसी भी मौके पर कोई आंदोलन करना पड़े, मूवमेंट चलाना पड़े यह सही बात नहीं है। जिस स्थिति के सुधार करने के लिये कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्याग्रह का असर होम मिनिस्ट्री पर पड़ेगा, इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री पर नहीं ।

श्रीमती जयाबेन शाह : एक दफा बहनों ने अपने सिग्नेचर करके एक बड़ा मेमोरैंडम यहां की मिनिस्ट्री के पास भेजा था। आखिर में विनोबा जी को भी इस सवाल को उठाना पड़ा, क्योंकि जब कभी किसी रास्ते से हम चल जाते हैं, स्टेशन पर चले जाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो वही भद्दी चीजों के चि हमारे सामने आते हैं। क्या यह हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। जो आपके डेलीगेशन विदेशों को जाते हैं वे कौनसी बात बताते होंगे। अगर हम अपने कल्चर को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठा सके तो देश को आपके कार्यक्रमों से लाभ नहीं होगा। हम दिन पर दिन गिर रहे हैं। इस गिरने के और भी कारण हैं लेकिन इसके लिये सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्टर फिल्म है। वह अच्छा भी प्रभाव डाल सकती है और बुरा भी प्रभाव डाल सकती है। बच्चों की मानसिक स्थिति अति कोमल होती है, उन पर उनका प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है ।

मैं ज्यादा कहूं इसके लिये मेरे पास समय नहीं है। मैं जानती हूं कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि कुछ हो लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह आगे क्यों नहीं बढ पाते। अगर आप इस दिशा में कुछ काम करें तो देश की बहिनों और औरतों को बहुत सुविधा मिलेगी।

दूसरी बात मैं सेंसर के बारे में कहना चाहती हूं। फिल्म सेंसर बोर्ड आखिरी समय में पहुंचती है जबकि चित्र तैयार हो चुकता है और उस पर लाखों रुपया खर्च हो चुके। उस समय उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करना कठिन हो जाता है, इसके अतिरिक्त वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब किसी फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार हो उसी समय सेंसर बोर्ड को उसे देखना चाहिये और उसमें जो खराब चीज हो उसको उसी समय निकाल देना चाहिये। अगर हम शुरू से ही इस दिशा में काम करें तो कुछ हो सकता है। लेकिन जब फिल्म बन जाता है तो उसमें बहुत कम सुधार हो सकता है। मैं समझती हूं कि इस दिशा में आपको जल्दी ही कुछ न कुछ स्टेप्स लेना चाहिये ।

फिल्मों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जैसा जनता चाहती है वैसे ही फिल्म बनाये जाते हैं। अगर ज्यादा अच्छे फिल्म बनाये जायें तो वह चल नहीं सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि लोगों का टेस्ट गिर रहा है लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। जो चीज आम जनता चाहती उसी को दिखाने से ठीक नहीं होगा। उससे हम नीचे जायेंगे। लेकिन हमको नीचे नहीं जाना है। हमको तो आगे बढ़ना ह। इसलिये हमको जनता का टेस्ट बदलना चाहिये। एक ओर हम एजूकेशन पर इतना रुपया लगा रहे हैं और कल्चुरल प्रोग्राम्स पर इतना पसा लगा रहे हैं और दूरी ओर खराब फिल्म चलने देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो कल्चर हमको एजूकेशन और कल्चुरल प्रोग्राम्स से मिलता ह उसका इन फिल्मों से डेस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या दिमाग की बात है यह मेरी समझ में नहीं आता।

लोग कहते हैं कि लोगों की ऐसी आदत हो गयी है कि सेक्सुअल और क्राइम की बात देखना पसंद करते हैं, उनमें उनको मजा आता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। अच्छी फिल्मों का और भी रूप मोड़ा जा सकता है। यहां पर फिल्म सोसायटी हो जो यह काम करे।

एक बात मैं चिल्ड्रन्स फिल्म के बारे में भी कहना चाहती हू। मैंसमझती थी कि मुझे दस मिनट का समय मिलेगा। लेकिन मुझे खेद है कि जिस समय आपने मुझे बुलाया तब मैंने नहीं सुन पाया, इसलिये मुझे कम वक्त मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय आप होतीं तो आपको दस मिनट ही मिलता।

श्रीमती जयाबेन शाह : चिल्ड्रन्स फिल्म की बहुत तारीफ की गयी है। मैं उससे बिल्कुल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सहमत हूं। इसमें और भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं। हमको बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता लगाना चाहिए और फिर साइंटिफिक तरीके से उनके लिए फिल्में बनाना चाहिए जैसा कि कारनेगी फाउंडेशन वाले ने बनाया। इस चीज को हमारे फिल्मों में स्थान नहीं दिया जा रहा है।

जो इन बच्चों के फिल्मों में गाने लगाये जायें उनकी ट्यून्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए और उनमें अच्छा सब्सटेंस रखना चाहिए। हम देखते हैं कि आज बच्चे फिल्मों के गन्दे गाने गाते फिरते हैं। तो जहां तक बच्चों की फिल्मों के गानों का सम्बन्ध है इनमें ज्यादा सकसेस नहीं मिली है।

मैं चाहती हूं कि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी को बहतर काम करना चाहिए। बच्चों की सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर हमको उनके लिए फिल्में बनानी चाहिएं जो कि बच्चों को दिलचस्प लगें। मैं समझती हूं कि अब ऐसा मौका आ गया है कि हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए। विनोबा जी का आन्दोलन हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है। तो इस दिशा में आप कुछ न कुछ करें इसकी हम अपेक्षा करते हैं। यह पार्टी की बात नहीं है। इसमें सब लोग समान रूप से दिलचस्पी रखते हैं। मैं आशा करती हूं कि अगले साल जब मंत्री जी अपनी मांगें लेकर सदन के सामने आयेंगे तो इस दिशा में काम करके आयेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिमी दीनाजपुर) : मैंने कई बार यह सुझाव दिया है कि समाचारपत्र भारत में किस प्रकार काम कर रहे हैं इस बारे में जांच की जानी चाहिये। अब भी मैं यह बात दुहराता हूं। जब दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड को बंद करने का निश्चय किया गया था तब उसका काम ठीक चल रहा था। इस अखबार को पैसे की कोई कमी नहीं थी। मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि इस अखबार के रहस्यमय ढंग से बन्द हो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

जाने के क्या कारण हैं। ब्रिटेन में जब एक ऐसी ही घटना हुई थी तो वहां रोयेल आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने उस अखबार के बारे में अच्छी एवं पूरी तरह से जानकारी की थी। यही स्थिति अब भारत में भी उत्पन्न हो गई है। अतः मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच करनी चाहिये। समाचार पत्रों के क्षेत्र में एकाधिकार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी जांच करने के लिये अब उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करना बहुत आवश्यक हो गया है। एक ओर तो अखबार बन्द हो रहे हैं और दूसरी ओर अखबारों पर चंद लोगों का स्वामित्व बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि भारत में पत्रकारिता का इतिहास प्रकाशित किया जाना चाहिये।

†डा० केसकर : मैं उन सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने यहां सुझाव दिये हैं।

आकाशवाणी को जब १९४७ में हमने अपने अधिकार में लिया तब यह एक खंडित और बहुत छोटा सा स्टेशन रह गया था तब से अब तक उसने महत्वपूर्ण उन्नति की है। उन दिनों ५ या ६ स्टेशन थे और बहुत थोड़े से कर्मचारी थे। कुछ कर्मचारी पाकिस्तान चले गये। शुरू में कम कर्मचारी तथा अन्य बातों के कारण हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान में इसने काफी प्रगति की है। आज रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ते बढ़ते २८ तक पहुंच गई है। आकाशवाणी द्वारा १७ भाषाओं ५१ बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आदिम जातियों की १८ से अधिक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी के संगठन को ठोस आधार भी प्रदान किया गया है। जहां तक कि इस के विकास की बात है इस विभाग को रचनात्मक कार्य करना था। सब से पहले तो इस विभाग का पुनर्गठन किया गया और इस कार्य में कई वर्ष लगे। कर्मचारियों की भर्ती, कार्यक्रमों के बनाने, तथा कलाकारों की सेवाएं ग्रहण करने के बारे में नियम बनाये गये। यह कार्य बहुत ही आवश्यक था। वर्ना कार्य ठीक से नहीं हो पाता।

आकाशवाणी के विस्तार के लिये सरकार ने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। भविष्य में कई स्टेशन स्थापित किये जाने वाले हैं। कुछ शक्तिशाली ट्रांसमीटर भी लगाये जाने वाले हैं जिससे कि लोग कार्यक्रमों को अच्छी तरह सुन सकें। अब देश की ८० प्रतिशत जनता मीडियम वेव स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकेगी इस प्रकार लोग विविध भारतीय कार्यक्रम जो अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ है, का आनन्द ले सकेंगे। विविध भारती कार्यक्रम को अखिल भारतीय वैकल्पिक कार्यक्रम बना दिया जायेगा। हम अधिक से अधिक प्रकार के कार्यक्रम आकाशवाणी पर रखना चाहते हैं। वैसे तो अब भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं लेकिन हम उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इन कार्यक्रमों का विस्तार करने में एक बड़ी कठिनाई यह आती है कि विभिन्न भाषायी कार्यक्रम चाहिये। अतः देश में अनेक भाषाओं के होने से विविध प्रकार के और विशेषतापूर्ण कार्यक्रमों में प्रसारण में बाधा उत्पन्न हो रही है। सरकार बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थित स्टेशनों की तरंग विविधता को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ताकि विशेषतापूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकें।

आकाशवाणी के 'विविध भारती' कार्यक्रम को, जो दो वर्ष पूर्व प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया था, बहुत सफलता मिली है। लोग इस पर प्रसारित किये जाने वाले गानों को

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत पसंद करते हैं । हम इस दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम और भी लोकप्रिय हो इसके लिये हम और भी ट्रांसमीटर लगा रहे हैं । हम इस बात का भी प्रयत्न करेंगे कि 'विविध भारती' का कार्यक्रम और भी अधिक समय तक चले और इस कार्यक्रम के बारे में यहां जो सुझाव दिये गये हैं उनको क्रियान्वित करने का भी पूरा प्रयत्न किया जायेगा । इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का यह उदाहरण है कि प्रति मास ४०,००० पत्र भारत के कोने कोने से आते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यह कार्यक्रम ठीक दिशा में चल रहा है ।

इतनी पृष्ठभूमि बताने के बाद मैं सभा में की गई कुछ आलोचनाओं का उत्तर देना चाहूंगा । सर्वप्रथम म माननीय श्री गोरे की आलोचना को लूंगा । यह उन लोगों की आलोचना है जो आकाशवाणी की बी० बी० सी० से तुलना करने के शौकीन हैं । बी० बी० सी० बहुत अच्छा संगठन है । वह अपनी वर्तमान स्थिति पर एक लम्बी अवधि के विकास के बाद पहुंचा है । परन्तु मेरा निवेदन है कि बी० बी० सी० की आकाशवाणी से तुलना करना उचित नहीं है । आकाशवाणी की समस्यायें और उसके लक्ष्य बी० बी० सी० से सर्वथा भिन्न हैं । बी० बी० सी० केवल एक भाषा से सम्बन्धित है । उसके सामने विभिन्न भाषाओं की समस्या नहीं है । हमारे यहां १७ भाषायें और बहुत सी बोलियां तथा आदिम जातीय भाषायें हैं । एक भाषा के कार्यक्रमों की दूसरी भाषा के कार्यक्रमों के साथ तुलना करना ठीक नहीं है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक भाषा का स्तर अन्य भाषाओं के स्तर से नीचा है । यह संभव है कि कार्यक्रमों की विभिन्नताओं और प्रविधिक कौशल में बी० बी० सी० अथवा कोई अन्य बाह्य प्रसारण संगठनों ने अत्यधिक दक्षता प्राप्त कर ली हो । इसके सम्बन्ध में तनिक भी संदेह नहीं है । हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं । परन्तु साथ ही मैं यह भी कहने का साहस करूंगा कि हिन्दी कार्यक्रमों, मराठी कार्यक्रमों, गुजराती कार्यक्रमों अथवा तामिल कार्यक्रमों की अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों के साथ तुलना करना संभव नहीं है । हमें इन कार्यक्रमों की तुलना इन भाषाओं के सर्वोत्तम प्रतिमान से करनी चाहिए और तब यदि उनका स्तर नीचा हो तो यह कहा जा सकता है कि वे कार्यक्रम खराब हैं । परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपने कार्यक्रमों की बी० बी० सी० से तुलना करने की प्रवृत्ति में कोई बुराई नहीं है । हमें ऐसी तुलना अधिकाधिक करनी चाहिए । परन्तु हमारा पालन पोषण अंग्रेजी शिक्षा में हुआ है और हमारा यह विचार है कि अंग्रेजी की हर एक चीज अधिक अच्छी है । जब हम विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को श्रेष्ठ कहते हैं और जब रेडियो की बात करते हैं तो बी० बी० सी० की बात सोचने लगते हैं । यह ठीक है कि वे विश्वविद्यालय अच्छे हैं और बी० बी० सी० बहुत अच्छा प्रसारण संगठन है । परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार की तुलना से हमारे कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो सकेगा ।

वास्तव में मेरा अपना अनुभव यह है कि यदि आप विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रसारण कार्यक्रमों की तुलना करें तो आपको बहुत कठिनाई मालूम होगी क्योंकि उनके विकास की अवस्थाय इतनी भिन्न भिन्न हैं कि एक भाषा के कार्यक्रमों की दूसरी भाषाओं के कार्यक्रमों के साथ तुलना करना गलती करना होगा जैसे उडिया के कार्यक्रमों की बंगाली अथवा असमी कार्यक्रमों से तुलना करना । प्रत्येक भाषा के कार्यक्रमों की विभिन्नता और उनका स्तर उस भाषा की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के विकास के अनुरूप होना चाहिए । हमें इसी बात का प्रयत्न करना चाहिए । मेरा निवेदन है कि हमारे रेडियो कार्यक्रमों से भारत की विभिन्न भाषाओं की सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन मिला है और विभिन्न भाषाओं के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा साहित्यकार इसे स्वीकार करते हैं । यह बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए । इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमें बी० बी० सी० से तुलना नहीं करनी चाहिए । बी० बी० सी० म भी कमियां हैं और यदि आप ब्रिटेन के समाचारपत्र पढ़ने का कष्ट करें तो ज्ञात होगा कि उसकी

[डा० केसकर]

निरन्तर आलोचना होती रहती है। इसलिए अच्छाइयां और बुराइयां प्रत्येक चीज में होती हैं और मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारी सफलताओं का निर्णय बी० बी० सी० के प्रतिमान से नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में यदि बी० बी० सी० को इतनी भाषाओं का काम करना पड़ता तो मैं नहीं समझता कि वह उतनी सफलता भी प्राप्त कर सकता जितनी हमने की है।

एक और बात भी है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। श्री गोरे ने कहा कि हम जो समाचार प्रसारित करते हैं वे एक पक्षीय होते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत चिन्ता हुई और मैं इसके बारे में जांच करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमने अखिल भारतीय रेडियो के समाचार विभाग को यह हिदायत दे रखी है कि उसे समाचार पत्र की तरह कार्य करना चाहिये और समाचारों का चयन केवल उनके महत्व के आधार पर करना चाहिये ताकि वे जनता को अधिकाधिक प्रकार के समाचार दे सकें। उदाहरण के लिये राजनैतिक दलों के समाचारों को ले लीजिये। श्री गोरे ने कहा कि हम केवल कांग्रेस के आयोजनों के समाचार देते हैं। मेरा निवेदन है प्रत्येक राजनैतिक दल के वार्षिक सम्मेलनों के समाचार हमने दिये हैं। यदि वह चाहें तो मैं उनके मूल-लेख, प्रसारण के समय सहित, उनको दे सकता हूं। इस बात की पुष्टि करने के लिये मैंने २५ दिसम्बर, १९६० से १८ फरवरी, १९६१ तक और १ मार्च, १९६१ से १५ मार्च तक के समाचार बुलेटिन मंगाये थे। मैंने २५ दिसम्बर, १९६० से १८ फरवरी, १९६१ तक राजनैतिक दलों से सम्बन्धित समाचारों का विश्लेषण किया है और उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सब से अधिक महत्व अकाली दल को मिला जिसके समाचारों की संख्या ३९ है। उसके बाद कांग्रेस के २९, प्रजासमाजवादी दल के ७ जनसंघ के ५, स्वतंत्र दल के २, साम्यवादी दल के ४, हिन्दू महासभा के २ और गणतंत्र परिषद के २ समाचार प्रसारित किये गये थे। ये समाचार दल की शक्ति के आधार पर नहीं दिये गये हैं। फिर १ मार्च और १५ मार्च, १९६१ के बीच प्रसारित किये गये समाचारों में अकाली दल के २, स्वतंत्र दल के २, साम्यवादी दल के २, कांग्रेस का १, पश्चिम बंगाल हिन्दू महासभा का १ और काश्मीर मुस्लिम यूथ फ्रन्ट का एक समाचार था। वैसे कोई माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि सरकारी वक्तव्य भी कांग्रेस दल के वक्तव्य होते हैं। यदि श्री गोरे यह मानते हैं कि मंत्रियों और प्रधान मंत्री के वक्तव्य भी कांग्रेस दल के वक्तव्य समझे जाने चाहियें तो मैं उन से सहमत नहीं हो सकूंगा क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आवाज संसद् के अनुमोदन के पश्चात उस दल की आवाज नहीं जा सकती जिसकी वह सरकार है। यदि हम उसे दल की आवाज समझते हैं तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं कभी कभी समाचार बुलेटिन मंगाकर उन की जांच करता रहता हूं। उदाहरण के लिये १५ मार्च का बुलेटिन ले लीजिये जिस में सामान्य बजट पर हुई बहस का समाचार है। उस में विभिन्न वक्ताओं के भाषणों के सार में ३६५ शब्द विरोधी पक्ष वालों को मिले और कांग्रेस दल को १७५ शब्द मिले।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : आप १६ मार्च का बुलेटिन क्यों नहीं लेते क्यों कि हो सकता है कि १५ मार्च को विरोधी पक्ष के ही अधिक सदस्य बोले हों?

†डा० केसकर : मैं श्री पाणिग्रही को बता देना चाहता हूं कि मैं औसत की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं उन्हें एक समाचार पत्र की तरह काम करना होता है। यह ठीक है कि किसी दिन आचार्य कृपलानी अथवा प्रधान मंत्री के भाषण को अधिक समय दिया गया हो परन्तु उनके महत्व को देखते हुए वैसा करना सर्वथा ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समाचार विभाग को समाचारों के महत्व का विचार करना होता है। इस लिये यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस दल को

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक समय दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का आरोप लगाना अनुचित है । यदि उन के पास कोई ठोस प्रमाण हो तो मुझे दिखाये और मैं उन के साथ चर्चा करने के लिये तैयार हूं । फिर भी यदि वह संतुष्ठ न हो सकें और समाचार विभाग के कार्य में कोई खामी हो तो मैं सुधार करने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री का० ना० पांडे** (हाता): क्या माननीय मंत्री भविष्य में कांग्रेस दल को अधिक समय देने की कृपा करेंगे ?

†डा० केसकर : मैं समझता हूं कि हमें दलों के समाचार के प्रतिशत को नहीं वरन् महत्व को देखना चाहिये । समाचार विभाग यही करने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री कुमारन ने अखिल भारतीय रेडियो के एक कनिष्ठ अधिकारी के त्यागपत्र का उल्लेख किया । उन्होंने उस अधिकारी के प्रति अत्यधिक सहानुभूति प्रदर्शित की है । उन्होंने बहुत सी बातें कहीं हैं । मैं उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यद्यपि मैं अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता हूं परन्तु उस व्यक्ति का पत्र पढ़कर मैंने यह महसूस किया था कि यदि उसने त्यागपत्र न दिया होता तो उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये था । कोई भी कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ अधिकारी सरकार को यह बताने का हकदार नहीं है कि उन्हें क्या कार्य दिये जाने चाहियें । कार्य का निर्णय सरकार अथवा विभागीय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।

इसके पीछे एक लम्बी कहानी है । लगभग चार या पांच वर्ष पूर्व मैं ने सभा में यही प्रश्न उठाया था । मूलतः रेडियो वाइसराय की परिषद् के अन्तर्गत एक विभाग था जिसका पूर्ण प्रभारी महानिदेशक हुआ करता था । वह परिषद् के निदेश के अन्तर्गत जैसा चाहे वैसा कर सकता था । उस समय विभाग को मंत्रालय को उत्तर नहीं देना पड़ता था । तब संसदीय सरकार नहीं थी इसलिये अधिकारियों को जैसा चाहे वैसा निर्णय करने का अधिकार था । प्रजातंत्र आने के बाद तथा उस के संसद् और मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन हो जाने तथा उस का इतना अधिक विस्तार हो जाने पर प्रोग्राम प्रोडक्शन के प्रश्न पर विचार किया गया ।

यह ज्ञात हुआ कि हमारे कार्यक्रम का स्तर इस लिये ठीक नहीं है कि उसके प्रभारी अधिकारी विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त नहीं हैं । परन्तु यह किसी की गलती नहीं है । कारण यह है कि स्थायी कर्मचारियों की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भाषा के आधार पर नहीं वरन् सामान्य योग्यताओं के आधार पर की जाती है । इस लिये दिये गये कर्मचारियों में से बहुत से ऐसे हैं जो अधिकांश भारतीय भाषायें नहीं जानते हैं । उदाहरण के लिये यदि किसी पंजाब के अधिकारी को तामिलनाड में नियुक्त किया जाता है तो उस से तामिल कार्यक्रम का कार्य करने की आशा कैसे की जा सकती है ? वह उसके बारे कुछ भी नहीं समझेगा ।

इसलिये अधिकांश प्रसारण केन्द्र यह करते हैं कि कार्यक्रम की तैयारी के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त करते हैं । संगीत, साहित्य अथवा वार्ता सभी का कार्य विशेष योग्यता वाले व्यक्ति करते हैं जिन्हें वह भाषा आती है । इस नई व्यवस्था से कुछ लोगों को असंतोष हुआ जो कार्यक्रमों पर पूर्व नियंत्रण रखने के अभ्यस्त थे और अपनी मनमानी करना चाहते थे । माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि रेडियो को एक खास ढंग के अनुसार कार्य करना होता है । प्रत्येक रेडियो स्टेशन मुख्यालय से बहुत दूर है । उन्हें कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों में वितरण करने के लिये बड़ी बड़ी राशियां आवंटित की जाती हैं । इसलिये कार्यक्रमों का सही वितरण और सही आवंटन बहुत आवश्यक है यदि हम रेडियो को ठीक तरह से चलाना चाहते हैं । यदि कुछ पुराने कर्मचारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

यह महसूस करते हैं कि यह उन की सम्पत्ति थी और सरकार उस में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रही है तो उनके लिये संगठन में कोई स्थान नहीं है । यदि उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो मैं नहीं समझता कि सरकार कोई गलती कर रही है ।

इस मामले में किसी व्यक्ति के बाहर भेजे जाने का कोई प्रश्न नहीं है । जब अखिल भारतीय रेडियो के भूतपूर्व महानिदेशक के नौकरी से हटाये जाने के सम्बन्ध में यह प्रश्न आया था तो मैंने उस पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला था । अब यह प्रश्न पुनः उठाया जा रहा है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी इस प्रकार से सोचते हैं वे अपनी पुरानी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं । जिन माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है उन से मेरा निवेदन है कि यह सही चीज नहीं है । वास्तव में वह जिस दल से सम्बन्धित है उस का यह कहना है कि वह प्रगति और क्रांति का समर्थक है । परन्तु इस प्रकार की बात प्रतिक्रिया और भ्रष्टाचार की द्योतक है । उन्हें उसका समर्थन नहीं करना चाहिये । वास्तव में मैं समझता था कि वह नई व्यवस्था का समर्थन करने वाले प्रथम व्यक्तियों में से होंगे ।

कार्यक्रम बनाने वाले कर्मचारी कलाकार ही होते हैं, केवल उन की जिम्मेदारी कुछ अधिक होती है क्यों कि वे कार्यक्रम तैयार करते हैं, चूंकि उन्हें अधिक महत्वपूर्ण कार्य दिया जाता है इस से यदि कुछ छोटे अधिकारी---जिस अधिकारी की बात वह कर रहे थे वह भारत सरकार के अवर-सचिव से भी नीचे की श्रेणी का था---अपनी तौहीन समझते हैं । अथवा यह समझते हैं कि उन का कार्य छीना जा रहा है तो हमें उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है । मैं अब भी उनसे यही कहूंगा कि मैं उन से बात करने और सारी स्थिति समझाने के लिये तैयार हूं । तब वह स्वयं यह महसूस करेंगे कि यह गलत चीज है विशेषकर किसी अनुचित बात का प्रचार करना ।

इसी से सम्बन्धित कर्मचारी कलाकारों का प्रश्न है । उन के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई गई है । मैं भी उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं । वास्तव में कार्यक्रमों की तैयारी का काम वही लोग करते हैं । साथ ही माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि कमचारी कलाकारों के प्रति सहानुभूति रखना और उनके हित के लिये प्रयत्न करना एक बात है परन्तु यह कहना सर्वथा भिन्न बात है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये और स्थायी बनाया जाये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या माननीय मंत्री ठेके की प्रणाली को कायम रखना चाहते हैं ?

†**डा० केसकर** : उस पर म अभी आ रहा हूं । कर्मचारी कलाकार सायमिक कलाकार का विकसित रूप है । पहले रेडियो कलाकारों को प्रतिदिन उनके कार्यक्रम के प्रसारण के बाद ही भुगतान कर दिया जाता था । परन्तु कुछ समय के पश्चात् अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि यदि दैनिक भुगतान के बजाए अच्छे कलाकारों को दीर्घकालीन भुगतान किया जाए तो कुछ बचत की जा सकती है । इसके परिणामस्वरूप उनको दैनिक भुगतान करने के बजाए हम मासिक शुल्क देते हैं ताकि कार्यक्रम निश्चित होने के कारण वह तैयार हो कर आ सकें । कर्मचारी कलाकारों की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है । उन्हें जो भुगतान किया जाता है वह वेतन नहीं है वरन् समेकित शुल्क है । यदि स्टाफ आर्टिस्टों की ठेका प्रणाली खत्म कर दी जाएगी तो रेडियो का संचालन कठिन हो जाएगा क्योंकि कर्मचारी कलाकार सामयिक कलाकार हैं और यदि कल उन सबको स्थायी बना दिया जाए तो

†मूल अंग्रेजी में ।

कार्यक्रम की नवीनता नष्ट हो जाएगी । जब कार्यक्रम में कोई भिन्नता नहीं रहेगी तो माननीय सदस्य ही सब से पहले उसकी आलोचना करेंगे । संसार के किसी भी रेडियो संगठन में कलाकार स्थायी आधार पर नहीं रखे गए हैं । वैसा करना संभव नहीं है । हम उनके हित का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । यह कहा गया कि उन्हें सुख-सुविधायें दी जानी चाहिए । हमने उन्हें अनेक सुविधायें दे रखी हैं । जिनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं । हां पेंशन तथा दो एक अन्य चीजें उन्हें नहीं दी जा सकती हैं जो केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं । पी० टी० ओ० का उल्लेख किया गया । हम उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं । यदि ठेका प्रणाली खत्म कर दी जाएगी तो रेडियो चलाना असम्भव हो जाएगा । मैं समझता हूं कि इस से कार्यक्रमों की तैयारी के सम्बन्ध में अज्ञानता प्रकट होती है । यदि माननीय सदस्य कार्यक्रमों की तैयारी देखें तो वह ऐसा नहीं कहेंगे कि कलाकारों की संख्या अधिक है । वास्तव में कुछ ठेके तो १५ या ७ दिन के लिए देने पड़ते हैं । वह दिए जाने वाले कार्य पर निर्भर है । समस्त कर्मचारी कलाकार दो वर्ष या तीन वर्ष के आधार पर नहीं नियुक्त किये जाते हैं । उस तरह से बहुत थोड़े से कलाकार नियुक्त किए जाते हैं जैसे संगीत यंत्र बजाने वाले और साथ देने वाले ।

†**श्री तंगामणि** : एनाउन्सर को ठेके के अन्तर्गत क्यों रखा गया है ?

डा० केसकर : मेरा निवेदन है कि उसका स्वर ही सर्वस्व होता है और वह तभी तक उपयोगी है जब तक कि स्वर ठीक रहता है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता था कि सूचना विभाग में दूसरे इसी प्रकार के कामों के लिए प्राविडेंट फंड और छुट्टी दी जाती है सिर्फ आल इंडिया रेडियो में नहीं दी जाती है और ३, ३ साल और ७, ७ साल भी जिनको हो गये हैं उनको भी नहीं दी जाती है ....

†**डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनके नोटिस में एक भी केस ऐसा आया है जिसमें किसी रेडियो आर्टिस्ट की आवाज खराब हो गयी हो और उसको हटा दिया गया हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हाउस के बारे में बतला सकता हूं कि यहां पर मेम्बर साहबान की आवाज खराब हो जाती हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से वजीर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं ....

†**डा० केसकर** : आप अन्त में पूछ सकते हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उनकी कठिनाइयों का ध्यान है और हम इस बात का प्रयत्न करते हैं । कि उनके साथ कोई ज्यादती न हो सके । आप कहते हैं कि कर्मचारी कलाकारों में असुरक्षा की भावना है । जब कोई व्यक्ति गैर पेंशन पद पर होता है तो यह भावना रहती ही है । परन्तु जब तक कोई गंभीर कारण न हो । साधारणः उन्हें हटाया नहीं जाता है । मैं ने पिछले पांच वर्षों के कागजात देखे हैं जिनसे ज्ञात हुआ है कि १८०० कर्मचारी कलाकारों में से केवल ९ को शारीरिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

असमर्थता के कारण नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया है। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

फिर माननीय सदस्य ने उनकी सुख-सुविधाओं का निर्देश किया। मेरे पास उनको दी जाने वाली समस्त सुविधाओं की सूची मौजूद है। परन्तु मेरे पास इतना समय नहीं है कि उन सब को पढ़ कर सुना सकूं। हम उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह केवल अर्जित छुट्टियां नहीं देते हैं। परन्तु उसके प्रविधिक कारण हैं। फिर भी हम उसके लिए प्रयत्नशील अवश्य हैं और जो कुछ भी किया जा सकता है वह अवश्य किया जाएगा। वास्तव में भविष्य निधि के प्रश्न के सम्बन्ध में भी वित्त मंत्रालय को लिखा गया है और हम उन्हें अधिकाधिक सुविधायें देने का प्रयत्न करेंगे।

फिर मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ छोटी मोटी बातों को लूंगा। श्री राधा रमण ने कहा कि संगीत पुराने ढंग का होता है। पता नहीं पुराने से उनका क्या तात्पर्य है। संभवतः वह प्रतिदिन नए गाने चाहते हैं। संगीत में काफी पुनरावृत्ति होती है। यदि हम श्री रवीन्द्र नाथ के गीतों को ले तो एक बार सुन लेने के पश्चात् भी वे पुराने हो जायगे। फिर भी मैं उन्हें सुनना पसन्द करूंगा। मैं समझता हूं कि संगीत में ऐसी पुनरावृत्ति हमेशा रहेगी। परन्तु यह कहना कि कोई अच्छा गीत कई बार प्रसारित कर दिए जाने से पुराना या खराब हो गया है ठीक नहीं है। वह कभी पुराना नहीं होता है। संगीत की यही विशेषता है कि वह पुनरावृत्ति होने पर भी पुराना नहीं पड़ता है। फिल्मी गीत अवश्य पुराने पड़ सकते हैं क्योंकि उनमें शब्दों का महत्व होता है। परन्तु अन्य संगीत में स्वर और लय को अधिक महत्व दिया जाता है।

फिर श्री आसर ने कहा कि ट्रांसमीटर बेकार पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि श्री आसर ने गतकाल प्रतिवेदन पढ़े होंगे। उन्होंने १९४९-५० के एक आयात का निर्देश किया। उस समय ट्रांसमीटरों के भारत पहुंच जाने के पश्चात् वित्त मंत्रालय ने यह आदेश किया कि आगे कोई व्यय नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वह मामला दो या तीन सालों के लिए खटाई में पड़ गया। परन्तु अब ऐसा नहीं है। वे समस्त ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं और वे ठीक तरह चल रहे हैं।

इसके बाद मैं अन्तिम बात पर आता हूं और वह है रेडियो की हिन्दी सम्बन्धी नीति। माननीय मित्रों ने बहुत सी कठोर बातें कहीं हैं मैं लक्ष्य के सम्बन्ध में उनसे सहमत हूं परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि हिन्दी नीति मैं अथवा मेरा मंत्रालय नहीं निर्धारित कर सकता है। श्रीमान्, आप जानते हैं कि हिन्दी सम्बन्धी नीति का निर्माण करन के लिये संसद् ने एक आयोग नियुक्त किया था। जब वह आयोग अपना निर्णय दे देगा तभी यह तय होगा कि हिन्दी कब तक और कहां तक आएगी। गृह मंत्रालय, जो इसका प्रभारी है, इसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उनमें से कुछ हमारे पास आ भी चुके हैं और हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन्हें यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस मामले में यथाशीघ्र कदम उठायेंगे।

फिर हिन्दी के सम्बन्ध में अनेक बातें कहीं गई। उदाहरण के लिये हिन्दी के उपसम्पादका के प्रश्न का निर्देश किया गया। मैं उसे केन्द्रीय सूचना सेवा के साथ लूंगा, हिन्दी के साथ नहीं। परन्तु मैं यह अवश्य चाहूंगा कि माननीय सदस्य यह याद रखें कि रेडियो में ९० या ९५ प्रतिशत प्रोग्राम हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में ही होते हैं। अंग्रेजी में तो केवल दो समाचार बुलेटिन और यदाकदा कोई वार्ता प्रसारित की जाती है। इस प्रकार की वार्ताओं

को छोड़कर प्रत्येक कार्यक्रम हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में ही होता है । मैं समझता हूं इसके लिये उन्हें रेडियो को श्रेय देना चाहिए था । हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए अवश्य ही प्रयत्न करेंगे परन्तु जो कुछ किया गया है उसको देखते हुए इस प्रकार की आलोचना उचित नहीं है । मैं आशा करता हूं कि यदि उन्हें हिन्दी के प्रसार के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो वह मेरे पास आकर उसकी चर्चा करेंगे और मैं जो कुछ भी संभव होगा उसके लिए प्रयत्न करूंगा । क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है । प्रश्न केवल इतना है कि उसे किस प्रकार किया जाएगा । हमारा मतभेद भले ही हो परन्तु हम एक दूसरे के साथ चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं । मैं भी उन्हें अपनी कठिनाइयों का संकेत कर सकूंगा । हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए परन्तु एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए । उन्होंने जो कुछ कहा है उसको में ने सुना है और कुछ बातें नोट भी की हैं ।

इसके बाद मैं प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रश्न को लूंगा ।

श्री ब्रजनारायणसिंह (फिरोजाबाद) : मंत्री महोदय का ध्यान मैं उस आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने दिसम्बर, सन् १९५८ में दिया था कि राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और संसद् सदस्यों के भाषण [illegible] में प्र[illegible] किये जायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि उस आश्वासन के बारे में क्या हुआ है ? . . .

प्रत्येक सदस्य ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का उल्लेख किया है । इस संबंध में कुछ मतभेद ज्ञात होता है । मैं यह बात पुनः दुहराना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर हम समाचार पत्रों या संवाद एजेंसियों को निर्देश देना या उन पर प्रभाव डालना नहीं चाहते हैं । क्योंकि इस मामले में प्रैस की स्वतंत्रता का प्रश्न उठ खड़ा होता है । वस्तुतः प्रैस आयोग के प्रतिवेदन में ही यह बात कही गयी है कि यह कार्य सरकार को नहीं अपितु प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया को करना चाहिये । अपितु उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रगट की कि सरकार प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया या अन्य संवाद एजेंसियों के कार्य पर हस्तक्षेप कर सकती है । मैं निःसंदेह श्री गोरे की इस बात से सहमत हूं कि एक और संवाद एजेंसी भी होनी आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगिता के परिणाम अच्छे होते हैं । मैं ने माननीय सदस्यों के इन विचारों और मतों को नोट कर लिया है कि पी० टी० आई० के कार्य में सुधार करने और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसका पुनर्गठन किया जाय । मैं उस संवाद एजेंसी के निदेशक बोर्ड को यह राय भेज दूंगा ।

ऐसे कार्य में सरकार केवल अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकती है । क्योंकि हम इस शिकायत का अवसर नहीं देना चाहते हैं कि सरकार इन एजेंसियो के कार्य में अनावश्यक दिलचस्पी ले रही है तथा इस प्रकार उन पर दबाव डाल रही है । मैं आशा करता हूं कि कोई अन्य एजेंसी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी और इस प्रकार दोनों संवाद एजेंसियों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता हो सकेगी ।

श्री हरवानी ने साम्प्रदायिक तत्वों को भड़काने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में जोरदार शब्दों में अपील की थी । निःसंदेह साम्प्रदायिक प्रैस देश के लिये बहुत बड़ा खतरा है । तथापि जनमत को चाहिये कि वह स्वयं आगे बढ़ कर यह कार्य करे और इस प्रकार के समाचार पत्रों का बायकाट कर देवे । सरकार के लिये प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ कर ऐसा करना अनुचित होगा । माननीय सदस्य इस बात को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

भली भांति समझते हैं । निःसंदेह ऐसे प्रैस या समाचार पत्रों को जो कि साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाकर दो संप्रदायों को लड़वाते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिये ।

दो तीन सदस्यों ने प्रैस सूचना विभाग का भी उल्लेख किया है । निस्संदेह इसकी स्थापना इस कारण की गयी है कि सरकार अपनी बात तथा दृष्टिकोण को जनता के समक्ष रख सके तथा सरकार तथा प्रैस के बीच एक सम्पर्क बना रहे । यदि प्रैस सूचना विभाग मंत्रियों के भाषणों को भेजता है तो वह ठीक ही करता है क्योंकि यह भी उसका एक उद्देश्य है । यह कोई समाचार पत्र नहीं है अपितु इसका उद्देश्य सरकार का मत, आंकड़े इत्यादि समाचार पत्रों को देना है ।

कुछ वर्ष पूर्व यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रैस सूचना विभाग को बनाये रखने का क्या उद्देश्य है ? किसी माननीय सदस्य अथवा दल की तरह सरकार को भी अपना बचाव करने का अधिकार है । यदि यह विभाग कोई गलत समाचार या बात प्रकाशित करता है तब माननीय सदस्यों को यह कहने का पूरा हक है कि यह विभाग गलत समाचार द रहा है ।

अब मैं कुछ शब्द केन्द्रीय सूचना सेवा के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ सदस्यों ने भारतीय भाषाओं के उप-संपादकों का प्रश्न उठाया है । जिन अधिकारियों को आज कल उपसंपादक कहा जाता है उन्हें बहुत समय पूर्व अंग्रेजी सामग्री का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये नियुक्त किया गया था । अतः वे पद और वेतन क्रम जारी रहे और उनकी एक पदालि बना दी गयी । प्रश्न उनका स्तर ऊंचा करने का नहीं है प्रश्न है भारतीय भाषाओं के लिये भी अंग्रेजी के समान पद बनाना । तथापि मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि इससे उन लोगों का जो कि दूसरे प्रकार के कार्य के लिये दूसरे प्रकार के ग्रेड में रखे गये थे स्वतः कोई पदोन्नति नहीं हो सकेगी । पदोन्नति या स्तर का ऊंचा होना केवल संघ लोक सेवा आयोग पर निर्भर करता है । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी भाषाओं और विशेषतः हिन्दी के लिये भी पृथक एकक हो उसमें उपयुक्त विभाग और उपयुक्त ऊंचे वेतन क्रम के कर्मचारी हों । भारतीय भाषाओं के एककों में सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस पर शीघ्र कार्य किया जायगा ।

श्री राधा रमण ने एक ऐसी समाचार एजेंसी का जिक्र किया जिसने यूनाइटेड समाचार एजेंसी के संबंध में गलत जानकारी दी थी । एजेंसी को गलत नाम नहीं देना चाहिये और न ही यह समझना चाहिये कि इसकी स्थापना राजदूतावासों के द्वारा की गयी है । यह एजेंसी बिल्कुल सुदृढ़ है । जहां तक इसके विस्तार का संबंध है यह इसके काम पर निर्भर करता है । हमें इस संवाद एजेंसी के बारे में गलत जानकारी नहीं देनी चाहिये ।

श्री भटटाचार्य ने यह कहा है कि संवाद पत्रों की श्रृंखला का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । प्रैस आयोग ने भी इसका जिक्र किया है । रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन से भी यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । हमें इस संबंध में सावधान रहना चाहिये तथापि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं । इस संबंध में हमें ब्रिटेन का उदाहरण नहीं लेना चाहिये क्योंकि अभी हाल वहां बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र एक दूसरे से संयुक्त

हो गये और एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बंद हो गया । निस्संदेह यह प्रवृति यहां भी विकसित हो रही है ऐसी श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । तथापि मेरे विचार से इस संबंध में आयोग बिठलाने का अभी समय नहीं आया है ।

जहां तक प्रैस परिषद का प्रश्न है कुछ महीनों पूर्व एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर विचार हुआ था उस समय मैं ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

अब मैं विज्ञापनों के संबंध में सरकारी नीति का उल्लेख करना चाहता हूं । सभा में विज्ञापन की नीति के संबंध में कई बार पहिले भी उल्लेख हो चुका है । मेरे विचार से इसके सिद्धान्तों को बदलने की आवश्यकता नहीं है । हम निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हैं ।

उपलब्ध राशि में अधिक से अधिक व्यक्तियों तक संदेश पहुंचाना, सभी स्तर के पाठकों तक पहुंचाना, समाचार पत्र के चुनाव में उसके परिचालन, प्रकाशन की नियमितता, पाठकों का वर्ग, पत्रकारिता के मानदंडों का परिपालन इत्यादि पर ध्यान रखा जाता है ।

मैं यह बात जोर देकर बतलाना चाहता हूं कि हम समाचार पत्रों के राजनैतिक दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिकाधिक विज्ञापन दिये जायं जिससे कि उनकी व्यापकता बढ़े ।

हम छोटे पत्रों को भी अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहते हैं । माननीय सदस्यों ने अपनी आलोचनाओं में विज्ञापन देने की कठिनाई की ओर ध्यान नहीं दिया है हमारे यहां समाचार पत्रों की संख्या हजारों है और विज्ञापन के लिये जो राशि दी जाती है वह बहुत सीमित है । अतः कुछ पत्रों का चुनाव करना होता है इसलिये भारतीय भाषाओं के सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन देना संभव नहीं होता है ।

यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि हमारे विज्ञापनों का बड़ा भाग वाणिज्यिक आधार पर संचालित होने वाले समाचार पत्रों को मिलता है । यह आरोप गलत है कि हम एक विशेष दल से संबंधित पत्रों को विज्ञापन नहीं देते हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि अधिकांश समाचार पत्रों को उनके विज्ञापनों के संबंध में कोई शिकायत नहीं है । हम उनसे सदैव सम्पर्क रखते हैं। माननीय सदस्य के दल को यह शिकायत हो सकती है कि हम उनके कुछ पत्रों को विज्ञान नहीं देते हैं । तथापि उन समाचार पत्रों की श्रृंखला 'एक्सप्रैस' और 'टाइम्स आफ इंडिया' से भी बड़ी है । वे पन्द्रह दैनिक पत्रों तथा बहुत बड़ी संख्या में साप्ताहिकों का संचालन कर रहे हैं। उन सभी पत्रों को विज्ञापन देना संभव भी नहीं है ।

इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । १९५४-५५ में भारतीय भाषाओं के २९१ पत्रों को विज्ञापन मिल रहा था, आज भारतीय भाषाओं के ७०८ पत्रों को विज्ञापन मिल रहा है । भारतीय भाषाओं को मिलने वाली राशि ५३.९ प्रतिशत हो गयी है । जहां तक वर्गीकृत विज्ञापनों का संबंध है हम १०१ पत्रों के स्थान पर २५० पत्रों का प्रयोग कर रहे हैं । हमने संघ लोक सेवा आयोग को भी इस बात के लिये राजी कर लिया है कि उसके विज्ञापन सभी भारतीय भाषाओं के पत्रों में प्रकाशित हों । धीमे

[श्री ब्रजराज सिंह]

धीमे यह स्थिति आ जायेगी कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन मिलने लगेंगे ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हम एक एजेंसी के द्वारा विज्ञापन देते हैं । यह बात गलत है । हमारे विज्ञापन सीधे समाचार पत्रों को दिये जाते हैं ।

यह कहा गया है कि योजना का उपयुक्त प्रचार नहीं किया जा रहा है । निसंदेह इस संबंध में और अधिक प्रचार होना चाहिये । इस संबंध में मैं उतना ही कार्य कर सकता हूं जितनी राशि मेरे पास उपलब्ध हैं । यदि संसद वित्त मंत्रालय पर दबाव डलवा कर अधिक राशि मुझे दे सके तो मैं निसंदेह बहुत प्रसन्न होऊंगा । मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि योजना का प्रचार होना आवश्यक है । जो थोड़ी सी राशि हमें दी जाती है या जो थोड़े से चल एकक हमारे पास हैं वे समस्त देश में योजना के बारे में प्रदर्शनी दिखलाने और फिल्में दिखलाने का कार्य कर रहे हैं, आलोच्य वर्ष में २०००० से अधिक फिल्म शो किये गये हैं और भारत के प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी की गयी है । हमें इस कार्य में राज्य प्रचार एककों से बड़ी सहायता मिली है, वे भी योजना के संबंध में प्रचार करने में हमसे सहयोग करते हैं ।

जहां तक मासिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का प्रश्न है हम दूसरे मंत्रालयों की ओर से पत्रिकायें प्रकाशित करते हैं । हम केवल पांच पत्रिकायें प्रकाशित करते हैं । अन्य पत्रिकाओं के संबंध में हमें मंत्रालय के निदेशों तथा आदेशों का पालन करना होता है । मैं सभा की राय उन तक पहुंचा दूंगा जिससे कि वे इनका सुधार कर सकें ।

जहां तक प्रचार सामग्री का प्रश्न है हम केवल मंहगी और बड़ी पुस्तिकायें ही प्रकाशित नहीं करते हैं अपितु छोटी छोटी पुस्तिकायें भी प्रकाशित करते हैं । मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि हमें छोटी छोटी पुस्तिकायें सामान्य भाषा में प्रकाशित करनी चाहिये जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें पढ़ सकें ।

श्रीमती इला पालचौधरी ने यह सुझाव दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की जीवनी प्रकाशित की जाय । यह एक अच्छा सुझाव है मैं इस पर विचार करूंगा ।

जहां तक राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने और उसके एकीकरण का प्रश्न है इस मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में उपादेय कार्य किया जा सकता है । तथापि इसे सभी के परामर्श से करना होगा, मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस संबंध में एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जा सके, मैं स्वयं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाय ।

पत्रकारिता में अनुसन्धान और प्रशिक्षण देने का उल्लेख किया गया है, मैं इस प्रश्न की अग्रेतर परीक्षा करूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह कहा है कि समाचार बुलेटिनों में और अधिक सामाजिक और क्षेत्रीय जानकारी मिलनी चाहिये । मैं स्वयं चाहता हूं राजनैतिक समाचार कम दिये जाने चाहिये । तथापि इस संबंध में आकाशवाणी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है । सभी लोग राजनैतिक समाचारों में दिलचस्पी रखते हैं, यहां तक कि जिला स्तर के पत्र में राजनैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों से भरे रहते हैं । तथापि मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा ।

श्री गोरे ने यह सुझाव दिया है कि नयी `क्नीकों पर प्रलेख चित्र बनाये जायं। निसंदेह हमारे पास कुछ इस प्रकार की भी फिल्में हैं तथापि हम इस संबंध में विचार करेंगे। बालकों की पुस्तकों और मासिकों के संबंध में जो सुझाव दिया गया है वह उपयोगी है। मैं शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस पर विचार करूंगा।

अब मैं फिल्मों को लेता हूं। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि समय बीतने के साथ साथ फिल्म विभाग का कार्य और अधिक विस्तृत और अच्छा हो। बालकों की और अधिक फिल्में बननी चाहिये। तथापि मुझे दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने बाल फिल्म संस्था पर आरोप लगाये हैं। यह एक ठोस संस्था है। इसका कार्य विशिष्ठ प्रकार का है हमने इसकी स्थापना इस कारण की थी कि यह इस विशिष्ठ प्रकार के कार्य को अधिक अच्छी तरह कर सकेगी इसके अध्यक्ष पंडित हृ० ना० कुंजरू हैं तथा इस के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। अतः इसके कार्य की आलोचना करना उचित नहीं है।

अब मैं विवाचन और गंदे विज्ञापनों का प्रश्न लेता हूं। जहां तक गंदे पोस्टरों का प्रश्न है इस संबंध में गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय के परामर्श से एक विधेयक बनाया जा रहा है। तथा हम बहुत शीघ्र ही संसद में इस पर विचार करेंगे।

विवाचन का प्रश्न बहुत जटिल है। जटिलता इस बात में नहीं है कि कोई फिल्म अच्छी है या बुरी जटिलता इस बात में है कि हम किस सीमा तक विवाचन कर सकते हैं। हमें पिछले नियमों और विनियमों पर भी विचार करना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट में कंवरा डान्स की अश्लीलता के बारे में एक मामला आया था लेकिन हाई कोर्ट ने उसे यह कह कर खारिज कर दिया कि कंवरा डान्स एक कलात्मक अभिव्यक्ति है।

मैं विवाचक-कार्य के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि उसके लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित कर देने से समस्या हल नहीं होगी। इसलिये कि उसे हर चलचित्र को देख कर उसके हर दृष्य और उसकी हर घटना के बारे में उसके संदर्भ को देखते हुये निर्णय करना पड़ता है। एक संदर्भ में जो दृश्य या घटना उचित हो, दूसरे संदर्भ में वही अनुचित हो सकती है। विवाचक भी कभी ग़लती कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला कर उनका काम अच्छा रहा है मैं उनकी कठिनाइयां जानता हूं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : लेकिन भारत विरोधी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या कठिनाई है ?

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न पर सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है। यदि आप चाहें तो फिर से चर्चा की जा सकती है, अलग से। अभी मैं एक-दो मिनट में उसके बारे में क्या कह सकता हूं ?

यह मैं मानता हूं कि सुधार की गुंजाइश है। हम उसके लिये प्रयत्नशील भी हैं। मैं श्री त्यागी की बात से सहमत हूं कि हमारे चलचित्र ऐसे होने चाहिये जिस से नई पीढ़ी के लोगों के मनोरंजन के साथ कुछ प्रेरणा भी मिले। लेकिन यह किया कैसे जाये ?—इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है, जिससे कोई भ्रान्ति पैदा न हो सके। हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

मैं जानता हूं कि इतने कम समय में मैं सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया हूं । लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम उन पर सावधानी से विचार करेंगे ।

मेरा प्रस्ताव है कि मांगें स्वीकृत की जायें ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रेस सूचना विभाग के केन्द्रीय कार्यालय की ओर से मंत्रियों के भाषण प्रादेशिक कार्यालयों में भेजने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे तीन दिन बाद उनको मिल पाते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : स्पष्टतः भारत विरोधी, विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या कठिनाई है ?

†**डा० केसकर** । यदि आप ऐसी कोई मिसाल बतायें, तो मैं उसकी जांच करूंगा । विदेशी चलचित्रों का विवाचन बड़ी बारीकी से किया जाता है । गत वर्ष लगभग ६० विदेशी चलचित्रों को अनुज्ञप्तियां नहीं दी गई थीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि "मुगले आज़म" चलचित्रों में जो मानचित्र दिखाया जाता है उसमें भारतीय भाग को चीनी राज्य क्षेत्र में दिखाया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चीज माननीय मंत्री के पास लिखित रूप में भेजी जानी चाहिये ।

अब इस पर अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : कटौती प्रस्ताव संख्या ९८९ अलग से मतदान के लिये रखा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ९८९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिय रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	१३,१३,०००
६२	प्रसारण	५,१४,३६,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,६८,०२,०००
१२६	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय .	४,५२,८३,०००

†मूल अंग्रेजी में

विधि-मंत्रालय

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधि मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पन्द्रह मिनट के अन्दर दे दें।

वर्ष १९६०–६१ के लिये विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
७१	विधि मंत्रालय	३४,७१,०००
७२	निर्वाचन	२६,०८,०००
७३	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१,२७,०००

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १०३३ से १०३६ तक और १०३८ रख रहा हूं। विधि मंत्रालय का काम है सरकार को परामर्श देना। बेरूबाड़ी के बारे में मंत्रालय ने सरकार को परामर्श दिया था कि हम संविधान को संशोधित किये बिना ही भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तातंरित कर सकते हैं।

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): यह परामर्श उच्चतम न्यायालय ने दिया था, मंत्रालय ने नहीं।

†श्री साधन गुप्त : यदि समझौते के समय सही परामा दिया गया होता, तो यह हस्तांतरण इतने बुरे तरीके से न होता।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

उससे इतनी जनता का विस्थापन न होता। लेकिन विधि मंत्री ने रास्ता यह अपनाया कि यहां जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हो रहा था, तो उन्होंने अपना मतदान नहीं किया। यह सम्मिलित दायित्व के हर सिद्धान्त के विरुद्ध है। यदि वह निर्णय से सहमत नहीं थे, तो उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये था।

संविधान की भावना स्पष्ट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जैसे पद पर काम करने वाले व्यक्ति को उसके बाद किसी पद का लालच न हो : लेकिन उनको वित्त आयोग का सभापति बना दिया गया है और यह उस भावना का उल्लंघन है। सभापति के पद के साथ कुछ उपलब्धियां भी जुड़ी हैं। ऐसी नियुक्तियों से जनता का विश्वास उठ जायेगा।

उड़ीसा विनियोजन विधेयक और अध्यादेश का प्रश्न लीजिये। उसके बारे में भी सही राय नहीं दी गई। विधि मंत्रालय को राय देनी चाहिये थी कि पहले के विधान को वापस लेने के बाद ही नया विधान रखा जाये।

अब सरकार चाहती है कि आम चुनावों से पहले ही उड़ीसा में चुनाव हो जायें। यह ग़लत होगा। जब तक चुनाव होंगे तब तक वहां सख्त गर्मी पड़ने लगेगी। मतदाता उतनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

तेज धूप में मतदान करने नहीं जा सकेंगे। उसके बाद बरसात आ जायगी और जब तक सड़कें सूखेंगी तब तक फसल का समय हो जायेगा। उसके बाद आम चुनाव आ जायेंगे। इसलिये चुनाव एक मखौल बन कर रह जायेगा।

मैं मानता हूं कि उड़ीसा में यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक सरकार बननी चाहिये, लेकिन चुनाव को मखौल भी तो नहीं बनने देना चाहिये। सभी विरोधी दल चाहते हैं कि आम चुनावों से पहले ये चुनाव न हों। निर्वाचन आयोग को सरकार की जिद के आगे झुकना नहीं चाहिये।

सत्तारूढ़ दल के पास पैसा काफी है। इसलिये वह चाहता है कि दो चुनाव हों, उससे उसका लाभ होगा। विरोधी दलों के पास इतना पैसा नहीं है।

अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बहस चल रही है। बहस इस बात पर है कि राष्ट्रपति के लिये मंत्रि-परिषद् की राय मानना अनिवार्य है, या नहीं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जिस कटौती प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी, अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी है। इसलिये इस विषय का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** : मुझे नहीं बताया गया कि उसको अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी मैं अनुमति देने के विरुद्ध तो बोल सकता हूं।

†**सभापति महोदय** : इस चर्चा में राष्ट्रपति का नाम अवश्य आयेगा, और नियम ३५२ के अनुसार उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं राष्ट्रपति का नाम नहीं लूंगा। मैं तो संवैधानिक स्थिति के बारे में ही कहूंगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : अध्यक्ष महोदय ने कटौती प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है और जब तक उनका निर्णय बदल न जाये, तब तक इस पर नहीं बोला जा सकता।

†**श्री साधन गुप्त** : विधि मंत्रालय की चर्चा के समय, मैं कटौती प्रस्ताव के बिना भी इस विषय पर बोल सकता हूं।

†**सभापति महोदय** : मांग को किसी कटौती प्रस्ताव के आधार पर ही अस्वीकृत किया जा सकता है।

†**श्री अमजद अली (धुबरी)**: विधि मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय, संवैधानिक स्थिति का प्रश्न उठाया जा सकता है।

†**सभापति महोदय** : इसका यह मतलब तो नहीं कि हम संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या पर बहस करने लगें।

†**श्री साधन गुप्त** : मुझे अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत विधि मंत्रालय से यह कहने का अधिकार है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाओं की व्याख्या उच्चतम न्यायालय से कराई जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : यह तो कटौती प्रस्ताव का विषय नहीं है । यदि माननीय मंत्री यह कटौती प्रस्ताव रखते कि विधि मंत्रालय इसे उच्चतम न्यायालय को सौंपने में असफल रहा । तब वह दूसरी ही बात होती ।

†श्री साधन गुप्त : मांग की चर्चा के दौरान में भी यह प्रश्न उठा सकता हूं ।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण करें ।

†श्री साधन गुप्त : हमारे देश में उत्तरदायी सरकार है । उत्तरदायी सरकार के विचार को सब से पहले भारत सरकार अधिनियम, १९१९ के जरिये मान्यता दी गई थी ।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान हमने कभी भी खास इस बात पर, इस विचार पर आपत्ति नहीं की । हमारा भी वही ध्येय रहा है ।

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने इस विचार को और आगे बढ़ाया । उसमें गवर्नर-जनरल के कृत्य दो भागों में विभाजित किये गये थे--एक तो वह जिनको वह केवल अपने स्वयं-विवेक से करेंगे और दूसरा वह जिसमें वह मंत्रिपरिषद् की राय पर चलेंगे । दूसरे भाग के भी दो उपविभाग थे ---एक तो वह जिनमें वह अपने व्यक्तिगत निर्णय को सर्वोपरि बना सकते थे, मंत्रिपरिषद् की राय मानने के लिये बाध्य नहीं थे , और दूसरा वह जिसमें उनको मंत्रि-परिषद् की ही राय पर चलना था ।

देश स्वाधीन होने के बाद हमने पहले भाग के कृत्यों को बिलकुल हटा दिया था ।

अनुच्छेद ७४ की यही पृष्ठभूमि है ।

अनुच्छेद ७८ के अनुसार भी, केवल प्रधान मंत्री ही मंत्रिपरिषद् से किस विषय पर पुनः विचार करने के लिये कह सकते हैं ।

लोक-सभा के प्रति मंत्रि-परिषद् ही सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है ।

दो-एक अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनसे लगता है कि राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकते हैं । लिये उच्चतम न्यायालय से इसकी व्याख्या कराई जानी चाहिये ।

द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों को बांटने के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय तभी किया जाना चाहिये जब निर्वाचन आयोग सभी मान्यता-प्राप्त दलों से परामर्श करले । माननीय विधि मंत्री ने केरल में कहा था कि न्यायाधीश कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं ।

श्री अ० कु० सेन : ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है । नियम के अनुसार कटौती प्रस्तावों के जरिये ही मांगों का विरोध किया जा सकता है । मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी ।

सभापति महोदय : विधि मंत्री जब इन्कार कर रहे हैं, तो उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त : न्यायाधीशों के बारे में जो भी कहा जाय, वह सावधानी से कहा जाना चाहिये । उससे न्यायपालिका का नैतिक-बल कम होता है ।

कानूनी सहायता योजना को और तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

आगामी चुनावों के लिये ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि दिल्ली तथा अन्य क्षेत्रीय रेडियो केन्द्रों से राजनीतिक भाषण प्रसारित करने की सुविधा सभी मान्यता-प्राप्त दलों को मिल सके। तभी जनता उनके दृष्टिकोण को भली प्रकार समझ सकेगी और सही चुनाव कर सकेगी।

विधि आयोग ने संविधान के अनुच्छेद २२६ को अधिक व्यापक बनाने की सिफारिश की है। इस में काफी शीघ्रता से काम लिया जाना चाहिये। हर उच्च न्यायालय को भारत सरकार के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

†श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित--आंग्ल-भारतीय): हमने संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को ही सर्वोपरि माना है। उच्चतम न्यायालय हमारे मूलभूत अधिकारों का प्रहरी है।

१९५९ तक उसने यह कर्तव्य बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ निभाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कार्यपालिका के शासन में यह शर्त लगा दी गई है कि उच्चतम न्यायालय में किसी भी याचिका की सुनवाई तभी होगी, जब उसके लिये २,५०० रुपये जमा करा दिये जायें।

†श्री अ० कु० सेन: कार्यपालिका का शासन ही सरकार का शासन है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा नियम बनाने में सरकार का कोई हाथ नहीं है।

†श्री फ्रैंक एन्थनी: यह नियम उच्चतम न्यायालय ने बनाया है। लेकिन इसकी सलाह शायद विधि मंत्रालय ने दी होगी।

†श्री अ० कु० सेन: माननीय सदस्य स्वयं ही एक अनुभवी वकील हैं। वह जानते हैं कि सरकार उच्चतम न्यायालय को सलाह नहीं दे सकती। उच्चतम न्यायालय ही सरकार को सलाह देता है।

यह सरकार के लिये उचित भी नहीं होगा कि वह उच्चतम न्यायालय को सलाह दे।

†श्री फ्रैंक एन्थनी: लेकिन विधि मंत्री को हैसियत से उनको इस पर विचार करना चाहिये।

कहा जा सकता है कि यह नियम इसलिये बनाया गया है कि बेमतलब की याचिकायें न आयें। लेकिन अनुच्छेद ३२ में इसे रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

इस नियम का परिणाम यह होता है कि औसत दर्जे का नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों के रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय की शरण नहीं ले पाता, क्योंकि वह ढाई हजार रुपया जुटा नहीं पाता। इसलिये ऐसी शर्त नहीं रखी जानी चाहिये।

एक और प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार दण्डित व्यक्ति को अपील के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इंगलैण्ड में यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया हो, तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे देश में राज्य सरकार उसके विरुद्ध अपील कर सकती है। कुछ उच्च न्यायालय तो ऐसी हर अपील की अनुमति दे देते हैं, और कुछ न्यायालय उसे सिद्धान्त: गलत मानते हैं। केवल फांसी की सजा पहली बार पाने वाले व्यक्ति को ही अपील करने का अधिकार है। आजन्म कैद की सजा वालों को भी अपील करने का अधिकार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति को प्रथम बार दंड दिया गया हो उसके लिए अपील करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। जिस मामले में फांसी की सजा दी गयी हो वहां तो अपील करने का अधिकार होता है किन्तु दीवानी मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जब कि मामला २०,००० रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के बारे में हो। इस बात की जांच की जानी चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कार्यपालिका के दबाव में आकर न्यायपालिका अनिर्णीत बकाया मामलों को जल्दी निबटाना चाहती है। इस प्रकार की शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ एक मामलों में ऐसा हुआ है, यह उचित नहीं है। इस मामले में केवल योग्यता को ही आधार माना जाना चाहिए। न्यायाधीशों को निवृत्त होने पर वकालत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने से आपत्तिजनक कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस दिशा में बड़ी स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण किया जाना चाहिये। न्यायाधीशों को निवृत्त होने पर सरकारी पद प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं ने बड़ी तवज्जह के साथ श्री साधन गुप्त और मि० एन्थनी की स्पीचों को सुना। मैं ताज्जुब करता था कि ऐसे मामलात भी जो ला मिनिस्ट्री के खिलाफ कट मोशन्स की शक्ल में नहीं आये हैं, यहां अर्ज हो सकेंगे।

श्री रामी रेड्डी (कड़पा) : माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह अंग्रेजी में बोलें।

श्री तंगामणि : यदि वह अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम भी समझ सकेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे कोई हिदायत देने की जरूरत नहीं है। मैं जिस लैंग्वेज में चाहूंगा उस में बोलूंगा। कौन मुझे फोर्स कर सकता है कि मैं अंग्रेजी में बोलूं या किस लैंग्वेज में बोलूं ?

श्री तंगामणि : हम उनसे अंग्रेजी में बोलने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह ताज्जुब करता था कि जो कटमोशन्स इस हाउस के अन्दर नहीं दिये गये हैं उन के ऊपर बहस जायज है या नहीं। लेकिन मैं खुश हूं कि जनाब ने या ला मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि इस तरह की बहस के मौके पर यह जनरल बहस दुरुस्त नहीं है।

मैं समझता था कि ला मिनिस्ट्री के खिलाफ या ला मिनिस्ट्री के किसी कंडक्ट के खिलाफ किसी किस्म की तनकीद होगी और उस पर कोई कटमोशन आयेगा। लेकिन जो बातें इस कांस्टिट्यूशन बनने के वक्त कही गई थीं वही आज सारी की सारी इस बहस में लाई जा रही हैं। इस से मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस में कोई शक नहीं कि वह बातें बड़ी जरूरी हैं, और मैं आप की इजाजत से उन में से चन्द बातों पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

सब से अव्वल तो हमारे ऐन्थनी साहब ने यह फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नया रूल बनाया है कि जब तक ढाई हजार रु० दाखिल न किये जायें तब तक किसी शख्स की दफा ३२ के स्पेशल लीन सुनी नहीं जा सकेगी। मैं ऐन्थनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यह खबर इस हाउस को दी। मुझे इस का इल्म नहीं था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह इतना सख्त आब्स्टैकल है फंडामेन्टल राइट्स के रास्ते में कि हमारी ला मिनिस्ट्री को जरूर

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

इस के बारे में कुछ करना चाहिये । आप जानते हैं कि दफा १४५ के मातहत सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स बनाता है उस में गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती । मगर मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप इन सारे फंडामेंटल राइट्स पर या एक फंडामेंटल राइट पर यह रोक लगाते हैं कि जो शख्स ढाई हजार रु० दाखिल करे उसी को इजाजत है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाये, वर्ना वह नहीं जा सकता । बड़े ताज्जुब की बात है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का रूल बनाया । मैं समझता हूं कि आज तक सारे हिन्दुस्तान में इस का पूरा इल्म लोगों को नहीं है नहीं तो इस का बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म होता । यह कहना गलत है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स का पासबां है । दफा ३२ के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के सामने शिकायत हो सकती है । दरअस्ल फंडामेंटल राइट्स की पासबां तो हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया है । मैं यह आज ही नहीं कह रहा हूं, जिस वक्त फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैं बोल रहा था उस मौके पर भी मैं ने कहा था कि सिर्फ दो पासबां हैं फंडामेंटल राइट्स के, एक तो गवर्नमेंट और दूसरे सुप्रीम कोर्ट, जिस के लिये दफा ३२ में दिया हुआ है । अगर आप इस की तारीफ देखेंगे तो वह कांस्टिट्यूशन के अन्दर है । कांस्टिट्यूशन की दफा १३ के अन्दर स्टेट की डेफिनिशन दी हुई है, उस के बाद ही सारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल दिये हुए हैं । वहां पर हम पाते हैं कि गवर्नमेंट की जो जनरल पालिसी है उस को कायम करना हर एक गवर्नमेंट या स्टेट का फर्ज है । स्टेट, म्यूनिसिपल कमेटी या कारपोरेट अथारिटी हों या गवर्नमेंट आफ इंडिया हो । डाइरेक्टिव प्रिंसिपल उसके बारे में हम ने यह रखा है कि उन की पासबां गवर्नमेंट आफ इंडिया है । जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स का सवाल उठेगा, वहां पर गवर्नमेंट पाबन्द है । जो कांस्टिट्यूशन का असली प्रिंसिपल है उस पर गवर्नमेंट सब से ज्यादा पाबन्द है । क्या गवर्नमेंट को आज यह पता नहीं है कि अपने राइट्स को बचाने के लिये आज कौन शख्स सुप्रीम कोर्ट में ढाई हजार रुपया जमा कर सकता है । मेरे खयाल में हमारा पहला फंडामेंटल राइट है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स से यह रूल कंसिस्टेंट है या नहीं । इस रूल के माने तो यह हैं कि जिस के पास रुपया है वही सिर्फ अपने हुकूक की रक्षा कर सकता है । एक मामूली आदमी कोई चीज सिविल कोर्ट में पेश करता है, लेकिन अगर कोई लीगल प्वाइंट है तो उस की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, लेकिन अगर किसी शख्स को काले पानी की सजा हुई तो वह उस की अपील नहीं कर सकता । जब हम ने सुप्रीम कोर्ट का ला बनाया तो उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था और उसी बात को मैं आज दोहराता हूं कि एक मामूली आदमी इस तरह से समझ सकता है कि बड़े आदमी को हर एक आसानी हासिल है जब कि गरीब आदमी की परवाह करने वाला कोई नहीं है।

यह गलत चीज है कि हम किसी मामूली आदमी की लिबर्टी की परवाह न करें । जिस आदमी के पास २०,००० रु० है उस की प्रापर्टी को आप ज्यादा सिक्योर रक्खें यह ठीक चीज नहीं है । आखिर यह बात तो नहीं है कि किसी आदमी की जायदाद की हिफाजत ज्यादा सैंक्रोसेंट है लेकिन किसी आदमी की जिन्दगी और उस की रेपुटेशन उतनी सैंक्रोसेंट नहीं है । सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को तय करते वक्त मैंने बहुत से अमेंडमेंट्स पेश किये थे । मैं ने उन के भीतर यह सब बातें रक्खी थीं । हाई कोर्ट किसी को सजा दे दे काले पानी की तो उस की अपील सुप्रीम कोर्ट में **ऐज ए मैटर आफ राइट** नहीं हो सकती । हाई कोर्ट कोई भी सजा दे अलावा फांसी के तो उस की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं है । यह हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ब्लाट है । जब भी हाई कोर्ट किसी को सजा दे देता है और उस की रिट जाती है तो उस के लिये मुश्किल से दो या तीन मिनट मिलते हैं । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह बीमारी सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा है । शायद ८० या ९० परसेन्ट केसेज पहली ही पेशी में खत्म हो जाते हैं । तीन तीन, चार चार मिनट में खत्म हो

जाते हैं। यह रूल बना हुआ है कि चूंकि हाई कोर्ट ने मान लिया है इस लिये सुप्रीम कोर्ट उस में दखल नहीं दे सकता है। कम से कम और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और एन्हैन्स की जानी चाहियें और यह होना चाहिये कि चूंकि आज कल हर एक केस नहीं जा सकता सिर्फ फांसी का केस जा सकता है, इस लिये हर एक मामले में, कतल की सजा के मामले में राइट आफ अपील ही जाये। मैं पूछता हूं कि आखिर यह कौन सा जुर्म है जिस के लिये कोई राइट आफ अपील न हो। ३२३ में तो फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकेन्ड अपील हो सकती है, फिर स्पेशल अपील पिटीशन हो सकती है, लेकिन अगर काले पानी की सजा हो जाय या उस से भी सख्त सजा हो जाय तो उस के वास्ते किसी आदमी को अपील करने की गुंजाइश नहीं है। यह एक फ्लॉ है जिस को हम ने रख्खा हुआ है। यह चीज तो कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने की थी। ला मिनिस्टर या ला मिनिस्ट्री को इसके लिए कैसे कुसूरवार ठहराया जा सकता है। इसलिए यह शिकायत करना कि उन्होंने ठीक नहीं किया जायज नहीं है। इस तरह के और भी सवाल हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी ला मिनिस्टर पर या उनकी मिनिस्ट्री पर नहीं डाली जा सकती। आप देखें कि बेरूबाड़ी का मामला था, उसके बारे में प्रेसीडेंट ने ऐक्शन लिया और इस हाउस में वह चीज मंजूर कर ली गयी। तो ला मिनिस्टर का इसमें क्या कुसूर है। अगर किसी चीज को इस हाउस ने मंजूर कर लिया या कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने मंजूर कर लिया उसके बारे में न कोई कट मोशन लाया जा सकता है और न उसके लिए ला मिनिस्टर को या ला मिनिस्ट्री को जिम्मेदार ठेहराया जा सकता।

इस तरह की बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन उनके लिए इस तरह से कट मोशन नहीं लाया जा सकता। अगर कोई कहे कि चूंकि बंगाल में पानी खारा होता जाता है या हिसार का पानी ऐसा है कि उसमें सेब पैदा नहीं होता और उसके लिए ला मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर कटमोशन ले आए तो यह कहां तक वाजिब होगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस चीज को कांस्टीट्यूएंट असेम्बली पास अर चुकी है उसके बारे में ला मिनिस्टर क्या कर सकते हैं।

अब आप देखें कि इस हाउस में हमने करोड़ों आदमियों का इलेक्शन के लिए खड़े होने का राइट छीन लिया। वह वोट तो दे सकते हैं लेकिन रिजर्व्ड कांस्टीट्यूएंसीज़ से खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इसके अन्दर ला मिनिस्टर क्या करें। हाउस ने इस चीज को तै किया। तो जो चीज हाउस के अन्दर तै हो चुकी है उसके लिए इस तरह से कटमोशन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर इस बारे में कोई मोशन लाना ही चाहता है तो वह नया बिल बराय तबदीली कानून ला सकता है। मैं भी ला सकता हूं और और कोई दूसरे मेम्बर साहिबान भी ला सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में कटमोशन लाना तो जायज़ नहीं है। इन मोशन्स को न दुरुस्त तौर पर कटमोशन्स की शक्ल दी गयी है और न दी जा सकती है। जो चीज हाउस ने पास कर दी उसके बारे में ला मिनिस्टर क्या कर सकते हैं। यह तो हम सब की राय पर हुआ है। इसलिए इस तरह की चीजों के बारे में कटमोशन नहीं लाए जा सकते।

एन्थनी साहब ने कुछ जरूरी बातें इस हाउस के सामने रखीं। उनमें से दो बातों का तो मैं जिक्र कर चुका। एक बात के बारे में और अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने फरमाया, इसमें शक नहीं कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों को प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आज यह चीज़ एक स्कैंडल सी बनी हुई है। सच बात तो यह है कि उनका मर्तबा इतना ऊंचा होता है कि उनको इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि मामूली वकीलों की तरह आ कर प्रेक्टिस करें। यह ठीक नहीं मालूम होता। लेकिन यह किसने किया? जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली काम कर रही थी तो इन सब बातों पर विचार किया गया और उसने जिस चीज को पास कर दिया उसमें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ला मिनिस्ट्री क्या कर सकती है । अब उन बातों को लाजिमी तौर पर मानना होगा । जब तक कि गवर्नमेंट कांस्टीट्यूशन को माडिफाई करने का बिल न लाए और उसको पास न कराया जाए तब तक इस बारे में क्या हो सकता है ।

इसी तरह से श्री साधन चन्द्र गुप्त साहब ने एक और चीज हमारे सामने रखी । उन्होंने प्रेसीडेंट साहब की पावर्स का सवाल उठाया । सवाल यह है कि सारे मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है । क्या प्रेसीडेंट गवर्नमेंट की राय को वीटो कर सकते हैं या नहीं । इस चीज को लेकर पहले ही सारे मुल्क में झगड़ा हो रहा है । तरह तरह की तर्लीलें दी जा रही हैं । उन्होंने दो तीन सेक्शन बताए । जब कांस्टीट्यूशन बना था तो इस किस्म का कोई सेक्शन नहीं रखा गया था कि प्रेसीडेंट मिनिस्ट्री की राय को मानने का पाबन्द होगा या नहीं । तो यह कांस्टीट्यूशनल सवाल है । मैं भी चन्द रीजन्स दे सकता हूं कि उनको ऐसा करने का अख्तियार है । आपकी इजाजत हो तो मैं रीजन्स दे सकता हूं कि उनको पूरा अख्तियार है । लेकिन यह बहस बेमानी है । इस मिनिस्ट्री की बहस के मौके पर यह बात कहना बेमानी होगा । अगर इसी तरह से देखा जाए तो किसी भी मिनिस्ट्री पर हर किस्म की बहस उठायी जा सकती है तो मेरी अर्ज यह है कि जहां तक ला मिनिस्ट्री का सवाल है उसके बारे में इस किस्म के कटमोशन जायज नहीं हैं और इन बातों पर बहस नहीं की जा सकती ।

यह सवाल किसी ने नहीं उठाया कि किस मामले में ला मिनिस्ट्री ने गलती की है, बिल्स के ड्राफ्टिंग के अन्दर नुकायश हैं या फलां बिल इस तरह का लाया गया जो कि पब्लिक ओपीनियन के खिलाफ था ; कोई ऐसी बात नहीं कही गयी । जिन बातों का जिक्र किया गया है उनकी जिम्मेवारी ला मिनिस्ट्री पर नहीं थोपी जा सकती । इसलिए मैं इन सारे कटमोशन्स को अपोज करता हूं और मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय का प्रतिवेदन बहुत ही संक्षित है, उसमें मंत्रालय के कार्यों का विवरण नहीं है । राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों का इस प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है । और भी कई महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है । मेरा यह मत है कि मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि न्याय शीघ्र हो और अधिक खर्चीला न हो । मंत्रालय को इस बात के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ राज्यों में राजस्व कमाने हेतु स्टैम्प शुल्कों के रूप में न्याय के नाम पर धन कमाने का व्यापार तो नहीं किया जा रहा है । मंत्रालय को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एडवोकेटों के लिए पंजीयन-शुल्क भी बढ़ाया न जाये, जैसाकि पंजाब में किया गया है । जहां पर पंजीयन-शुल्क ५०० रु० से बढ़ाकर ७५० रुपये कर दिया गया है । न्याय प्रशासन को व्यापारिक ढंग से न देखा जाये, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकारों के आय-व्ययकों का परीक्षण किया जाना चाहिए । आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे । विधि मंत्रियों के सम्मेलन न अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं ।

इसके लिए सारा देश विधि मंत्री का आभार मानेगा कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर दी जायेंगी और लम्बित पड़े मामलों को निबटाया जा सके । विभिन्न विधानों को लागू करने के मामले में एक रूपता होनी चाहिए । जम्मू और काश्मीर राज्य को हर विधि के

---

†मूल अंग्रेजी में

लागू किये जाने से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए एक आदर्श योजना बनाई जानी चाहिए । राज्यों में भी इसी आधार पर योजनायें बनानी चाहिऐं ।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है कि कार्य-पालिका तथा न्यायपालिका को पृथक करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए; कुछ राज्यों में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । इस दिशा में मेरा मत यह है कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । इसके साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सम्बोधन करने के लिए "माई लार्ड" के बजाय "श्रीमान जी" शब्द क्यों न स्वीकार कर लिया जाये ।

विधि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७१	८१७	श्री अरविन्द घोषाल	कलकता के उच्च न्यायालय के वकीलों के चेम्बर में जाने की अनुमति देने में भेद न किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
७१	९५६	श्री अरविन्द घोषाल	विभिन्न विधियों पर विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में शीघ्रता की आव-श्यकता।	१०० रुपये
७१	९५७	श्री अरविन्द घोषाल	गरीब लोगों को मुकदमे बाजी में सहायता देने के लिए कोष निर्माण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७१	९५८	श्री अरविन्द घोषाल	विधेयकों के प्रारूप को सुधा-रने की आवश्यकता।	१०० रुपये
७१	९५९	श्री अरविन्द घोषाल	अधिनियम के साथ नियम निर्माण करने की आव-श्यकता।	१०० रुपये
७१	१०३३	श्री अरविन्द घोषाल	बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में दिया गया परामर्श ।	१०० रुपये

[श्री अजित सिंह सरहदी]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७१	१०३४	श्री साधन गुप्त	उड़ीसा विनियोग विधेयक तथा उड़ीसा विनियोग अध्यादेश पर दी गयी मंत्रणा	१०० रुपये
७१	१०३५	श्री साधन गुप्त	चुनाव आयोग द्वारा द्वि-सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों को समाप्त कर अखिल भारतीय तथा राज्यों के स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से परामर्श करके चुनाव क्षेत्र निर्धारित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७१	१०३६	श्री साधन गुप्त	गरीब मुकदमे बाजों को कानूनी सहायता देने की योजनाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७१	१०३८	श्री साधन गुप्त	वित्त आयोग के सभापति की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गयी मंत्रणा ।	१०० रुपये
७१	१०३९	श्री साधन गुप्त	महान्यायवादी के परामर्श के साथ महालेखापाल को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त करने में असफलता।	१०० रुपये
७२	८१८	श्री अरविन्द घोषाल	शुल्क मतदाताओं की सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	८१९	श्री अरविन्द घोषाल	प्रत्येक उम्मीदवार को एक मतदाता सूची मुफ्त देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	८२०	श्री अरविन्द घोषाल	सामान्य तिथि निकल जाने पर भी मतदाताओं के नाम दर्ज कर लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	८२१	श्री अरविन्द घोषाल	चुनाव आयोग के समक्ष पड़े मामलों को शीघ्रता से निबटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७२	८२२	श्री अरविन्द घोषाल	उम्मीदवारों द्वारा हिसाब देने की प्रक्रिया को नर्म कर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७२	८२३	श्री अरविन्द घोषाल	किसी साम्प्रदायिक दल को एक निर्धारित चुनाव चिन्ह न देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७२	१०३७	श्री तंगामणि	द्विसदस्यीय क्षेत्रों को समाप्त करने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७२	८२४	श्री अरविन्द घोषाल	हिन्दी धर्म स्थान आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†**श्री अमजद अली** : विधि मंत्रालय का प्रतिवेदन मेरे सामने है मेरा निवेदन है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को यह बताना पड़े कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के चुनाव पर कितना धन खर्च किया है । यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी चुनाव याचिका के बारे में उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय में दो अपीलें दायर करने के लिए उपबन्ध होना चाहिए । साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि चुनाव याचिकाओं में खर्च के लिए जो १००० रुपये जमा करने होते हैं उसे २००० रुपये कर दिया जाये ताकि निष्कारण दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या कम की जा सके । यदि यह साबित हो जाये कि याचिका का कोई आधार नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी को खर्च दिया जाना चाहिए ।

पिछले वर्ष माननीय विधि मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि निर्धनों को कानूनी सहायता दी जायेगी परन्तु इसके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ।

जहां तक विधि सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न है उसका ब्यौरा पुस्तिका में दिया गया है । उसके अनुसरण में जो विधेयक लाये गये थे उनमें काफी विलम्ब

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

हुआ है । उदाहरणार्थ विधि व्यवसायी विधेयक पर हालांकि प्रवर समिति विचार कर चुकी है परन्तु अभी तक उसे सभा में पेश नहीं किया गया । अन्य विधेयकों का भी कुछ पता नहीं कि वे कब सभा में रखे जायेंगे ।

इसके पश्चात् पुस्तिका में यह भी लिखा हुआ है कि विधि आयोग कुछ अन्य कानूनों पर भी पुनरावलोकन कर रहा है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदि मूल-भूत कानून इतने स्पष्ट और पुख्ता हैं कि इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है । यदि इन्हें त्रुटिहीन कहा जाये तो भी अत्युक्ति न होगी । इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि इनमें ज्यादा फेर बदल करने की कोशिश न की जाय । हम पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता में अनावश्यक संशोधन करके उसे थोड़ा बिगाड़ चुके हैं । दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत लेख्य याचिका प्रस्तुत करने की परिधि और व्यापक करनी चाहिए ।

इसके बाद काश्मीर की बात है । काश्मीर भारत का अंग है आज वहां दो मुकदमे चल रहे हैं ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : आलोचना के लिए हम आपत्ति नहीं करते परन्तु ये मामले न्यायालय के समक्ष हैं इस कारण हमें इनका उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

†**श्री अमजद अली** : यह ठीक है परन्तु मैं सभा का ध्यान खर्चे और उनमें हो रहे विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूं ।

†**श्री हजारनवीस** : यह दंडाधिकारी के हाथ की बात है । अपराधी बचाव के लिए अपना पूरा समय प्राप्त कर रहे हैं । । हम सभा को सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे ।

†**श्री अमजद अली** : तब मुझे और कुछ नहीं कहना ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं केवल कानून बनाने की बात पर ही अपनी राय जाहिर करूंगा । हमारे तन्त्र में हमें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्यपालिका हमें कानून बनाने में ही लगाये रखना चाहती हो । यह काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । हम प्रशासनिक सेवाओं की ओर ध्यान तक नहीं दे पाते । जब ज्यादा कानून सभा में पेश किये जाते हैं तो सभा भी आराम से कानूनों पर विचार नहीं कर सकती जिसका परिणाम यह होता है कि जल्दबाजी से अधिनियमो में त्रुटियां रह जाती हैं । न्यायालय उन कानूनों की आलोचना करते हैं ।

बहुत से वकील हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे कानूनों में असंगति का आधिक्य होता है । परन्तु हमें इन आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिये बल्कि इनको ठीक से समझना चाहिये ।

इस प्रकार से अस्तव्यस्त कानून बनाने का एक इलाज तो यह है कि पहले तो मन्त्रालय ही साव-धानी से काम करे फिर जहां तक सम्भव हो कानूनों को प्रवर समिति के हवाले किया जाय जहां सारी गलतियां दूर की जा सकें । इसके अलावा राज्य सरकारें भी विधेयकों के सम्बन्ध में अपनी जो राय दें उस पर ध्यान से विचार होना चाहिये । यदि सावधानी से काम लिया जाय तो काफी कुछ सुधार सम्भव हो सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय हम विकास के दौर से गुजर रहे हैं । इस कारण हमें स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करना चाहिये ताकि भावी पीढ़ियां हमारा अनुसरण करें । हाल ही राज्य व्यापार निगम द्वारा की गयी आय बढ़ाने की कार्यवाही पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्राक्कलन समिति ने कहा है कि कराधान सभा द्वारा बनाये गये कानून से ही होना चाहिये । यही स्वस्थ परम्परा होगी । संसदीय समितियों के विचारों पर पूरा ध्यान सरकार को करना चाहिये ।

अब मैं उड़ीसा के बारे में एक शब्द कहूंगा । यह उक्ति विख्यात है कि अपने बचाव के लिये यह दलील नहीं दी जा सकती कि हम कानून से अनभिज्ञ हैं । जहां यह चीज व्यक्तियों पर लागू है, वहां सरकार पर भी है । केन्द्रीय सरकार को पहले ही से राज्यीय गतिविधियों का पूरा विचार करना चाहिये और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिये जिससे जनता को नुकसान पहुंचे । इसी तरह से बम्बई के एक नौसेना के अधिकारी के बारे में केन्द्र ने राज्य सरकार से जो काम कराया उसे भी न्यायालयों ने उचित नहीं माना ।

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद २२६ के अनुसार अब जो भी लेख्य याचिकाएं दी जाती हैं उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय के माध्यम से दिया जाता है । इससे भी दूसरे न्यायालय जनता को न्याय नहीं दे सकते ।

आशा है सरकार इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करेगी ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : श्रीमान, पहले मैं राजनीतिक चन्दों के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा । पहले वक्ता ने कहा कि दलों को बड़ी कम्पनियों से चन्दा लेना चाहिये क्योंकि चुनाव पर बहुत खर्चा होता है । मैं इसे गलत समझता हूं । इस से हमारे देश की राजनीति भ्रष्ट हो जायगी । जितना खर्च निर्वाचनों पर होता है उतना तो देश के ९९ प्रतिशत व्यक्ति कभी कमा भी नहीं पाते । इस कारण यदि आप इस लोकतन्त्र को वास्तव में जनता का लोकतन्त्र बनाना चाहते हैं तो निर्वाचनों का खर्चा सरकारी खजाने से पूरा करने की व्यवस्था की जाय । यदि लोक-सभा और विधान सभाओं के लिये चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को क्रमशः १०,००० तथा ५००० रुपया की दिया जाय तो ३ करोड़ रुपया प्रति पांच वर्ष हमें खर्चा करना होगा । यह बड़ी भारी रकम नहीं है । इससे हमारी राजनीति में गन्दगी तो न फैलेगी ।

हमारा लोकतन्त्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है । हमारे यहां चुनावों की व्यवस्था सराहनीय ढंग से होती है । सरकार का प्रभाव उसमें नहीं रहता । इसका श्रेय निर्वाचन आयोग को ही है । हमें आशा है कि यह परम्परा बनी रहेगी हाल ही में वोट देने का एक और तरीका जारी हुआ है और वह यह है कि मतदाता को उम्मीदवार के नाम के आगे निशान लगाना पड़ता है । परन्तु हमारी जनता शिक्षित नहीं इस कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसकी बजाय यदि सुराख करने की प्रणाली लागू की जाय तो ज्यादा बेहतर रहेगा ।

इस समय उन्हीं दलों को मान्यता दी जाती है जो चुनावों में ३ प्रतिशत वोट ले जायें । मेरे विचार में जो दल संसद के चुनाव के लिये पचास और विधान सभाओं के लिये २०० उम्मीदवार खड़े कर सके उसे मान्यता दी जानी चाहिये ।

[**श्री मूलचंद दुबे** पीठासीन हुए]

इसके अलावा यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि हमारे पते बदलने की गुंजाइश भी रखी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

जहां तक विधि आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है उनमें से बहुत सी अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयीं हैं। अखिल भारतीय न्याय सेवा के बारे में कुछ नहीं हुआ। इसके पश्चात मैंने न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन बढ़ाने की बात भी कही थी। इसके अलावा आजकल उच्च न्यायालयों में काम बढ़ गया है इसलिये निपटान देर से होता है। उसके लिये काम को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये।

इसके बाद मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या न्याय सम्बन्धी मन्त्रालय की स्थापना के लिये भी कोई कार्यवाही की गयी है। क्या न्यायाधीशों की निवृत्ति वस्क को बढ़ाने का निर्णय कर लिया गया है? हमें न्याय को और भी पुष्ट बनाने के लिये न्यायाधीशों को राज्यपाल या राजदूत नहीं बनाना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन याचिका देने की प्रक्रिया को भी सुधारा जाय। संविधान के अनुच्छेद १३६ के अधीन विधि आयोग की सिफारिश है कि अपील करने की अनुमति अधिक मामलों में न दी जानी चाहिये। पर मैं इस सिफारिश से सहमत नहीं हूं।

अन्त में मैं विधि मन्त्रालय के उस विभाग को धन्यवाद देता हूं जो विधेयकों का प्रारूप करता है। यद्यपि गलतियां तो रह ही जाती हैं तथापि वह बड़ी सावधानी से काम करते हैं।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं): विधि आयोग ने अच्छा काम किया है और अब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि का पुनरावलोकन कर रहा है।

सरकार पहले दण्ड संहिता में संशोधन कर चुकी है। उसका उद्देश्य मुकदमेबाजी का खर्च कम करना, निपटारे की अवधि कम करना और अदालतों के झूठ बोलने वालों के प्रति उचित कार्यवाही करना था। किन्तु संशोधन होने के बावजूद भी कोई चीज कम नहीं हुई है। असर यह हुआ है कि अपराधी ज्यादा छूटने लगे हैं।

हमारे न्यायाधीश ने जापान के दौरे के बाद यह कहा था कि हमारे यहां भी मुकदमों को शीघ्र निबटाने की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने कहा था कि जापान में न्याय बड़ी सत्वर गति से होता है। जापान में ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण नहीं किया। हमें माननीय न्यायाधीश की बातों पर विचार करना चाहिए।

आज ही एक प्रश्न के उत्तर में सभा को यह बताया गया है कि विधि आयोग न्यायालयों की प्रक्रिया के सरलीकरण की बात सोच रहा है। इसलिये आयोग को न्यायाधीश की बात पर भी विचार करना चाहिये। मुकदमेबाजी का खर्चा भी घटाना चाहिए।

वस्तुत: हम न्याय के पुराने सिद्धान्त पर ही हर कार्यवाही को आधारित करते हैं और वह यह है कि चाहे सौ अपराधी छूट जायं पर एक भी निरपराधी दण्डित नहीं होना चाहिये। हमें इस बात को छोड़ कर यह करना चाहिये कि अपराधी दण्डित हो और निरपराधी मुक्त हों। ऐसी ही चीज हमें करनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं विधि मन्त्री को यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने १९५८ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ और ५६२ में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पेश किया था। उसमें मैंने यह सुझाव दिया था कि धारा ३४२ में से 'मिथ्या' शब्द निकाल दिया जाना चाहिये। जो माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य १९५८ सभा में थे उन्हें याद होगा कि जब इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया गया था तो अनेक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जजों और वकील संघों ने अपने विचार प्रकट किए थे जिनमें से अनेक उसके पक्ष में थे। मैं चाहता हूं कि उस विधेयक के सम्बन्ध में एकत्रित की गई समस्त सामग्री विधि आयोग के पास भेज दी जाए तो जो इस समय दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता आदि का पुनरीक्षण कर रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान विधि आयोग की इस सिफारिश की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। कि अभी जो कोर्ट फीस प्रचलित हैं वे समाप्त कर दी जानी चाहिये। निशुल्क न्याय की व्यवस्था सरकार का एक आधारभूत कर्त्तव्य है। यदि यह सिफारिश न मानी जा सके तो कोर्ट फीसें यथासम्भव कम कर दी जानी चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं विधि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : सभापति महोदय, प्रजातान्त्रिक देशों में कानून का बहुत महत्व होता है। मैं श्री भरुचा की इस बात से सहमत हूं कि विधेयकों का प्रारूप बनाने का कार्य बहुत कठिन है परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि आजकल के प्रारूपों का स्तर पहले से बहुत गिर गया है। प्रतिवर्ष संशोधन विधेयकों का पेश किया जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। यदि विधेयकों के प्रारूप दूरदर्शिता से तैयार किये जायें तो मैं समझता हूं कि बहुत से संशोधन विधेयकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दूसरी बात जिसका निर्देश मैं करना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की न्यायालयों के न्याय-निर्णयों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिये बेरुवाड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उससे बचाव के लिये सरकार ने संविधान तक में संशोधन कर डाला। इसी प्रकार आसाम के उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच न्यायाधिकरण ने जो प्रतिवेदन दिया उसको राज्य सरकार ने स्वीकार एवं प्रकाशित करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार की अवज्ञा ठीक नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें न्यायाधीशों के निर्णयों का सम्मान करें।

हम यह भी देखते हैं कि अनेक सामाजिक एवं औद्योगिक विधानों में ऐसा होता है कि न्यायालय टैक्नीकल बारीकियां निकाल कर उनके उपबन्धों को रद्द कर देते हैं जिससे सरकार कठिनाई में पड़ जाती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम और उत्तर प्रदेश गन्ना शुल्क अधिनियम के मामलों में ऐसा हो चुका है। मेरा विचार है कि न्यायाधीशों का जनता से समुचित सम्पर्क न होने के कारण ही ऐसा होता है। अतः उन्हें अपने विचारों को उदार बनाना चाहिये।

इसके बाद मैं कानूनी सलाहकारों के प्रवरण का निर्देश करूंगा। केवल ऐसे व्यक्तियों का प्रवरण किया जाना चाहिये जो अत्यधिक कानूनी जानकारी रखते हों क्योंकि यदि वे कोई गलत सलाह देंगे तो बहुत अनर्थ हो सकता है। अभी उड़ीसा का एक उदाहरण दिया जा चुका है। इसलिये माननीय मन्त्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि उच्च स्तर की कानूनी जानकारी वाले व्यक्ति ही कानूनी सलाहकार नियुक्त किये जाय।

दूसरी बात जिसका निर्देश मैं करना चाहता हूं, वह बम्बई और कलकत्ता के न्यायालयों से सम्बन्धित है। उनमें अभ्यर्थी और न्यायवादी प्रणाली अभी कायम है जबकि अन्य उच्च न्यायालयों में वह खत्म की जा चुकी है। मेरे राज्य-पश्चिम बंगाल में इन अभ्यर्थियों और न्यायवादियों को लोग बहुत नापसन्द करते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक फीसें लेते हैं। माननीय मन्त्री ने उनके पक्ष में यह तर्क

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविंद घोषाल]

पेश किया कि वे वाणिज्यिक मामलों में बहुत तेज होते हैं । परन्तु मैं समझता हूं कि बहुत से अनुभवी अधिवक्ता उनसे भी अच्छी सलाह दे सकते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इन दोनों न्यायालयों से भी इस प्रणाली को खत्म करने के बारे में विचार करें ।

फिर औद्योगिक अपीलों के मामले में उच्चतम न्यायालय में जो रुपया जमा करना पड़ता है वह भी बहुत अधिक है । कम से कम उन मामलों में तो इसे खत्म कर देना चाहिये जिनमें अपीलें न्यायाधिकरणों के माध्यम से की जाती है ।

जहां तक निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने का प्रश्न है पता नहीं सरकार कुछ कर रही है या नहीं । वकील इतनी अधिक फीसें लेते हैं कि साधारण व्यक्ति उनका भुगतान नहीं कर सकता है । मन्त्री जी को उनकी फीसें कम करने का प्रयत्न करना चाहिये । यही नहीं वकील अपना आयकर बचाने के लिये नकद फीसें लेते हैं चैक नहीं स्वीकार करते हैं । मैंने स्वयं एक वकील को एक अपील के मामले में १५०० रुपये दिये थे ।

फिर मैं जनगणना पर आता हूं । खेद है कि दो राज्यों के मन्त्रियों ने जनगणना के आंकड़ों को चुनौती दी है । (**अन्तर्बाधायें**)

निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जब विभाजन का कार्य समाप्त हो जाए तो विभाजित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की प्रतियां सदस्यों को दी जायें ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

†**पंडित कृ० च० शर्मा** : देश की उन्नति के लिये शान्ति तथा व्यवस्था बहुत आवश्यक है और शान्ति तथा व्यवस्था कानून पर आधारित है । कानून के प्रशासन के लिये दो बातें आवश्यक हैं जनता का अनुभव और समाज के हित का दृष्टिकोण । न्याय का प्रशासन न्यायाधीश करते हैं । न्याय के उचित प्रशासन के लिये न्यायाधीशों को न केवल स्वतन्त्र होना चाहिये वरन् तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी होना चाहिये । न्यायाधीश का विद्वान् होना आवश्यक है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कहना ठीक नहीं है कि न्याय का विद्वता से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं अपराध का जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । १९२१ के पूर्व हमारा जीवन जड़वत् था । अतः १९२१ के पूर्व उत्पन्न हुआ व्यक्ति आज के नागरिकों के मामलों का निर्णय करने के लिये उपयुक्त नहीं है । मेरा निवेदन है कि न्यायाधीश की आयु ५० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये और ६५ वर्ष तक के व्यक्तियों के न्याय की कुर्सी पर बैठा रखना गलत हैं । न्यायाधीशों का नवयुवक होना इसलिये भी आवश्यक है कि वे हमारे नवीनतम सामाजिक वातावरण से परिचित हों और उनमें नये युग की भावनायें हों ।

इसके बाद मैं विधि आयोग पर आता हूं । मैंने उसका प्रतिवेदन पढा है और मेरा विचार है कि उसका कार्य बहुत अच्छा रहा है । मैं चाहता हूं कि आगे के कार्य में आयोग वकील संघों से परामर्श करे । आज का युग बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें अपने अधिकारों और दायित्वों की झलक देश के वकीलों के सम्पर्क से ही मिल सकती है । खेद है कि हमारे अधिकांश कानून अंग्रेजी कानूनों से अपनाए गए हैं । वे रोम के जीवन पर आधारित होने के कारण हमारे लिये उपयुक्त नहीं कहे जा सकते हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में गम्भीर चिन्तन और परामर्श आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मन्त्रालय के विषय में केवल एक बात पर जोर देना है। चुनाव कमीशन ने राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कुछ तरीके अपनाते हुए हैं। और उनकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं अपने उन दूसरे मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने कि चुनाव कमीशन को उसके निष्पक्ष कार्य के लिये बधाई दी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि संविधान की कौनसी धारा के अनुसार या इस संसद् द्वारा बनाये गए किस कानून के अनुसार चुनाव कमीशन को यह हक हासिल हुआ कि वह किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के लिये मान्यता दे। चुनाव कमीशन ने दो जनरल इलैक्शन्स के बारे में जो रिपोर्टें छपवाई हैं, उनको गम्भीरता से पढ़ा है। उससे पता चलता है कि केवल एक नोटिफिकेशन जारी करके यह तय उसने कर दिया है कि किस किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव के लिये मान्यता प्राप्त होगी और इस आ ार पर उसने किन्हीं राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिये मान्यता ाप्त होगी और इस आधार पर उसने किन्हीं राजनीतिक पार्टियों को इतनी सुविधायें दे दी हैं कि जिनका इलेक्शन्ज में प्रभाव पड़ सकता है। जिन राजनीतिक पार्टियों को पहले से मान्यता मिली हुई होती है उनका चुनाव निशान मतदाताओं के दिमागों में बहुत पहले से रहता है। इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं उन्हें यह भी सुविधा है कि मतदाता सूची उन्हें फ्री मिलेगी।

आज सुबह ही की बात है कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का कोई इरादा नहीं है कि और राजनीतिक पार्टियों को बुला कर इस मसले पर गौर किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एक ऐसी पद्धति है कि जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। हम इस मुल्क में जनतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं और अगर जनतन्त्र को मजबूत बनाना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि देश के हर नागरिक को समान सुविधायें मिलें। ऐसा कोई कानून या कोई नियम या कोई आर्डर नहीं होना चाहिये जिससे किसी नागरिक या नागरिकों के किसी समूह को विशेष सुविधायें मिल जाएं और दूसरे नागरिक या नागरिकों के समूहों को कोई सुविधायें न मिलें। १९५२ में पहली बार चुनाव हुए थे।

अध्यक्ष महोदय एक सभा यहां आपकी अध्यक्षता में चल रही है और उधर दूसरी ही सभा चल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं कि विधि मन्त्री उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं माननीय संसद्कार्य मंत्री के साथ परामर्श करने के साथ साथ उनका भाषण भी सुन रहा हूं और मैंने कुछ नोट भी लिये हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार ने सुबह जो जवाब दिया है उस पर पुर्नविचार करना चाहिये। अब जो नियम बनाया गया है उसके मुताबिक अगर किसी राजनीतिक पार्टी को पिछले चुनावों में ३ प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं तो उसे मान्यता मिलेगी। सन् १९५२ के चुनावों के पहले जब पिछली दफा इस मान्यता का प्रश्न उठा तब इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो मैं चाहूंगा कि इस पर इस तरह विचार हो कि जो राजनीतिक पार्टी अपनी निश्चित विचारधारा रखती हो, जिसका लोकसभा और विधान सभा के बाहर कोई निश्चित संगठन हो, जिस का कोई अपना अनुशासन हो, जो लोकसभा और विधान सभा के अन्दर और बाहर दोनों जगह काम करती हो, उस पार्टी को सिर्फ वोट के आधार पर ही मान्यता न मिले। इसके अलावा और भी विचार

†मूल अंग्रेजी में

किया जाना चाहिये दूसरी बातों का। जहां तक वोट्स का प्रश्न उठता है, हम सभी जानते हैं कि एलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा कि कुछ इस प्रकार के अलायंसेज हुए, कुछ समझौते ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण चुनाव के जमाने में कुछ लोग अधिक वोट हासिल कर सकते हैं हैं। मैं समझता हूं कि कानून मन्त्री जी मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि देश के राजनीतिक जीवन को शुद्ध रखने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि चुनाव के जमाने में इस तरह के कोई अलायंसेज और समझौते न हों जिनको अनहोली अलायंसेज कहा जा सके वोट्स प्राप्त करने के लिये। एक कार्यक्रम के आधार पर वोट जनता दे तो यह सही बात होगी। लेकिन सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिये कुछ लोग इकट्ठे हो कर समझौता कर लें और इस तरह से ३ फीसदी वोट्स हासिल कर लें, और फिर एलेक्शन कमीशन के द्वारा उन राजनीतिक पार्टियों की मान्यता प्राप्त हो जाय मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के लिये यह उचित बात नहीं है। इसलिये चूंकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इस प्रकार का कानून संसद् ने नहीं बनाया है, और जब एलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है तो मैं समझता हूं कि इस ढंग से उसे किया जाना चाहिये जिससे देश के नागरिकों के दिमाग में कोई शंका न रहे कि उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है।

मैं सोशलिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जितने उम्मीदवार खड़े किये गये, यदि उन सभी उम्मीदवारों के पूरे वोटों का हिसाब लगाया जाय एलेक्शन कमिशन द्वारा, तो मुझे विश्वास है कि वे ३ प्रतिशत से कम वोट नहीं होंगे। लेकिन देखा यह गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से जितने सोशलिस्ट उम्मीदवार खड़े हुए थे, चूंकि उन को इस नियम के मुताबिक जो पेड़ का निशान था वह नहीं दिया जा सका था, इस की वजह से उन को जो वोट प्राप्त हुए थे, उन को नहीं शामिल किया जा रहा है। लेकिन एलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन उम्मीदवारों ने पहले अपना नाम बता दिया था चीफ एलेक्टोरल आफिसर को कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को मान लिया है। तीन उम्मीदवारों ने मुझे बतलाया कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने हलफ उठा कर अपने हलफनामे को एलेक्शन कमीशन के पास भेजा है। इस के बावजूद उन के वोटों को सोशलिस्ट पार्टि के लिये नहीं माना जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कोई न्यायपूर्ण बात होगी। जब किसी पार्टी के उम्मीदवारों को उस पार्टी में न माना जाय और उनको वोटों को शामिल न किया जाय तो भविष्य में उनमे और भी अधिक दिक्कत आ सकती है।

अब जो कुछ व्यवस्था की जा रही है उस के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी राज्य के स्तर पर मान्यता प्राप्त किये हुए है तो उसके निशान को दूसरे राज्य में भी उस के उम्मीदवारों को दिया जायेगा, जिस में उस को मान्यता नहीं है, इस की गारन्टी नहीं है। इससे नतीजा यह निकलने वाला है कि कोई भी पार्टी, जिस का अखिल भारतीय संगठन है, अगर उस ने अपने नियमों की शुद्धता को बनाये रखने के लिये चुनाव समझौतों में विश्वास न करते हुए, उन में अपने को नहीं फंसाया, चुनाव समझौता नहीं किया और कम उम्मीदवार खड़े किये, अपने प्रति अनुशासन किया, और अगर उस की वजह से उसे भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता न मिल सके, तो मैं समझता हूं कि यह बड़े दुःख की बात होगी और जनतंत्र तक के लिये बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव कमीशन इस पद्धति में कुछ संशोधन करने के लिये तैयार हो, वह अच्छी तरह से हो सकता है। ३ फी सदी का जो नियम बनाया हुआ है, उस को ३ प्रतिशत के बजाय सन् १९५७ में १/४ परसेन्ट, १/८ या १/१० परसेन्ट कम रख कर ही मान्यता दे देता है, उस के साथ यह देख लेता है कि संसद् और विधान सभा के बाहर, उन का संगठन है या नहीं है और काफी लोग उस संगठन के मेम्बर हैं या नहीं, तो भी काम चल सकता है। मैं आशा

करता हूं कि हमारे कानून मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और सरकार के विचार एलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और उन पर यह जाहिर कर देंगे कि इस तरह सेइस सदन की भावनाओं पर उचित विचार किया जाना चाहिये ।

दुसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है जिसका जिक्र हमारे मित्र भरूचा साहब ने भी किया कि राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले चन्दे का प्रश्न अक्सर उठा करता है, और जब भी यह बात उठती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि यह गरीब मुल्क है हर राजनीतिक पार्टी को पैसे की मदद लेनी ही पड़ती है जिस से कि वह चुनाव लड़ सके । मैं इस से इन्कार नहीं करता, लेकिन प्राइवेट पार्टीज़ से, खास कर कम्पनियों से अगर इस नाते चन्दा लिया जाय कि वह उस के बल पर सरकार की नीतियों में कुछ परिवर्तन करा लेंगी, या कम्पनियां कोई विशेष सुविधा हासिल करने के लिये कोई मदद दें, मैं समझता हूं कि इससे हमारा राजनीतिक जीवन भ्रष्ट हो जायेगा । इसलिये उचित यह होगा कि सरकार की तरफ से यह व्यवस्था हो, मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होते हुए सब से ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को ही होने वाला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, अगर इस देश में गरीबों का राज्य कायम रखना है, और जनतंत्र को सफल बनाना है तो यह व्यावस्था करनी पड़ेगी कि अगर किसी को जनता का प्यार हासिल है तो वह चुनाव में हिस्सा ले सके । आज कल जो हमारी चुनाव व्यवस्था बनती जा रही है उस में यह होता है कि वही आदमी चुनाव में हिस्सा ले सकता है जोकि किसी एक संगठित पार्टी का आदमी है, या फिर उस को राजनीतिक चन्दा मिलता है बड़े बड़े लोगों से जिस के पास जनता का पैसा इकट्ठा है ।

एक माननीय सदस्य : आप को कहां से मिला था ?

श्री ब्रज राज सिंह : मैं जो कुछ कहता हूं, उस को सुनने की कोशिश कीजिये । आप के खिलाफ नहीं कहा जा रहा है । मैं तो सिद्धान्त की बात कहता हूं । गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे यदि राज्य की तरफ से जनतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है । अभी भरूचा साहब ने हिसाब लगाया । मैं दूसरा हिसाब लगाता हूं । ५०० पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं, उन में से सब चुने हुए नहीं होते हैं, ३००० विधान सभाओं के मेम्बर चुने जाते हैं । अभी हमारे माननीय रणवीर सिंह जी को कम से कम २० साल तक चुन कर आने की आशा तो है ही, इसलिये उन को तो इस का फायदा मिलेगा ही । बहरहाल ढाई या तीन हजार विधान सभाओं के प्रतिनिधि और पांच सौ के लगभग लोक सभा के प्रतिनिधि होते हैं । सरकार की तरफ से उन के लिये १ करोड़ रु० की व्यवस्था पांच साल के लिये कर दी जाय । मैं डिमान्ड्स देखता हूं तो इसमें एलेक्शन कमीशन पर २८ $^{1}/_{2}$ लाख रु० की व्यवस्था है । मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं है । पांच साल के लिये अगर एलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर १ करोड़ रु० और खर्च हो जाय । हमें देश में जनतंत्र को मजबूत करना है, हम देखते हैं कि हमारे देश के आस पास यह खतरा पैदा हो गया है कि जनतंत्र लड़खड़ाने वाला है, कहीं राज्यशाही कायम होती है कहीं डिक्टेटरशिप कायम होती है । हमारा शासन की पार्टी से कोई भी मतभेद हो सकता है लेकिन एक बात में हम सब को एक होना चाहिये कि इस मुल्क में हम को जनतंत्र को मजबूत बनाना है देश में लाखों लोगों की सहायता से ही हम ऐसा कर सकते हैं । जनतंत्र होते हुए एक चीज तो हमें मिली हुई है कि हम पांच साल के बाद कम से कम यह आशा कर सकते हैं कि सरकार को पलटा जा सकता है । लेकिन अगर यहां कोई डिक्टेटर खड़ा हो जाता है तो इस प्रकार की कोई आशा नहीं रहती । इसलिये जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिये अगर एक करोड़ रु० खर्च करने की आवश्यकता सरकार को पड़े तो इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मैं मानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री की तरफ से कहा जा सकता है कि देश के डेवेलपमेंट के लिये हम को धन की जरूरत है। मैं भी कहता हूं कि इस की जरूरत है, आज जिन के पास पैसा है अगर वे राजनीतिक पार्टियों को चन्दा दे सकते हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि वे राजनीतिक पार्टियों को चन्दा न दे सकें, और उन्हीं पार्टियों से आप पोलिटिकल लेवी की तरह पर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इस के लिये नियम बनाया जा सकता है कि जब चुनाव इस देश में आयें तो उन लोगों से इस हिसाब से रुपया ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था मान ली जाती है तो यह नतीजा निकलेगा कि गरीब आदमियों के दिमाग में यह विश्वास रहेगा कि वे विधान सभाओं में और लोक सभा में चुन कर पहुंच सकते हैं। आज जो स्थिति है उस में चुनाव अधिक खर्चीले होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव अधिक खर्चीले होते जायेंगे वैसे वैसे गरीब लोगों को, जोकि अक्सर राजनीति में लग गये हैं, जो अपने धंधों को छोड़ कर राजनीति में लग जाते हैं, उन के लिये आसान नहीं रहेगा कि वे विधान सभाओं में या लोक सभा में चुन कर आ सकें। मुझे याद है कि मेरे स्वर्गीय मित्र, और मेरे ही नहीं सब के मित्र, श्री फीरोज गांधी के साथ बैठ कर मैं यहां पर बात कर रहा था लाबी में कि आज जो चुनाव व्यवस्था चलती आ रही है और जो ऐलाउन्सेज़ वगैरह मैम्बर्स को मिलते हैं, गरीब मुल्क में उस से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। चुनाव खर्च बढ़ता जा रहा है अतः गरीब लोग भविष्य में चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। मैं उनमें से हूंगा जो अपने वेतन और भत्ते को और कम कराना चाहेंगे। लेकिन हममें से कोई चुनाव के खर्च को बरदाश्त नहीं कर सकता। इसके लिये या तो आप यह करें कि चुनावों की ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसी उम्मीदवार को कुछ खर्च करना ही न पड़े। कानून में ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि किसी उम्मीदवार को चुनाव के सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं करने दी जायगी। सिर्फ एक परचा छप जायगा और उस का खर्चा सरकार की ओर से किसी फंड में से उस को मिल जायगा। उस के बाद कहीं किसी उम्मीदवार को जाने की जरूरत न होगी और जनता जिस को चाहे वोट दे सकेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस को आप मंजूर नहीं करेंगे। इसलिये चुनाव को पवित्र बनाने के उद्देश्य से और जनतंत्र को मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे उपायों पर विचार किया जाय कि किस प्रकार चुनाव में कम से कम खर्चा हो और वह खर्चा ऐसा न हो कि जिस को देश का गरीब से गरीब आदमी न दे सकें। वह खर्चा ऐसा होना चाहिये कि देश के गरीब से गरीब नागरिक के लिये यह सम्भव हो कि वह लोक सभा में या विधान सभा में पहुंच सके। आज स्थिति यह है कि देश के एक प्रतिशत से अधिक नागरिक ऐसी अवस्था में नहीं हैं कि वह चुनाव का खर्चा कर के लोक सभा या विधान सभा में पहुंच सके। यह कैसा जनतंत्र है कि जिस में देश के सिर्फ एक प्रतिशत नागरिक ही लोक सभा या विधान सभा में पहुंचने की आशा कर सकते हैं। यह जनतंत्र तभी सफल हो सकता है जब देश के सभी लोगों को यह आशा हो कि वे लोक सभा या विधान सभा में पहुंच सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

†**श्री ब्रज राज सिंह** : दो मिनट।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१ / ३ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २३ मार्च, १९६१ / २ चैत्र, १८८३ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३२४५—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४७	संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा	३२४५—४७
१०४८	आयुध कारखाना, कटनी	३२४७—४९
१०४६	हिन्दी टेलीप्रिंटरों के कुंजी-फलक	३२४९—५०
१०४९	एशिया में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये यूनेस्को की योजना	३२५०—५४
१०५०	जीवन बीमा निगम का व्यवसाय	३२५४—५५
१०५२	नागा पहाड़ी प्रदेश में विमानों द्वारा खाद्य गिराया जाना	३२५५—५८
१०५३	बैंकों द्वारा खाद्यान्न पर ऋण	३२५८—६०
१०५४	हिन्दी कर्मचारी	३२६०—६१
१०५५	पवन-चक्कियां	३२६१
१०५६	मनमाड के निकट सोने की खान	३२६२
१०५७	परीक्षा के माध्यम के रूप में मनीपुरी भाषा	३२६२
१०५८	मनीपुर में नागा विद्रोहियों की गतिविधियां	३२६३—६५
१०६१	विशाखापत्तनम में नौसेना के तेल प्रतिष्ठान	३२६५—६६
१०६३	पश्चिम जर्मनी द्वारा 'मार्क' का पुनर्मूल्यन	३२६७—६८
१०६५	निर्वाचन आयुक्त के साथ राजनैतिक दलों का सम्मेलन	३२६८—७०
प्रश्नों के लिखति उत्तर		३२७०—३३०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४४	न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि	३२७०—७१
१०४५	कोयला संभरण संकट	३२७१—७२
१०५१	किसानों की कार	३२७२
१०५९	इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के कर्मचारी	३२७२—७३
१०६०	उत्तर प्रदेश में शिक्षा	३२७३

81 (Ai) LSD—8.

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०६२	जीवन बीमा निगम .	३२७३
१०६४	विदेशों में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी	३२७३
१०६६	दिल्ली में विस्फोट . . .	३२७४
१०६७	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कोयले के निक्षेप	३२७४
१०६८	अस्ट्रिया से ऋण . .	३२७३–७५
१०६९	आसाम में जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकार .	३२७५
१०७०	कोरबा कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप	३२७५
१०७१	केन्द्रीय प्रबंध संस्थाएं	३२७५–७६
१०७२	भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	३२७६
१०७३	अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब .	३२७६–७७
१०७४	पांडुलिपि क्रय समिति	३२७७
१०७५	सशस्त्र सेनाओं के वेतन-क्रम	३२७७
१०७६	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समाज कल्याण योजना	३२७७–७८
१०७७	राज भाषा के रूप में अंग्रेजी	३२७८
१०७८	छेवकी का केन्द्रीय आयुध डिपो	३२७८
१०७९	बहु प्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रादेशिक कालिज	३२७८
१०८०	अंडमान के लिये स्टीमर सेवा	३२७९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१३८	ज्योति परियोजना, फीरोजपुर	३२७९
२१३९	महाराष्ट्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण	३२७९–८१
२१४०	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	३२८१
२१४१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां	३२८२
२१४२	हिमाचल प्रदेश में हरिजनों को कानूनी सहायता	३२८२
२१४३	पंजाब में छात्रों के दौरों के लिये सहायता	३२८२
२१४४	किराया-खरीद के बारे में कानून	३२८२
२१४५	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये तकनीकी कर्मचारी .	३२८३
२१४६	विज्ञान मन्दिर	३२८३
२१४७	हिन्दी का प्रचार	३२८३

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१४८	राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश	३२८३–८४
२१४९	कोरबा कोयला क्षेत्र में भूमिगत खानें	३२८४
२१५०	दोहरे करारोपण से बचने के लिये भारत-ब्रिटिश करार	३२८४
२१५१	पंजाब में कोयले की कमी	३२८४–८५
२१५२	तस्कर व्यापारियों द्वारा धावा	३२८५–८६
२१५३	स्वर्ण गढ्ढा से प्राप्त वस्तुयें . .	३२८६
२१५४	इस्पात कारखानों के लिये टैक्निशियनों का प्रशिक्षण .	३२८६–८७
२१५५	गुजरात में स्मारक	३२८७
२१५६	सरदारनगर में मंत्री . .	३२८७
२१५७	गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये विदेशी ऋण	३२८७
२१५८	राज्यों में उत्पादन शुल्क की वसूली	३२८८
२१५९	केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड	३२८८
२१६०	सीमा-विवाद . .	३२८९
२१६१	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारतीय सांस्कृतिक मंडली	३२८९
२१६२	पश्चिम जर्मनी के फैडरल बैंक की ब्याज दर	३२८९–९०
२१६३	संसद भवन के इर्द गिर्द मूर्तियां .	३२९०
२१६४	तस्कर व्यापार .	३२९०
२१६५	द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन	३२९०–९१
२१६६	बम्बई के गुफा मन्दिर. .	३२९१
२१६७	अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, दिल्ली	३२९२
२१६८	जूरी द्वारा मुकदमे पद्धति	३२९२–९३
२१६९	बीड़ी और बीड़ी का तम्बाकू .	३२९३
२१७०	१९६१ में गणतन्त्र दिवस समारोह पर व्यय	३२९३
२१७१	मूल्यांकन और अनुसन्धान संगठन .	३२९३
२१७२	दिल्ली में क्रीड़ा गांव .	३२९४
२१७३	भारतीय यात्री चैक . .	३२९४
२१७४	कर्मचारी कल्याण संघ . . .	३२९४–९५
२१७५	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कर्मचारी	३२९५
२१७६	मनीपुर का शासन . .	३२९५–९६

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित प्रश्न संख्या

२१७७	भारत में चीनी जासूस	३२९६
२१७८	दिल्ली में हाई स्कूलों के मुख्याध्यापक	३२९६
२१७९	मनीपुर जेल के कैदियों के लिये मसहरियां . . .	३२९६–९७
२१८०	काकिनाडा (पश्चिम बंगाल) के इंजीनियरिंग स्टोर्स डिपो के मुअत्तिल कर्मचारी .	३२९७
२१८१	द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन	३२९७–९८
२१८३	एम० ए० (हिन्दी)	३२९८
२१८४	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सह आयुक्त	३२९८
२१८५	नेवेली बस्ती .	३२९८–९९
२१८६	मद्रास में श्रम और समाज सेवा शिविर	३२९९
२१८७	मद्रास में पुरातत्वीय खुदाई	३३००
२१८८	मनीपुर में हिन्दी के अध्यापक .	३३००
२१८९	मनीपुर में अध्यापकों को छात्रवृत्तियां	३३००
२१९०	मनीपुर प्रशासन के पदाधिकारियों के दौरे .	३३००–०१
२१९१	कच्चा माल .	३३०१
२१९२	प्रतिरक्षा सेवा सेलिंग क्लब	३३०१–०२
२१९३	दिल्ली में प्राथमिक स्कूल . .	३३०२
२१९४	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई तथा हायर सैकेंडरी स्कूल	३३०२
२१९५	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता .	३३०३
२१९६	दिल्ली में महिलाओं से छेड़छाड़ .	३३०३
२१९७	रायपुर में विश्वविद्यालय	३३०३
२१९८	विदेशों के लिये करेंसी नोटों का मुद्रण	३३०३–०४
२१९९	लोहे और इस्पात का कोटा .	३३०४
२२००	त्रिपुरा में चूहों और हाथियों द्वारा फसल को क्षति	३३०४
२२०१	जुलेबाडी, त्रिपुरा में अग्निकांड .	३३०४–०५
२२०२	विदेशों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी	३३०५
२२०३	साहित्य अकादमी का छमाही पत्र	३३०५
२२०४	साहित्य अकादमी के प्रकाशन . .	३३०५–०६
२२०५	जापान में अफ्रीकी–एशियाई लेखक सम्मेलन	३३०६
२२०६	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	३३०६–०७

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३३०७
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने सरकार द्वारा दिल्ली में अर्जित की गई भूमि के दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा।	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३३०७
निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखे गये :—	
अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—	
(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४५ में प्रकाशित अखिल भारतीय पुलिस सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६१ ।	
(दो) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४७ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) द्वितीय संशोधन नियम, १९६१ ।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन —उपस्थापित . . .	३३०७
एक सौ दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अनुदानों की मांगें	३३०७–५६
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। सारे कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।	
विधि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि ।

विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान।

GMGIPND—LS III—81(Ai) LSD—11-5-61—125